पंचममाला, खंड 39, अंक 49, शुक्रवार, 3 मई, 1974/13 वशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol XXXIX, No. 49, Friday, May 3, 1974/Vaisakha 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची
CONTENTS

अंक 49, शुक्रवार, 3 मई, 1974/13 वैशाख, 1896 (शक)
No. 49, Friday, May 3, 1974/Vaisakha 13, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
935	क्यूबा से तांबे का आयात	Import of Copper from Cuba . . .	1—2
936	सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं (कैनेलाइज्ड आईटम्स) के निर्यात में निर्यातगृहों को हिस्सा देना	Export Houses to have share in the Export of Canalised items .	3—4
937	विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Companies . .	4—5
940	टाटा समिति की सिफारिशों पर निर्णय	Decision on recommendations of Tata Committee . .	6
941	पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने संबंधी योजना	Scheme to Ensure Remunerative Prices to Jute Producers	6—11
944	जीवन बीमा निगम में हाल में वेतन मानों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप श्रेणी एक के अधिकारियों तथा क्लर्कों के मजूरी ढांचे में उत्पन्न विषमताएं	Anomalies in the wage structure of class I Officers vis a vis Clerical Staff as a result of recent revision of Pay Scales in LIC . . .	11—12

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

M/P(N)4LSS—1

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
945	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित ऊनी चीथड़ों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना	Woollen rags imported by STC impounded by customs Authorities . . .	13—16
946	जीवन बीमा निगम की अदावी पालिसियों के दावेदारों का पता लगाया जाना	Tracing of claimants of unclaimed Policies of LIC . . .	16—17
950	तकनीशियन उद्यमकर्ताओं को बैंक ऋण के लिये गारंटी में वृद्धि.	Increase in guarantee cover for Bank Advances to Technician Entrepreneurs . .	17—18
952	मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन	Production of Controlled Cloth by Mills . . .	18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या० S. Q. Nos.			
938	मुद्रास्फीति रोकने के उपाय	Steps to check inflation . . .	18—19
939	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्यापार में विस्तार	Expansion of business by Banks in Private Sector . . .	19
942	दादरा और नगर हवेली में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Dadra and Nagar Haveli .	19
943	काजू का आयात	Import of Cashewnuts .	19—20
947	तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क की भिन्न भिन्न दर	Different Rates of Excise on Tobacco .	20
948.	निर्यात के कार्य में लगी परामर्शदाता फर्मों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to consultancy Firms engaged in Exports .	21

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
949	विदेशी कम्पनियों पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Foreign Companies . .	21—22
951	हवाई अड्डों पर विमानों के उतरने के लिये सहायक उपकरण लगाने की योजना	Plan to instal landing aid at Airports. .	22—23
953	लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सबंध में रिजर्व बैंक-आफ इंडिया द्वारा जारी किये गये निदेश	Directives issued by RBI regarding advances sanctioned to Small Scale Industries	23—24
954	आय कर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Income Tax Arrears . .	24—26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
9033	मफ्तलाल ग्रुप के कर्मचारियों के बेतन से आयकर का काटा जाना	Income Tax deducted from the Salaries of Employees of Mafat Lal Group . .	26—27
9034	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन महीनों के दौरान किये गये अभ्रक के सौदे	Mica Transactions entered into by M.M.T.C. during the last Three Months	27
9035	वर्ष 1973–74 में अभ्रक का निर्यात	Export of Mica during 1973-74 . . .	28
9036	1972–73 में खली तथा तेल का निर्यात	Export of Oil Cakes and Oil during 1972-73 . . .	28
9037	सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध म कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Workers Participation in Management in Public Sector Commercial Banks .	28—29
9038	इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा रिजर्व बैंक के गर्वनर को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted to Governor of Reserve Bank by Engineering Association of India .	29
9039	फडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इन्डट्रीज से ज्ञापन	Memorandum from Federation of Associations of Small Industries . .	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9040	दिल्ली म बैंकों द्वारा उपभोक्ता ऋणों का दिया जाना	Advancing of Consumer Loans by Banks in Delhi	29—30
9041	काजू उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Cashew Industry .	30
9042	दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicraft Items . . .	31
9043	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Cloth . . .	31
9044	मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Madhya Pradesh . . .	31—32
9045	ब्रिटेन से आयात	Imports from U. K. .	32
9046	पी० एल० 480 निधि के निपटान के बारे में चर्चा	Discussion on Disposal of PL 480 Funds .	32—33
9047	बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों को सहायता अथवा सुविधाय देने का प्रस्ताव	Proposal to give Aid or Facilities to Unemployed Commercial Pilots . .	33
9048	फीडर तथा चार्टर विमान सेवाय आरंभ करने की योजनायें	Plans to start Feeder and Charter Air Services . . .	33—34
9049	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी करना	Issue of shares by Indian Oxygen Limited . . .	34
9050	रूई के समर्थन मूल्यों में वृद्धि	Increase in Cotton Support Prices .	34
9051	ऋण पर प्रतिबंध का भारतीय रूई निगम के रूई क्रय कार्यक्रम पर कुप्रभाव	Effect of Curbs on Bank Credit on the Cotton Purchase Programme of Cotton Corporation of India	35
9052	अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा भाड़ों में तलोंछिन्न (अंडरकटिंग)	Under Cutting of Fares by International Airlines . . .	35—36
9053	वर्ष 1973–74 में भारत म पर्यटन प्रचार पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on Tourism Publicity in India during 1973-74 . . .	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
9054	आयकर कर्मचारी संघ के विधान में संशोधन	Amendments to the Constitution of Income Tax Employees Federation . .	36
9055	मध्य प्रदेश में बैंकों में प्रति व्यक्ति जमा राशि	Per Capita Deposits in Banks in Madhya Pradesh . . .	36—37
9056	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजी निवेश	Investment of Nationalised Banks in Madhya Pradesh .	37—38
9057	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने के लिये ऋणों का दिया जाना	Grant of Loans by RBI to Farmers of Madhya Pradesh for Agricultural Inputs . . .	38
9058	रेशमी साड़ियों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Silken Sarees . .	38
9059	इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिलन भवन का निर्माण	Construction of Terminal Building at Imphal Aerodrome .	38—39
9060	इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतारने संबंधी सुविधायें तथा विमान में फिर से तेल भरने की व्यवस्था	Night Landing Facilities and Refuelling Arrangements at Imphal Airport	39
9061	'फाइव स्टार' होटलों की अत्यधिक दरें	Exhorbitant Charges by Five Star Hotels	39
9062	घरेलू उड़ानों में लगे बोइंग विमानों की अपर्युक्त क्षमता	Un-utilised capacity of Boeing Planes Operating on Domestic Routes . .	40
9063	जीवन बीमा निगम के दिल्ली के डिविजन के अंतर्गत डेवेलमट कांफ्रेंस आयोजित करना	Holding of Development Conference under Delhi Division of LIC . . .	40
9064	पालिसीधारियों के दावों का निबटान	Settlement of Claims of Policy Holders .	41
9065	रक्षा लेखा वार्षिक पुस्तक के प्रकाशन तथा लाटरी की बिक्री टिकटों के बारे में रक्षा रूपलेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना को शिकायतें	Complaints for Publication of Defence Accounts Year Book and Sale of Lottery Tickets in the Office of CDA, Patna .	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9066	अभ्रक के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Mica . . .	42
9067	भारत और बेल्जियम के बीच तकनीकी-सहयोग	Technical Collaboration between India and Belgium . .	42
9068	गुजरात परियोजना के लिये ब्रिटिश सहायता	British Assistance to Gujarat Project .	42—43
9069	आसाम में भारत सरकार द्वारा प्रबंधित चाय बागान	Tea Gardens in Assam run by Government of India . . .	43—44
9070	डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी लंदन	Diamond Trading Co. London . . .	44
9071	खनिजों एवं धातुओं के आयात-निर्यात ठेकों पर भारत-रूमानिया वार्तायें	Indo Rumanian Talks on Import Export Contracts for Minerals and Metals . .	44
9072	विदेशों में हीरों एवं विस्फोटकों की बढ़ती मांग	Rising demand of Diamonds and Explosive abroad . .	45
9073	रिजर्व बैंक द्वारा बिहार में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विकास के लिए धन-राशि का आवंटन	Allocation of Amount by Reserve Bank in Bihar for Development of Priority Industries . .	45
9074	विद्युत बिना कार्य कर रहे एककों को उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट देना	Grant of Exemption from payment of Excise Duty by Units Functioning without Power . .	45—46
9075	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात को दी गई धनराशि	Funds given by Agricultural Refinance Corporation to Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat . .	46
9076	एयरकस्टम पूल के लिये अधिकारियों का चयन	Selection of Officers for AIR Customs Pool . . .	46—47
9077	कपड़े का खपत पर रोक	Restriction in Consumption of cloth	47

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
9078	मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices . .	47—48
9079	मछलियों का निर्यात	Fish Exports . .	49
9080	1973-74 के दौरान खली का निर्यात	Export of Oil Cakes during 1973-74 .	49
9081	ग्वालियर में एक व्यापारी के निवास पर छापे के दौरान सोने तथा काले धन का पता लगना	Gold and Black Money unearthed during Raid on Residence of a Businessman in Gwalior . .	50
9082	भारत की ब्रिटेन में स्टर्लिंग में मुद्रा	Sterling Balances in Britain . . .	50
9083	जीवन बीमा निगम के बहुमंजिले भवन का निर्माण	Construction of Multi Storeyed Building of LIC . . .	50—51
9084	सेंट्रल बैंक द्वारा जमा राशियों पर कमीशन का भुगतान	Payment of Commission on Deposits by Central Bank .	51
9085	खनिज अयस्क के निर्यात के लिये आस्ट्रेलिया के साथ समान नीति	Commission Strategy with Australia for Export of Mineral Ore . . .	51
9086	सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन	R.B.I. Study Re. Functioning of Cooperative Credit Institutions . . .	51—53
9087	'एवियेशन टर्बाइन फ्यूल' पर उत्पाद शुल्क और कर में रियायत	Excise and Tax Concession on Aviation Turbine Fuel . .	53
9088	पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial assistance from Foreign Countries during First Year of Fifth Plan .	53—54
9089	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दादरा और नगर हवेली में छोटे व्यापारियों तथा हथकरघा बुनकरों को दिये गये ऋण	Loan Advanced by Nationalised Banks to Small Traders and Handloom Weavers in Dadra and Nagar Haveli .	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9090	दादरा और नगर हवेली में स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं	Branches of SBI and Nationalised Banks in Dadra and Nagar Haveli . . .	55
9091	जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तरी क्षेत्र में और कार्यालय खोलना	Opening of more Offices by LIC in Northern Zone . . .	55
9092	निर्यात के सम्बन्ध में प्रशुल्क नियंत्रणों को कम करना	Reduction of Tariff Barriers against Exports . . .	55—56
9093	खाड़ी के देशों में विपणन संबंधी गोष्ठी	Seminar on Marketing in Gulf Countries .	56
9094	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with East European Countries . .	57
9095	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products . . .	57
9096	हुबली में नये हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on construction of new aerodrome at Hubli . . .	57
9097	कपड़ा उद्योग की कोयले से चलने वाले बायलरों को लगाने की योजनायें	Plans of Textile Industry to change over to coalfired Boilers .	58
9098	अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने के लिये परियोजना	Project for converting Civil Aerodrome at Ahmedabad into an International Air-Port . . .	58
9099	जमा राशि पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दर की वृद्धि किया जाना	Increase in interest rate by Reserve Bank on deposits . .	58—59
9100	दक्षिण गुजरात के निकट एक जहाज से तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of contraband goods from a vessel near South Gujarat .	59
9101	कपड़ा उद्योग का उत्पादन	Production of Textile Industry . . .	59
9102	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खात डाल गये ऋणों की राशि	Amount of advance written off by Nationalised Banks .	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9103	पांचवीं योजना में पंजाब में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Punjab during Fifth Plan . . .	60—61
9104	कोरिया के साथ हमारे विदेश व्यापार स्थिति	Position of our foreign trade with Korea .	61—62
9105	विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों संबंधी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय को लागू करना	Implementation of decision on recommendations of Pay Commission in respect of various categories of Government employees . . .	62—63
9106	रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये तथा बट्टे खाते में डाले गये एवं सन्देहास्पद ऋणों की वसूली	Recovery of bad and doubtful debts advanced by Reserve Bank, State Bank and other Nationalised Banks . .	63
9107	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में पकड़ी गई जाली मुद्रा	Forged currency confiscated during 1971-72 and 1972-73 . .	63—64
9108	कपड़े के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of cloth . . .	64
9109	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम का संशोधन	Amendment of Unit Trust of India Act .	64
9110	उत्तर कोरिया से यूरिया और अलौह धातुओं का आयात	Import of Urea and Non ferrous Metals from North Korea .	64—65
9111	पर्यटकों की रुचि के पर्वतीय स्थानों पर पदयात्रा/पर्वतारोहण के लिये सुविधाएं	Facilities for Trekking/ Expeditions at Hill Stations of Tourist Interest . . .	65
9112	इंडियन एयरलाइंस में विमान चालकों की भर्ती	Recruitment of Pilots in Indian Airlines	65—66
9113	हथकरघा वस्तुओं पर लगे कोटा प्रतिबन्ध को हटाना	Removal of Quota Restrictions of Handloom Goods .	66
9114	कुवैत और ईराक को मांस का निर्यात	Export of Meat to Kuwait and Iraq	66—67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9115	पुस्तक - गृहों के कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा के उपाय	Steps to protect Jobs of Employees of Book Houses . .	67
9116	राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊनी चीथड़ों के आयात को निलंबित करना	Suspension of Import of Woollen Rags by STC . .	68
9117	बिड़ला तथा उनके पारिवारिक सदस्यों की कम्पनियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against concerns under Birlas and their Family Members . .	68
9118	देश में पिछड़े राज्यों के लिये विद्युत चालित करघों का आवंटन	Allocation of Powerlooms for Backward States in the country	68—70
9119	चौथी योजना में राजस्थान में पर्यटन व्यय की गई राशि	Amount spent on Tourism in Rajasthan during Fourth Plan	70—71
9120	जर्मन जनवादी गणराज्य की 'इन्टरफ्लग' एयर लाइन्स के लिये उतरन की सुविधाएं	Landing facilities for 'Interflug' Airlines of GDR . . .	71
9121	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र द्वारा नियत राशि से अधिक धन निकालना	Overdrafts by West Bengal and Maharashtra . . .	72
9122	कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुके हुए यात्रियों को सुविधाएं	Facilities to Stranded Passengers at Calcutta Airport . .	72
9123	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र में कृषि विकास शाखाओं की स्थापना	Opening of Agricultural Development Branches in Madhya Pradesh, West Bengal, Assam and Maharashtra . . .	72—73
9124	तकनीकी संस्थाओं को इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस परमिट जारी करना	Issue of Import Customs Clearance Permit to Technical Institutions . .	73—74
9125	काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा विदेश भेजी गई धनराशि	Remittances by Council for Indian School Certificate Examination . . .	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9126	राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती	Cut in Central Assistance to States	74
9127	81 प्रतिशत तथा इससे अधिक काउंटों के अधिक उत्तम किस्म के सूती धागे पर लगे नियंत्रण को हटाना	Lifting of Control on Finer variety of Cotton Yarn of counts 81% and above	74—75
9128	राज्य व्यापार निगम द्वारा काली सूची में दर्ज की गई विदेशी फर्में	Names of foreign Firms Black listed by STC .	75—76
9129	रेयन तंतु धागे के मूल्य	Prices of Rayon Filament Yarn . .	76
9130	रोजवुड की निर्यात नीति के बारे में ज्ञापन	Memorandum re: Export Policy of Rosewood . .	76—77
9131	1974 में इंडियन एयरलाइंस से सेवा निवृत्त होने वाले विमान चालक (पायलट)	Pilots expected to retire in Indian Airline in 1974 . . .	77
9132	राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा विज्ञापन तथा प्रचार कार्यों पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on advertising publicity by Nationalised Banks . . .	77—78
9133	हवाई अड्डों तथा सिटी कार्यालयों के बीच इंडियन एयरलाइंस की यात्री बस सेवा	Indian Airlines passenger coach services between Air terminals and city offices .	78
9134	विगों का निर्यात	Export of Wigs .	78—79
9135	सिले सिलाये वस्त्रों सहित कपड़े के निर्यात कर्ताओं को नकद सहायता	Cash Assistance to Exporters of Textiles including Ready made Garments .	79
9137	व्यक्तिगत निर्यातकर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ/हानि	Profit/Loss earned by Individual Exporters	79—80
9139	सोने-चांदी के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Gold and Silver . .	80—81
9140	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा खोजा गया विकासशील देशों की भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान	Measures evolved by LMF to deal with balance of payment problem of Developing countries . .	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9141	वर्ष 1974-75 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात	Sugar Exports through STC during 1974-75 .	81—82
9142	राज्य व्यापार निगम द्वारा बासमती चावल का निर्यात	Export of Basmati Rice by STC . .	82
9143	राजस्थान में पकड़ा गया काला धन	Black money unearthed in Rajasthan . .	82
9144	पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिये नई योजना का बनाया जाना	Formulation of New Plan to Promote Tourist Industry .	82—83
9145	वर्ष 1973 की अंतिम तिमाही के दौरान निर्यात से हुई आय	Export Earnings during last quarters of 1973 . . .	83—84
9146	पश्चिम बंगाल में बकाया करों के विवादास्पद मामले	Disputable Tax Arrears in West Bengal .	84
9147	राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभान्वित लघु उद्योग	Small Scale Industries benefitted by Nationalised Banks . .	85
9148	निर्धारित निर्माण कार्यक्रम से पिछड़ी हुई सरकारी परियोजनायें	Public sector projects behind schedule .	86
9149	पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं के लियें विश्व बैंक की सहायता	World Bank assistance for projects in West Bengal . . .	86
9150	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों के साथ व्यापार	Trade deals with East European Communist Countries through M.M.T.C. . .	86—87
9151	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता में आग	Fire in Central Bank of India, Calcutta .	87
9152	दार्जिलिंग में पर्यटन सुविधाओं में सुधार	Improvement of Tourist Facilities in Darjeeling . . .	87—88
9154	रूस से आयातित सूती गांठों का निपटान	Disposal of Bales of Cotton imported from USSR . .	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9155	राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषको को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Agriculturists in Rajasthan . .	89
9156	देश में फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs in the country . .	89—90
9157	हिमाचल प्रदेश में सेब विपणन परियोजना के लिये विश्व बैंक सहायता	World Bank Aid for Apple Marketing Projects in Himachal Pradesh . . .	90—91
9158	कृत्रिम रेशम के वस्त्रों का निर्यात करने वालों को पुनर्भरण की सप्लाई का वापस लिया जाना	Withdrawal of Supplies of Replenishments to Exporters of Art Silk Fabrics .	91—92
9159	सरकार द्वारा जनता से लिये गये ऋण में वृद्धि	Increase in Government's Public Debt	92
9160	एक समेकितन कपड़ा नीति का निर्धारण	Formation of an integrated textile policy	92
9161	बम्बई में कपड़ा मिलो का बन्द होना	Closure of textile mills in Bombay . .	92—93
9162	जीवन बीमा निगम में दावे रहित निधियां	Unclaimed amounts in LIC . . .	93
9163	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों, छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को ऋण दिये जाने के लिये अपनाई गई कसौटी	Criteria adopted for giving loans by nationalised banks to farmers, small traders and handloom weavers .	93—94
9164	गांधी नगर (गुजरात) के समीप एक टाइगर सफरी पार्क बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a tiger Safari Park near Gandhinagar (Gujarat)	94
9165	विदेशों में पटसन का क्रय-विक्रय करने वाले एकाधिकार गृह	Monopoly houses connected with purchase and sale of jute abroad . . .	94—95
9166	विदेशों में प्रचार साहित्य तथा पर्यटन संवर्धन प्रयत्नों के प्रभाव के बारे में अनुमान	Assessment regarding impact of publicity literature and tourism promotion efforts abroad . . .	95

ग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9167	सिगरटों का निर्यात	Export of Cigarettes .	95—96
9168	ग्रार० एन० बिजोरिया ग्रौर उनकी कम्पनियों के विरुद्ध ग्रायकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax against Shri R. N. Bijoria and his concerns . .	96
9169	पश्चिम बंगाल में विभेदी ब्याज दर योजना की क्रियान्विति	Execution of differential interest rate scheme in West Bengal .	96—97
9170	पश्चिम बंगाल में फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख रुपये से ग्रधिक ग्रायकर की बकाया राशि	Arrears of income tax against firms/individuals above rupees one lakh in West Bengal . . .	97—98
9171	हिमाचल प्रदेश में मण्डी टाउन, भोजपुर तथा देहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता बन्द करना	Withdrawal of project Allowance for Central Government employees in Mandi Town, Bhojpur and Dehar in Himachal Pradesh . . .	98—99
9172	कोलम्बो योजना के ग्रधीन भारत द्वारा प्राप्त सहायता	Assistance received by India under Colombo Plan . .	99—100
9173	हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चाय उद्योग की सहायता	Assistance to tea industry in Kangra District of Himachal Pradesh . . .	100
9174	बैंकों के ऋण मंजूर करने ग्रौर ग्रन्य कार्यक्रमों के बारे में जिला ग्रौर राज्य स्तर पर परामर्शदात्री/सलाहकार समितियां	Consultative/Advisory Committees at District and State level re. sanction of loans and other programmes of Banks .	100—101
9175	पांचवीं योजना में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Uttrakhand (U. P.) during fifth Plan . . .	101—102
9176	साधारण बीमें के लिये चार सहायक कम्पनियों की स्थापना	Setting up of four subsidiary companies for General Insurance	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9177	वर्ष 1973 के पहले सात महीनों के दौरान चाय के निर्यात में कमी होना	Decline in Export of of tea during first seven months of 1973	102—103
9178	लघु विद्युत चालित करधा उद्योग का विकास	Development of Small Scale power loom Industry . .	103
9179	बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रशिक्षण केन्द्र	International Tourism training Centre at Bangalore . .	103
9180	ऊर्जा संकट और कच्चे माल की कमी दूर करने के लिये भारत-सहायता हेतु 'एड इंडिया कंसर्शियस' द्वारा अध्ययन	Study by Aid India Consortium to help India out of energy crisis and shortage of raw materials .	103—104
9181	विटा मर्चेंट्स को-आपरेटिव बैंक लि० जिला सांगली, महाराष्ट्र द्वारा भेजा गया प्रस्ताव	Proposal sent by Vita Merchants Cooperative Bank Ltd. District Sangil, Maharashtra . .	104
9182	एयर इंडिया द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earned by Air India .	104
9183	रांची हवाई अड्डे को नया रूप देने संबंधी योजना	Plan to renovate Ranch Air Port	105
9184	बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखायें खोलना	Branches opened by Scheduled Commercial Banks in backward areas of Chhota Nagpur and Santhal Parganas in Bihar	105
9185	काला धन	Black Money . .	106—107
9186	हल्दी घाटी में पर्यटकों को उपलब्ध की गई सुविधाएं	Facilities Provided for tourists in Haldi Ghati . . .	107
9187	पाली में कार्य कर रहे छपाई तथा रंगाई उद्योगों से शिकायत	Complaint from printing and dyeing industries functioning in Pali . .	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9188	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की जांच के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to go into the working of Central Bank of India . .	108
9189	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं	Training facilities for Employees of Central Bank of India	108—110
9190	निर्यात के लिये जहाज उपलब्ध न होना	Non-availability of vessels for Exports .	110
9191	विमान की खरीद के लिये बिहार सरकार को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange released to Government of Bihar for purchase of Aircraft .	111
9192	अपने स्वामित्व का अंतरण करने वाली विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies changing hands .	111
9193	इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों को उपलब्ध सुविधाएं	Passenger amenities in Indian Airlines .	111—112
9194	पश्चिम बंगाल को सूखे के कारण दिये गये केन्द्रीय ऋण और अनुदान	Central loans and grants given to West Bengal due to drought .	113
9195	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank Aid for West Bengal and Maharashtra . .	113—115
9196	विदेशी कम्पनियों द्वारा धन भेजना	Remittances by Foreign Companies . .	116—117
9197	केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता नगर निगम को देय सेवा प्रभार	Service charges due to Municipal Corporation of Calcutta from Central Government . . .	118
9198	'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 1974 में भाग लेने वाले देशों को मेले में बिक्री के लिये माल आयात करने की अनुमति देना	Permission to Foreign participants to import Goods for sale at India International Trade Fair, 1974 .	118
9199	राजस्थान मे स्थापित किये गये पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres opened in Rajasthan . .	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9200	ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का उचित वितरण	Fair distribution of cloth in Rural Areas .	119
9201	नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by National and Grindlays Banks . .	120
9202	पश्चिम बंगाल में उत्पादित चाय से उत्पादन शुल्क की वसूली	Realisation of Excise Duty from Tea produced in West Bengal . . .	120—121
9203	पश्चिम बंगाल में गांजे का उत्पादन	Production of Ganga in West Bengal .	121—122
9204	फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इण्डिस्ट्रीज आफ इंडिया द्वारा 1974-75 में आयात नीति के मामले में बड़े उद्योग क्षेत्र के समान व्यवहार का अनुरोध	Federation of Association of Small Industries seeking equal treatment with the large Scale Sector in Import Policy for I974-75 . .	122
9205	राज्य व्यापार निगम द्वारा लघु साबुन निर्माताओं को बकरे की चर्बी की सप्लाई	Supply of Mutton Tallow to Small Scale Soap Manufacturers by STC .	122—123
9207	पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाना	Mobilisation of Additional Resources from Public Sector in Fifth Plan . .	123
9208	जमाकर्ताओं को भविष्य निधि के विवरण भेजा जाना	Sending of Provident fund Statements to Depositors . .	123—124
9209	सामान्य भविष्य निधि खातों के विवरणों में असंगतियां	Discrepancies in the Statements of G. P. F. Accounts . .	124—125
9210	सामान्य भविष्य निधि खातों के विवरणों को ठीक करने में विलम्ब	Delay in correcting Statement of G.P.F. Accounts . .	125
9211	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि	Arrears of Central Sales Tax in Madhya Pradesh . . .	125
9212	राज्य सरकारों द्वारा कृषि सम्पदा कर लगाना	Imposition of Agricultural Wealth Tax by State Governments	125—126

M/P(N)4LSS—2

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9213	मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने सम्बन्धी योजना	Scheme to attract Tourists to Madhya Pradesh . . .	126
9214	रिजर्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र के लोगों को ही लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिये चुना जाना	Selection of persons by Reserve Bank for appointment to Clerical Posts belonging to Maharashtra .	126—127
9215	त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, उड़ीसा और बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Tripura, Mizoram, Arunachal, Manipur, Assam, Nagaland, Orissa and Bihar .	127
9216	अफ्रीका से अपरिष्कृत काजू प्राप्त करने में भारत को होने वाली कठिनाइयां	Facing of difficulties by India in obtaining Raw Cashew Nuts from Africa .	127—128
9217	लाख का निर्यात	Export of Shellac .	128
9218	मफ़तलाल ग्रुप को लाइसैंस देना	Issuing of Licences to Mafatlal Group .	129
9219	कलकत्ता की विभिन्न पटसन मिलों में पटसन की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Jute Goods in various Jute Mills of Calcutta	129
9220	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना	Submission of a Memorandum by Central Government Employees . .	129—131
9221	भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग के लिये प्रस्ताव	Proposals for Econonomic Cooperation beween India and Japan . . .	131—132
9222	गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण	Construction of Hotels in Private Sector .	132
9223	चांदी के निर्यात में मूल्य से कम बीजक बनाना	Under invoicing in silver Export . .	132
9224	रूस से आयात	Imports from USSR .	132—133
9225	सरकारी क्षेत्र के संगठनो द्वारा बिल मार्किट योजना का उपयोग	Use of Bill Market Scheme by Public Sector Organisations	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9226	जीवन बीमा निगम की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers of LIC	133—134
9227	पांचवीं योजना के दौरान हथकरघा कपड़े का निर्यात	Export of Handloom during Fifth Five Year Plan . .	134
9228	कृषि पुनर्वित्त निगम से सहायता प्राप्त योजनाएं	Schemes helped by Agricultural Refinance Corporation . .	134—136
9229	बकरे की अर्ध-परिष्कृत खाल का रूस को निर्यात	Export of Semi processed Goat skin to Russia . . .	136—137
9230	मेरठ के निकट एक ट्रक से स्वर्ण बिस्कुटों का बरामद होना	Seizure of Gold Biscuits from a Truck near Meerut . . .	137—138
9231	1970—73 की अवधि के दौरान विभिन्न कारखानों में बैगनों का उत्पादन	Production of Wagons in different Factories during 1970—73	138—139
9232	मास्टर क्राफ्टसमैन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार	National Award for Master Craftsmen .	140
दिल्ली में प्रदर्शनों के बारे में		Re. Demonstrations in Delhi . . .	140—141
यू० एन० आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न		Question of Privilege against UNI . .	141—142
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . . .	142—144
पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी 'ङ' की कार्यवाही का सारांश **सभा-पटल पर रखा गया**		Synopsis of Proceedings of Committee 'E' on Draft Fifth Five Year Plan—*Laid* .	144
विधेयक पर अनुमति		Assent to Bill . .	145
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		Leave of Absence from the sittings of the House . . .	145
नियम समिति		Rules Committee—	
चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये		Fourth Report and Minutes—*Laid*	145

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges—	
9वां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	Ninth Report—*presented* . . .	145
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति–	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
25वां प्रतिवेदन–**प्रस्तुत**	Twenty-fifth Report—*presented* . .	146
"नयी दुनिया" को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किये गये आदेश के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Order issued by Chief Justice of Madhya Pradesh about Advertisements to 'Nai Duniya'—	
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	146
सभा का कार्य	Business of the House—	
श्री के० राघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	147—149
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
43वां प्रतिवेदन–**स्वीकृत**	Forty third Report—*adopted* . . .	149
संविधान (34वां) संशोधन विधेयक–**पुरःस्थापित**	Constitution (Thirty-Fourth) Amendment Bill—*Introduced* . . .	149—150
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce .	150
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde . . .	150
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan .	150—151
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	151
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	151
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	151—152

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	संविधान (35वां) संशोधन विधेयक–पुर:स्थापित	Constitution (Thirty Fifth) Amendment Bill—*Introduced*	
	पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce	
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	152
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	153
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	153
	श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan . .	153—154
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	154
	श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	154—155
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . . .	155—156
	वित्त विधेयक, 1974–	Finance Bill, 1974—	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	157
	श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	160—161
	श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar	161—162
	श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	162—163
	विधेयक–पुर:स्थापित–	Bills, Inotroduced—	
	(एक) उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त शक्तियों का प्रदान) विधेयक, 1974, श्री मधु लिमये का	Supreme Court (Conferment of Additional Powers) Bill by Shri Madhu Limaye . . .	163
	(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 (अनुच्छेद 145 का संशोधन) श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 145) by Shri Madhu Limaye . . .	163—164
	(तीन) न्यूनतम मजदूरी (सभी प्रकार के नियोजनों में) विधेयक, 1974, श्री विक्रम महाजन का	Minimum Wages (in all types of employment) Bill by Shri Vikram Mahajan .	164

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(चार) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974 (धारा 10क का प्रतिस्थापन) श्री डी० के० पंडा का		Essential Commodities (Amendment) Bill (Substitution of section 10A) by Shri D. K. Panda . .	164
(पांच) न्यायिक आफिसर परित्राण (निरसन) विधेयक, 1974, श्री डी० के० पंडा का		Judicial Officers protection (Repeal) Bill by Shri D. K. Panda .	165
(छः) कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1974 (धारा 90 का लोप) श्री मधु लिमये का		Companies (Amendment) Bill, 1974 (Omission of section 90) by Shri Madhu Limaye . . .	165
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 (नये अनुछेद 26क का अतंः स्थापन) श्री आर० पी० उलगनम्बी का		Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 26A) by Shri R. P. Ulaganambi . .	166
(आठ) निःशुल्क विधिक सहायता विधेयक, 1974 श्री डी० के० पंडा का		Free Legal Assistance Bill by Shri D. K. Panda . . .	166
(नौ) विदेशी स्वामित्वाधीन वागान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 श्री सी० के० चन्द्रप्पन का		Foreign Owned Plantations (Nationalisation) Bill by Shri C. K. Chandrappan . .	166
मातृवंश परम्परा विधेयक—		Mother's Lineage Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव		Motion to consider—	
श्री मूल चन्द डागा		Shri M. C. Daga . .	167
श्री एस० एम० बनर्जी		Shri S. M. Banerjee	167
श्री अमरनाथ विद्यालन्कार		Shri Amarnath Vidyalankar . .	167—168
श्री नीति राज सिंह चौधरी		Shri Nitiraj Singh Chaudhary . .	168
श्री मधु लिमये		Shri Madhu Limaye .	168—171
चीनी उद्योग के लिए दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिश विधेयक–		Second Wage Board Recommendation for Sugar Industry Bill—	
विचार करन का प्रस्ताव		Motion to consider	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	171—173
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	174
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	174—175
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar	175—176
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . . .	176—177
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	177
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali	177—178
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re. Half.-an-hour discussion . .	178

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 3 मई, 1974/13 वैशाख 1896 (शक)

Friday, May 3, 1974—Vaisakha 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

क्यूवा से ताम्बे का आयात

*935. †**श्री रानेन सेन :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा ने भारत को तांबा देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां तो इस पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस सौदे को अभी तक कार्यरूप क्यों नहीं दिया गया है ; और

(घ) क्यूबा के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) क्यूबा के साथ हमारे व्यापार का विस्तार करने म मुख्य बाधाएं ह, दोनों देशों के बीच अत्यधिक दूरी तथा पर्याप्त नौवहन सुविधाओं का अभाव । इन बाधाओं के दूर करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री रानेन सेन: इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि भारत में तांबे, निकल तथा सामरिक महत्व की अन्य वस्तुओं की कमी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए भारत सरकार द्वारा क्यूबा की सरकार के साथ कभी बात चीत की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

दूसरे, यह सत्य नहीं है कि हम ऐसे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं जो भारत के तट से काफी दूर स्थित हैं और उसके लिए हमारे समक्ष नौवहन सम्बन्धी कठिनाईयां भी हैं और यदि यह सच है तो मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या क्यूबा सरकार के साथ व्यापार न करने के लिए भारत सरकार पर अमरीका द्वारा दबाव डाला जा रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमें जानकारी है क्यूबा द्वारा निकल के अतिरिक्त तांबे या किसी भी अलौह धातु का निर्यात नहीं किया जाता है। जब हाल ही क्यूबा का प्रतिनिधि मंडल भारत आया तो भी उन्होंने निकल की अस्थाई और सिन्टर आदि किस्मों की पेशकश की। इसके अतिरिक्त, हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्यूबा द्वारा तांबे का भी निर्यात किया जाता है।

जहां तक क्यूबा और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने की बात है, उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि क्यूबा जैसे मित्र देश के साथ मित्रता न बनाये रखने के लिए कोई भी देश हमारे पर दबाव नहीं डाल सकता। परन्तु वास्तविक बात यह है कि नौवहन सम्बन्धी कठिनाईयों के अतिरिक्त, दूसरी बात यह है कि क्यूबा द्वारा भारत को केवल चीनी तम्बाकू तथा कृषि पर आधारित पदार्थ ही दिये जा सकते हैं जिनका कि भारत में भी काफी उत्पादन किया जाता है। हम इन वस्तुओं का आयात नहीं करना चाहते।

श्री रानन सेन : निकल के बारे में आपने कुछ नहीं बताया :

श्री ए० सी० जार्ज : निकल का उपयोग मिश्र इस्पात कारखाने में किया जा सकता है और इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री रानैन सैन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्यूबा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इसकी पेशकश की गई थी--उन्होंने भारत को निकल का निर्यात करने की पेशकश की थी परन्तु भारत सरकार ने उस पेशकश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था उन्होंने इसके लिए कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि निकल जैसे पदार्थ को, जिसकी भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य भागों में भी कमी है, लेने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमने निकल का आयात करने से इन्कार नहीं किया है। वास्तव में इसके परीक्षण हेतु कुछ मात्रा के लिए दो महीने पूर्व ही आयात लाइसैंस जारी कर दिया गया था। दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र द्वारा ईसका परित्रण किया जा रहा है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि व्यापार विस्तार के मार्ग में कुछ कठिनाईयां हैं, यथा उपयुक्त नौवहन सुविधाओं का अभाव तथा अत्याधिक दूरी, आदि। सरकार द्वारा इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : इन देशों के साथ नौवहन सेवाओं तथा अन्य परिवहन सुविधाओं में सुधार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ ही महीने पूर्व तक उच्च शक्ति सम्पन्न प्रतिनिधिमण्डल द्वारा लैटेन अमरीकी देशों का दौरा किया गया था। इसके लिए निश्चयात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं (कैनेलाइज्ड आईटम्स) के निर्यात में निर्यात गृहों को हिस्सा देना

*936. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री में निर्यात गृहों को हिस्सा देने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये स्थापित समिति के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है और जब तक यह प्राप्त हो जायेगा तो क्या मंत्री महोदय सदन को उसकी सिफारिशों से अवगत करायेंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्रतिवेदन के अन्तिम रूप के शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है । जब भी सरकार द्वारा इन सिफारिशों का अध्ययन कर लिया जायेगा, उन्हें हम सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री पी० वेंकटासुब्बाया : क्या यह सच है कि पूर्व यूरोपीय देशों, विशेषतया सोवियत संघ द्वारा कुछ निजी व्यापार गृहों से सीधे तम्बाकू खरीदा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस मद को भी राज्य व्यापार निगम की सूची में शामिल करने का है ताकि इसके बारे में भी राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधे ही निर्णय किया जा सके ?

श्री ए० सी० जार्ज : सोवियत संघ द्वारा निजी क्षेत्र के निर्यात कर्त्ताओं तथा राज्य व्यापार निगम दोनों के माध्यम से भारत से तम्बाकू खरीदा जा रहा है ।

Shri Shankar Dayal Singh : The export of mica was started by M.M.T.C in January, 1972. May I know from the hon. Minister if any ratio has been fixed that such and such quantity will be exported by M.M.T.C. and the private exporters respectively.

श्री ए० सी० जार्ज : तयार किये गये और परिस्कृत अभ्रक में अन्तर है । परिस्कृत अभ्रक का निर्यात 70 : 30 के अनुपात से किया जाता है । 70 प्रतिशत निजी निर्यात कर्त्ताओं द्वारा और 30 प्रतिशत एम० एम० टी० सी० द्वारा ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी निर्यात कर्त्ताओं द्वारा उठाये गये लाभ का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया जाता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमें इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र के कुछ बड़े बड़े निर्यातकर्त्ताओं द्वारा विदेश व्यापार के माध्यम से कमाये गये लाभ का उपयोग कुछ राजनीतिक दलों की सहायतार्थ किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

*937. †**श्री शशि भूषण**
श्री नवल किशोर सिंह

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में काम करने वाली किसी विदेशी कम्पनी नें सरकार को सूचित किया है कि वह भारतीय पूंजी निदेश नहीं चाहती ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उपरोक्त इनकार के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) क्या भारत में काम करने वाली उन सभी विदेशी कम्पनियों को जो भारतीय पूंजी निवेश स्वीकार नहीं करती जैसा कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, देश में अपना कारोबार बन्द करने के लिए कहा जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम 1973 के अधीन विदेशी कम्पनियों के लिये यह जरूरी है कि वे अपनी मजूदा व्यापारिक, गतिविधियों को जारी रखने के लिए, चाहे वे, वाणिज्यिक हों या व्यापारिक, भारतीय रिजर्व बक की अनुमति प्राप्त करें। बैंक के पासआ वेदन पत्र भेजने की अन्तिम तारीख 30 जून, 1974 है। बक को आवेदन पत्र मिलने शुरु हो गये हैं जिनकी आजकल जांच की जा रही है। इन आवेदन पत्रों के बारे में निश्चय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन, 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तो के अनुसार किया जायगा। इसलिए बैंक द्वारा किसी विदेशी कम्पनी से यह कहने का कि वह भारतीय हिस्सेदारी में वृद्धि करे और उस कम्पनी द्वारा इससे इन्कार करने का सवाल ही अभी पैदा नहीं हुआ है ।

Shri Shashi Bhushan : Is it a fact that some foreign companies are reluctant to effect half or one third Indian participation with them ? What will be the Governments attitude towards the Companies who fail to submit their applications for their Indianisations within the stipulated time ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे मामलों में हम वहीं करेंगे जो अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त होगा। हम अपनी स्वैच्छा से कुछ नहीं करेंगे ऐसा करना तो हमारा सांविधिक धर्म होगा । यदि वह वर्तमान अधिनियम और उसकी अनिवार्यताओं के अनुसार कुछ नहीं करते तो हम अधिनियम के उपयुक्त उपबन्धो के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

Shri Shashi Bhushan : This restriction was imposed by the Government for the fact that these firms should be Indianised to the maximum and the

repatriation of foreign exchange could be stopped. How is it that the General Motors and other companies have again been permitted to function in India ? What steps are being taken by the Government for the maximum Indianisation of such firms ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे यह मालूम नहीं है कि और क्या कुछ किया जा सकता है। परन्तु मैं मानवीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कानून की कियान्विति उसकी भावना के अनुसार ही की जायेगी। सरकार ने अभी विशिष्ट कार्यवाही संसद् की अनुमति के साथ की है।

श्री के० गोपाल : विदेशी कम्पनियों से सम्बद्ध पुनरीक्षित नियमों के अनुसार उन्हें भारतीय भागीदारी की अनुमति दे दी गई है और विदेशी साम्यपूंजी को घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। भारतीय साम्यपूंजी की प्रतिशतता में वृद्धि करने की अपेक्षा मैं उनसे यह जानना चाहत हूं कि क्या उन्हें अपनी साम्यपूंजी भारतीयों को बेचने के लिए कहा जायेगा ताकि देश से बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा को कम किया जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विदेशी पूंजी के लगातार भारतीय करण का तात्पर्य तो यही होगा।

श्री के० गोपाल : आप उन्हें विदेशी साम्य पूंजी भारतीयों को बेच कर उसे कम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें साम्यपूंजी बेचने के लिये नहीं कहा जायेगा। कुछ मामलों में उन्हें इसे बेचना ही पड़ेगा।

श्री भगवत झा आजाद : मंत्री महोदय के इस आश्वासन की सराहना करते हुये कि विदेशी कम्पनियों के भारतीयकरण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, मैं इसी प्रश्न के संदर्भ में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जनरल मोटर्ज के प्रस्ताव पर विचार करना और उन्हें हिन्दुस्तान मोटर्ज में 30 प्रतिशत साम्यपूंजी के शेयर देना और इस प्रकार भारतीय कम्पनियों की विदेशी बनाने की बात को कैसे स्वीकार कर लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पूरा ब्योरा जाने बिना किसी मामले के बारे में अचानक कुछ बताना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : विदेशी कम्पनियों को भारतीय हिस्सेदारी स्वीकार करनी ही पड़ेगी इस सम्बन्ध में जो कानून बनाया गया है, उसके संदर्भ मे मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान कानून के अनुसार कितनी विदेशी कम्पनियों ने इसे स्वीकार करते हुये अपने प्रार्थना पत्र दे दिये है और उनमें भारतीय भागीदारी की प्रातिशता कितनी होगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30 जून रखी गई है। अब तक 68 कम्पनियों ने अपने प्रार्थनापत्र दे दिये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। जब तक यह निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यह कहना कठिन है कि अन्य लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वह सम्भवतः आगे ऐसा कर दें।

टाटा समिति की सिफारिशों पर निर्णय

*940. **श्री प्रबोध चन्द्र** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन विभाग के पुनर्गठन सबंधी टाटा समिति ने नागर विमानन के महानिदेशक के नियंत्रण से मुक्त विमान दुर्घटना जांच आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां , तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने का कार्य अब नागर विमानन के महानिदेशक का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिये, अपितु पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में दुर्घटना जांच आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये जो सीधे मंत्री महोदय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस सिफारिश पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह समिति कब गठित की गई थी; हमने कब अपना प्रतिवेदन पेश किया और उस पर निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री राजबहादुर : प्रतिवेदन प्रथम मार्च, 1974 को पेश किया गया था और उस पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

Scheme to Ensure Remunerative Prices to Jute Producers.

*941. **Shri Bibhuti Mishra** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether finished jute of Bihar, Assam, Darjeeling, Malda and other areas is sold at cheap prices;

(b) Whether transport facilities from these places to Calcutta are not available; and

(c) If so, the scheme being formulated by Government for 1964 to ensure that jute producers get remunerative price for their jute ?

वाणिजय मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) विशेषत: बाढ़ जैसे कराणों से सिस्टम बिगड़ जाने पर परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के परिणामस्वरूप इन राज्यों के अधिक दूरवर्ती मार्गों में पटसन की किमतें घटने लगती है। फिर भी सरकार अनेक उपाय करती रही है जिनमें ऋण सुविधाओं में सुधार, भाडागारण, परिवहन, नियमित बाजारों की स्थापना, सहकारी समितियों को सुदृढ़ करना और भारतीय पटसन निगम की अवस्थापना शामिल है। ऐसी संभावना है कि इन उपायों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I seek your protection. You please read my question as well as this reply. My question is whether finished fate of Bihar, Assam, Darjeeling, Malda and other areas is sold at cheap prices. Also, I have

asked whether transport facilities from these places to Calcutta are not available. The reply does not include the answer thereto. The places are located on narrow gauge line. Only floods are not the main factor, they are on narrow gauge line. Let the Government state whether they would purchase it and carry it to Calcutta ? They have not replied to that. I want to know whether the Corporation formed by the Government would or would not purchase the Jute directly from the farmers and transport it to Calcutta ?

My Second question is as to what Scheme is being formulated to keep the prices of Jute remunerative during 1974 ? They have not replied to that also. The hon. Minister comes from the biggest Jute growing area. We are his small partners . Let me have a reply thereto.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस प्रश्न का उतर पहले ही दे चुका हूं, चाहे वह सामान्य रूप से दे दिया गया हो । उत्तर बिहार आसाम तथा उत्तर बंगाल के पटसन उपादित क्षेत्रों के कलकत्ता से दूर होने के कारण उन्हें इस प्रकार मूल्यों का लाभ नहीं मिल रहा है जो कि दक्षिण बंगाल के लोगों को मिल रहा है । इसी लिये मैंने कहा है कि यह सब परिवहन की कठिनाई के कारण होता है । हम भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गये पटसन के सामान के लिये रेलवे में उच्च प्रायावक्ता वाली श्रेणी 'ख' प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु हम देबे फ में मुकद्दमा चल जाने के कारण न्यायलय ने इसे रोक दिया है। आप जानते ही है कि तीन प्राथमिकतायें हैं । मैं परिवहन की कठिनाई का जीक्र कर चुका हूं जिसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । ऋण संबंधी कठिनाईयां भी हैं । दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक सुविदायें नहीं हैं । वहां विभागीय क्रम केन्द्र भी नहीं हैं । ये कठिनाईयां हैं । इनको दूर करने के लिये हमने हाल ही में यह निर्णय किया है कि आसाम में दो जूट मिलें हों उत्तर बिहार में एक है और दूसरा भी स्थापित हो जायेगा । हम इस पर विचार कर रहे हैं । ये सभी कायवाहियां हम पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में जूट उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देने के लिये कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, I invite you to visit those areas in Bhadra morth to see for yourself as to how Jute is processed. I will bear the expenses of your visit. During British period, the price of one maund of jute was given equal to that of 3 maunds of paddy. It become equal to that of 2 maunds when we took over. Now the hon. Minister has fixed the prices of one maund of jute equal to that of one maund of paddy.

Prof. Madhu Dandvate : Is he Speaking Jute or "Jooth" ?

Shri Bibhuti Mishra : "Jooth" (a lie) you speak, I have got a copy of a Statement by the hon. Minister in which he has stated that since the production of Jute has gone up. Its price should be reduced in 1930, the Britishers had raised the boggey that Jute had not remained in demand as a result of synthetics coming into use. Even today, the Jute press of this country has been saying the same thing so that the Jute could be purchased at cheapest rates. The Government are also repeating the same thing. I want to know as to what prices do the Government wants to fix for Jute and what would be its ratio with that of paddy. Oil seeds or pulse seeds are not grown where Jute is grown. The finance Minister earns about Rs. 200 crores as foreign exchange through Jute export. I want to know what steps are being taken to provide remunerative prices to the farmers ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं यह देख रहा था कि बिहार की सहकारितायों वस्तुतः किन दामों पर जूट खरीद रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये नियत किया गया था। एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिये 120 रूपये दिये गये आधारभूत आवश्यक ढांचे के पर्याप्त न होने के कारण कई बार सहकारितायों के लिये भी हमेशा यह संभव नहीं होता कि वे प्रारम्भिक मण्डी तक ही पहुंच सकें। इनके पास स्तर निर्धारण या गांठें बनाने की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। उनकी भी कठिनाईयां हैं। मुझ पता है कि प्रारम्भिक मणिडयों में जूट उत्पादकों को कुछ मामलों में नामप्रद नहीं मिल रहे हैं। अतः हम इस मामला पर विचार कर रहे हैं। जो उपाय हम कर रहे हैं उनका मैं ने जिक्र किया है।

तीन या चार दिन पहले मैं ने जूट उत्पादक राज्यों के साथ एक बैठक की थी जिनमें बिहार सरकार के सहकारिता विभाग अत्यन्त वरिष्ठि आधिकारियों ने भी भाग लिया था। इस समस्या को हल करने के लिये मैं ने कल विहार के उद्योग मंत्री से भी बातचीत की थी मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जब तक विदेश रुप से आसाम और बिहार में सहकारिता ढांचे—बिहार में तो है ही नहीं और आसाम में नगण्य है—को सुदृड़ नहीं किया जाता, केवल पटसन निगम के माध्यम से हम जूट उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिला सकते फिर भी हम विभागीय क्रय केन्द्रों की संख्या हम इस वर्ष 30 से अगले मौसम में 100 तक बढ़ा रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : I have asked about the ratio between the prices of Jute and paddy. The "Sanatan Dharami" prices were : 3 Maunds of paddy equal to one maund of Jute. Now they are at par. The hon. Minister has not stated as to what would be the ratio.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : शायद वह बाढ़ समिति के 1940 के प्रतिवेदन का जिक्र कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : आप को स्पष्ट रुप से यह उत्तर देना चाहिये कि यह एक पुराना फार्मुला था जोकि आज लागू नहीं है। वरना वह फिर खड़े हो जायेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जूट और खाद्यानों के मूल्यों में समय समय पर अन्तर होता रहता है। म कोई निश्चित समय पर अन्तर समानता या अनुपात तो तय नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर उत्तर तो यह होता कि अग्रेंजों का फार्मूला अंग्रेजो के साथ गया।

Shri Ramavtar Shastri : Is it time that the production of Jute has fallen because remunerative prices are not given to the growers ? If so, what measures have been taken by the Government to check the fall in Jute cultivation ? The hon. Minister has referred to the cooperatives. But to my information, those cooperatives are not paying even those prices which have been fixed by the Government. What action is being taken to ensure that the co-operatives pay at least the fixed prices ?

श्री० डी० पी० चट्टोपाध्याय : गत वर्ष कृषि मूल्य आयोग ने प्रति किंवंटल 125 रूपये न्यूनतम मूल्य का सुझाव दिया था। परन्तु हमनें अपनी ओर से, कलकत्ता में पहूंचने का 157 रूपये प्रति किवटल देने का सुझाव दिया। हमने कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्य से 32 रूपये अधिक दने का जो निर्णय किया उससे ही सपष्ट है कि हम जूट के उचित दाम देना चाहते हैं। परन्तु यह सच है कि यह उचित मूल्य भी प्रारंम्भिक जूट मंडियों में नहीं मिला

परन्तु फिर भी मैं यहां कह रहा हूं कि इन कठिनाईयों के बाबजूद, जूट उत्पादकों को सबसे अच्छे दाम मिले और औसतन उन्हें 161 रूपये प्रति क्विंटल प्राप्त हुए ।

Shri R.P. Yadav : In the market of Bihar, the prices of Jute today is Rs. 20 to 30 a maund, whereas every thing else is becoming costlier. In such circumstances the farmers start thinking whether they should cultivate Jute of not. In this context, I had written a letter to the hon. Minister to the effect that the officials of the J.C.I. prefer to purchase Jute from the Marwaris instead from the farmers . May I know whether he is going to take steps to ensure remunerative prices to the Jute growers and not to depend upon the middlemen ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने कहा है जब तक हम सहकारिता ढ़ांचे को सुदृढ़ नहीं कर पायेंगे, उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं दिला सकेगें , और उसके लिये हम प्रयास कर रहें है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय आसाम को दो पटसन मिलें दे रहें है , यह जानकर कि आसाम दूसरा सबसें बड़ा जूट उत्पादक प्रदेश है : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम में कितने जूट मिलों की क्षमता है : दूसरे हम तथ्य की दृष्टि से कि उस क्षेत्र में जूट निगम का आस्तित्व ही अनुभव नहीं किया गया तो उन क्षेत्रों में कोई संगठित मण्डी स्थापित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है :।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जो संभावन संभाव्यता अध्ययन किया गया था उसमें तो यह सुझाव था कि इस समय आसम में केवल एक जूट मिल खोला जाना चाहिये । परन्तु हमनें गहराई में विचार किया और आसाम का आरम्भ से ही मिल देने का निर्माण किया । इसी क्षेत्र में मिलों की संख्या का निश्चय केवल वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर ही नहीं किया जाता । आधारभूत आवश्यक ढ़ांचे संबंधी अन्य सुविधायें भी विचाराधीन होनी चाहिये अतः हमें वहां की आवश्यकता का पूरा पूरा पता है । और इसी लिये हमने दो मिलें दी है । इसके अतिरिक्त, एक मिल मेघालय को भी दिया गया है जहां आंशिक रूप से, यदि मूल्य रूप से नहीं तो, आसाम से ही पटसन खरीदा जायेगा इस प्रकार आसाम को मेघालय में खुलने वाले मिल का भी लाभ पहुंचेगा ।

Shri Chiranjit Jha : The hon. Minister in reply to a question from Shri R.P. Yadav, has said that he is arranging for purchase of Jute from the farmers through the cooperatives and in this way the farmers would be able to get a fair price. May I know whether the cooperatives have been getting fair prices from the Corporation ? Since I belong to that areas. I am in the know of all these things. What the Corporation pays to the traders, it does not pay the same price to the cooperatives for the same quality of Jute. There is another difficulty. The cooperatives have got a very limited funds and so when once they make purchases they can't go for another purchase until the corporation makes payment for the earlier purchases, because they do not find money to pay to the farmers.

Mr. Speaker : Please do not make a speech. Put your question

Shri Chiranjib Jha : I want to know that since the corporation is not paying a fair price to the cooperatives and is playing in the hands of middlemen. I have written letters but no action has been taken.

Shankar Dayal Singh : Please read out the letter.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : खरीदे गए पटसन का 95 प्रतिशत मूल्य भारतीय पटसन निगम द्वारा दिया गया है । विशिष्ट शिकायतों के बिना, मैं यह आरोप स्वीकार नहीं कर सकता कि पटसन निगम सहकारी समितियों से उचित मूल्य पर नही खरीद रहा और इसकी कोई मूल्य नीति नहीं है ।

Shri Chiranjib Jha : In this regard, I will give specific cases to the hon. Minister in which such arrangement has been made. I would like the hon. Minister to take appropriate action against such officers of the Corporation.

Shri Shankar Dayal Singh : Reply given by the hon. Minister is not satisfactory.

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महीदय ने सहकारी समितियों के कार्य निष्पादन पर जोर दिया है । क्या यह सच है कि जिन सहकारी समितियों से पटसन खरीदा गया था, उन्हें अभी तक भारतीय पटसन निगम से धन नहीं मिला है और कई बार शिकायतें भी दर्ज की गई हैं और मंत्री महोदय भी यह बात जानते है ।

वक्तव्य में कहा गया है कि बाढ़ इत्यादि कारणों तथा परिवहन कठिनाइयों के कारण छोटी मंडियों में पटसन का मूल्य नही बढ़ा क्योंकि भारतिय पटसन निगम खरीद नहीं कर सका । इस संदर्भ में, मैं पूछना चाहता हूं कि निगम ने विभिन्न छोटी मंड़ीयों से कितना पटसन खरीदा ।

तीसरे, मंत्री महोदय ने बताया कि कार्यवाही के रूप में, भारतीय पटसन निगम द्वारा मूलभूत ढांचे को और मजबूत बनाया जाएगा इसके परिणामस्वरूप भी स्थिति सुधरने की सम्भावना है । मंत्री महोदय के इस कथन का तात्पर्य क्या है कि भारतीय पटसन निगम द्वारा मूलभूत ढ़ांचे की सुविधायें दी जायेंगी क्योंकि यह निगम गत दो वर्षों से काम कर रहा है और यदि इस अवधि में मूलभूत ढ़ांचा नहीं बनाया जा सका तो यह कब बनाया जायेगा ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही बता चूका हूं कि कुल खरीदे गय पटसन का 90 प्रतिशत मूल्य पटसन निगम सहकारि समितियों को देता है । अतः यह कहना सही नहीं है कि सहकारी समितियों को भारतीय पटसन निगम से सहायता नहीं मिलती । उन्हें सहायता मिल रही है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्री महोदय को इस बारें में पश्चिम बंगाल के मंत्री से एक पत्र मिला है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे माननीय सदस्य और मंत्रीयों से कई पत्र मिल रहें हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह एक विशिष्ट प्रश्न है । उनका यह कहने का क्या अभिप्राय है कि उन्हें कई पत्र मिल रहें है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मंत्री महोदय से मुझे कई पत्र मिले हैं । तभी तो मैंने बताया कि पहले 90 प्रतिशत राशि दी जाती थी और अब 95 प्रतिशत राशि दी जाती है ।

तीसरे, हमारे पास पर्याप्त विभागीय क्रय केन्द्र नहीं है । फिर भी, 2 वर्षों के दौरान पहले वर्ष में 30 क्रय केन्द्र खोले गए और दूसरे वर्ष यह संख्या 100 हो गई । मूलभूत ढ़ांचें से मेरा अभिप्राय यह है कि ऋण सुविधायें, क्रय सुविधांयें तथा परिवहन सुविधायें बढ़ रही हैं । इस समय हमारे देश में ऋण सम्बन्धी कठिनाइयां है ।

Shri Jagannath Mishra : Mr. Speaker, Sir, Government's responsibility is not confined to the fixation of prices, it has also to ensure fair price to the farmers. I would like to know the difficulties in the way of Government to ensure fair price to farmers, eliminate middlemer and monoply purchase by the Government ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहली ही बता चूका हूं कि पटसन उत्पादकों को प्रारम्भिक प्राथमिक स्तर पर उचित मूल्य दिलावाने के लिये विभागीय क्रय केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने के अतिरिक्त सहकारी समितियों की संख्या भी बढ़ानी होगी । इसके बिना काम नहीं चल सकता । इसलिये, मैं राज्य सरकारों पर दबाब डाल रहा हूं और कुछ दिन पहले हमने एक बठक भी बुलाई थी ।

श्री तरुण गोगोई : चावल, गेहूं अथवा दालों के बारें में सहकारी समितियां न होते हुए भी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है, फिर पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल रहा ?

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न को विभिन्न प्रकार से पुछा जा रहा है । माननीय सदस्य आसाम के है, इसलिये मैं उन्हें बोलने का अवसर दे रहा हूं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : चूंकि, भारतीय पटसन निगम की क्रय शक्ति सीमित है अतः खुले बाजार में भाव निर्धारण क बहुत अवसर होते हैं । इसलिए, भरपूर उत्पादन के वर्ष में जब हम उतना ही खरीद पाते हैं । जितने की कि मिल के लियें आवश्यक्ता होती है तो इस मन्दी के लिये बाजार भाव जिम्मेंवार होता है ।

डा० रानेन सेन : यदि सरकार की यही नीति है तो अगले वर्ष आसाम में और न पश्चिम बंगाल अथवा उड़ीसा में पटसन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० आर० पटेल–अनुपस्थित ।

डा० कर्ण सिंह–अनुपस्थित ।

जीवन बीमा निगम में हाल में वेतन मानों के पुनरीक्षण के फलस्वरुप श्रेणी एक के अधिकारियों तथा क्लर्कों के मजूरी ढांचे में उत्पन्न विषमताएं

*944. **श्री लक्ष्मीनारायण पान्डेय** :

श्री झारखंडे राय :

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा

सेवा की अन्य शर्तों के हाल में हुए पुनरीक्षण के कारण श्रेणी एक के अधिकारियों तथा क्लर्कों के मजूरी ढांचे में विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन विषमताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम इस मामले पर विचार कर रहा है ।

Dr. Laxminarain Pandeya : What are the points which have been raised about pay scales and service conditions of clerks and officers of L.I.C. and what time is likely to be taken by the corporation to finalise them ?

Shrimati Sushila Rohtagi : A meeting was called in which officers of L.I.C. participated and L.I.C. had made certain offers but they were not accepted and they are being considered and another meeting is likely to take place in the last days of the month.

Dr. Laxminarain Pandeya : I had asked about anomolies in the pay scales and service conditions of clerks and officers of L.I.C. The hon. Minister has stated that meeting will take place. I would like to know when the meeting will take place to decide the case early ?

Shrimati Sushila Rohtagi : The main question is how to remove the anomaly regarding class III and class IV officers and to consider the matter. L.I.C. has made an offer and this offer still stands.

Dr. Laxminarain Pandeya : By what time it will be decided ?

Shrimati Sushila Rohtagi : A meeting was held during the last days of April and another meeting is going to take place.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि श्रेणी चार, तीन तथा दो के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किए गए निर्णयों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ? यदि क्रियान्वित कर दिया गया है तो क्या उसे उसी रूप में क्रियान्वित करने के बारे में जीवन बीमा निगम को आदेश जारी किए गए हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य ने 24 जनवरी के करार का हवाला दिया है जिसमें संशोधित वेतनमान दिए गए थे । जीवन बीमा निगम ने इसे स्वीकार कर लिया था और यह भी पता लगाया जा चुका है कि इस पर 6 करोड़ रुपये व्यय होंगे । जीवन बीमा निगम ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है ?

श्रीमती सुशील रोहतगी : क्रियान्वयन हो रहा है । जीवन बीमा निगम ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित ऊनी चीथड़ों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना

*945. †**श्री अनादि चरण दास :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, चीथड़ों के आयात के लिये आयात लाइसेंस देने की शर्तों के अनुसार ऊनी चीथड़ों का ऐसे स्थानों पर जहां से वे भेजे जाते हैं और जहाजों में लादे जाने से पूर्व पूरी तरह चीर फाड़ किये बिना आयात करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इन चीथड़ों की लगभग 5 करोड़ रुपये के मूल्य के करीब 9,000 गांठें रोक ली थीं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य व्यापार निगम ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण अभिकरण से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था जिसमें चीथड़ों के कटा फटा किये जाने का प्रमाण दिया गया था। तथापि, चिथड़ों के कुछ परेक्षण सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा रोक लिये गये हैं क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर यह पता चला कि कुछ गांठों में चिथड़े 100 प्रतिशत कटे फटे नहीं थे ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि 65 लाख रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य का माल पहुंच गया है जिसके अन्तर्गत 10,000 से 12,000 तक गांठें हैं और इन परेषणों में से अधिकांश सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा रोक ली गई हैं ।

श्री अनादि चरण दास : इस उत्तर से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण अभिकरण गलत प्रमाण पत्र दे रहा है। इसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्राधिकरण और अभिकरण सही प्रमाण पत्र दें, इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अथवा भारत को चिथड़ों का निर्यात कर रहे देशों का चिथड़ों और कटे फटे चिथड़ों सम्बन्धी विचार हमारी आवश्यक विशिष्टियों से कुछ अलग है और यही कारण है कि हमारी आवश्यकता और उनके कार्य निष्पादन में अन्तर है हम इन पहलूओं की ओर अच्छी तरह से उनका ध्यान दिला रहे हैं और भविष्य में हम ध्यान रखेंगे कि हमारी विशिष्टियों का पालन किया जा रहा है और वस्तुत: चिथड़े शत प्रतिशत कटे फटे आ रहे हैं।

श्री अनादि चरण दास : अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण अभिकरण के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम अपनी आवश्यकतायें बताते हैं कि चिथड़ों को निर्यात करने से पूर्व इन्हें शत प्रतिशत रूप से फाड़ दिया जाना चाहिये ।

श्री वसन्त साठे : लगभग एक वर्ष पहले यह गिरोह शुरू हुआ। वस्तुत: चिथड़ों के नाम में कपड़े आने और इन्हें चोर बाजारी में बेचा गया। राज्य व्यापार निगम पर पूरी तरह से यह जिमेवारी आती है। राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त अन्य कोई भी चिथड़ों का आयात नहीं कर सकता है।

अब मैं उनसे एक बात जानना चाहत हूं। जब आप अपनी विशिष्टियों—अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्य देशों के अनुसार नहीं—के अनुसार सौ प्रतिशत कटे फटे चिथड़े चाहते हैं तो राज्य व्यापार निगम द्वारा स्वयं ही चिथड़ों को फाड़ने के कार्य को करने में और सुनिश्चित करने में कि पूरी तरह से चिथड़ों का कटा फटा स्टाक उनकी रद्दी से कपड़ा बनाने वाले उद्योग एक को मिले क्या बाधा है। इस समय एक ओर वित्त मंत्रालय के अधीन उत्पाद-शुल्क के इंचार्ज सीमा शुल्क प्राधिकारियों और दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय के बीच लगभग 18,000 गांठों के बारे में विवाद चल रहा है जो सीमा शुल्क विभाग द्वारा रोक ली गई हैं। इसका अर्थ है कि ऊन की रद्दी से कपड़ा बनाने वाले सभस्त उद्योग का लगभग छः महीनों से अधिक का यह कच्चा माल है जो लगभग 6,000 कर्मचारियों को बेरोजगार बना देगा। इस समस्या को आपस में हल क्यों नहीं कर लेते हैं।

मैं मंत्री महोदाय से इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। दिनांक 9 अप्रैल, 1974 के 'इकानामिक टाइम्स' में—यह आपके नोटिस में भी अवश्य आया होगा—समाचार छपा है और इसे मैं उद्धृत करता हूं :

"आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के प्रभाव के जरिये वाणिज्य मंत्रालय ने उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड से चिथड़ों को फाड़े जाने और अवरोध प्रमाण पत्र के जारी करने के बाद माल को छोड़ देने की सिफारिश की है।"

यह मामला रुका पड़ा है क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा इस बारे में एक अलग तरह का रुख अपनाये जाने का समाचार है और इस गतिरोध को दूर करने के लिये इसने अपनी असमर्थता व्यक्त की है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आप इसको हल क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं विशिष्ट उत्तर जानना चाहता हूं। आप ने अधिकारियों के एक संयुक्त निरीक्षण दल को पहले से ही नियुक्त किया हुआ है मैं इस बारे में विस्तृत उत्तर जानाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : भाषण मत करें। यह एक अत्यन्ता साधारण प्रश्न है। सीमा-शुल्क विभाग द्वारा माल को छोड़ने मे विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री वसन्त साठे : ठीक है प्रश्न का भाग (ख)। क्या अप्रैल के महीने में आपके द्वारा गठित किये गये संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट आपको मिल गई है जो जून में प्राप्त होनी थी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट एक अथवा दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जो राज्य व्यापार निगम की भमिका के बारे में है।

कुछ अनियमिततायें हमारे नोटिस में आई और इसलिये, मई, 1972 से ऊनी चिथड़ों के आयात की अनुमति ऊन की रद्दी से कम्बल बनाने वाले उद्योग को छोड़ कर किसी दूसरे उद्योग को नहीं दी जाती है। इस प्रकार कुछ सावधानी पहले ही बरती गई है। दूसरे, सामने ऐसे चिथड़ों के आयात की अनुमति नहीं दी है अथवा माल नहीं छोड़ा है जो सीमा-शुल्क विभाग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार, कुछ भी माल बाजार में नहीं पहुंच पाया है क्योंकि सीमा-शुल्क

विभाग ने, ठीक ही इसे रोक रखा क्योंकि ये उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के बीच विवाद अथवा मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है। वस्तुतः हम निकटतम संभव सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और 16 अप्रैल को मुझे अपने मित्र, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री के० आर० गणेश से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने चिथड़ों के मामलों पर चर्चा की। हमने स्थाई हल ढूंढ लिया है और उस माल के बारे में भी जो इस समय रुका हुआ है, हल खोज निकाला है। यह निर्णय किया गया है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की निरन्तर निगरानी के अधीन कपड़ा आयुक्त कार्यालय और आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण में इन चिथड़ों को फाड़ा जायेगा।

इस प्रकार, इस मामले में निर्णय करना है। और वह निर्णय ले लिया गया है। तथा भविष्य में आने वाले अन्य सभी माल के बारे में हम यह देखेंगे कि वस्तुतः माल को छोड़ने से पूर्व यह सौ प्रतिशत फटा हुआ हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, there have been so many scandals in our country and out of those rags scandal is also a serious scandal. May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that there is no arrangement at ports for rags mutation, these rags are mutilated just to complete formality and are released without proper mutilation ? Has anyone gone at the port to witness the rags mutilation ? Release it to them without mutilation. when customs authorities do not mutilate properly then why do they pose cent percent mutilation done ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कुछ अनियमितताये हमारे नोटिस में लायी गयी हैं और यही कारण है कि मई, 1972 से ऊन की रद्दी से कम्बल बनाने वाले उद्योग को छोड़ कर किसी अन्य उद्योग को ऊनी चिथड़ो का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन चिथड़ों के कटे फटे होने के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूं। वह बात यह है कि विदेशों में 'चिथड़ों' की विभिन्न तरिकों से परिभाषा की गई है। कुछ शब्दकोषों में रद्दी कपड़े (वेस्ट क्लाथ) की परिभाषा 'चिथड़ों' के रूप में की गई है। अतः विदेशी निरीक्षण परिषदों द्वारा कभी कभी इन चिथड़ों को इस प्रकार से फाड़ दिया जाता है कि हमारे देश में फिर भी गरीब लोगों के लिये ये चिथड़े उपयोगी बने रहते हैं। हम अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं और यह देखेंगे कि ये चिथड़े सौ प्रतिशत कटे फटे हों। मेरे विचार से सम्बन्धी घटना है, इसमें कोई घोटाला नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्रीमान्, लुधियाना स्थित ऊन की रद्दी से कपड़ा बनाने वाला उद्योग और अमृतसर में ऊन की रद्दी से कम्बल बनाने वाला उद्योग इस माल का उपयोग कर रहे हैं और यह गांठें पिछले तीन-चार महीनों से बम्बई पत्तन में पड़ी हुई हैं। इन गांठों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस मामले में निर्णय लेने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है जब कि उद्योग पीड़ित है ? दूसरे इस माल को छोड़ने में और कितना समय लगेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : क्योंकि इस बारे में निर्णय कर लिया गया है, मुझे आशा है कि इसे बहुत जल्दी लागु किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान्, देश में हुए अनेक घोटालों में यह एक ऐसा घोटाला है जिससे सामान्य व्यक्ति को लाभ हुआ है क्योंकि वह गर्म कपड़ों को सस्ते मूल्य पर खरीदने में समर्थ हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा में दिये गये उस आश्वासन का क्या हुआ कि इस समस्त मामले को पूरी छानबीन के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायेगा ? क्या ऐसा किया गया है ? यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट क्या है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वर्तमान माल के बारे में समस्या पर अच्छी तरह से की गई जांच से हम इस बात के प्रति संतुष्ट हैं कि इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की आवश्यकता नहीं है । हम इन चिथड़ों की गांठों के माल को फाड़ फाड़ कर छोड़ रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : पिछले मामलों के बारे में क्या हुआ है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : फिलहाल पिछले मामलों के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । यदि वह इच्छुक हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछे गये प्रश्न से बिल्कुल अलग है ।

जीवन बीमा निगम की अदावी पालिसियों के दावेदारों का पता लगाया जाना

***946. श्री राज देव सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार जीवन बीमा निगम की अदावी पालिसियों के दावेदारों का पता लगाने के लिये जांच कर्ताओं की सेवाएं किराये पर लेने की अमरीकी पद्धति अपनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : फिलहाल जीवन बीमा निगम दावा नहीं की गयी पालिसियों के दावेदारों का पता लगाने के लिए अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है । यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और इस काम के लिए, अमरीकी तरीके पर, किराए पर जांचकर्ता लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री राजदेव सिंह : श्रीमान्, अमरीका में इस कार्य को किराए पर लगाए गए जांचकर्ता करते हैं जब कि हमारे देश भारत में दावा न की गई पालिसियों के दावेदारों का पता लगाने के कार्य को ठेके पर जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारी करते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दो विभिन्न देशों में इन दो एजेंसियों द्वारा किये गये कार्य का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ?

श्रीमती सुशील रोहतगी : हमें अमरीका में किराए पर लोगों द्वारा किये जा रहे कार्य की सही जानकारी नहीं है लेकिन हमें इस बात का पता है कि जीवन बीमा निगम में 8,000 विकास अधिकारी हैं और जैसा रिकार्ड से पता चलेगा, मेरे विचार से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य अत्यन्त प्रशसंनीय है । वर्ष 1970–71 में पुराने दावों की बकाया धनराशि 148.53 लाख रुपये थी जब कि वर्ष 1972–73 में यह धनराशि 71.82 लाख रुपये रह गई है । इससे पता चलता है कि पुराने दावों की संख्या कम हो रही है । प्रतिशतता की दृष्टि से भी वर्ष 1969–70 में यह राशि कल दावों का 35 प्रतिशत थी । वर्ष 1970–71 में यह राशि 26.70 प्रतिशत

रह गई ; वर्ष 1971–72 में यह राशि 19.38 प्रतिशत थी और 1972–73 में यह राशि 18.83 प्रतिशत रह गई ।

श्री राजदेव सिंह : मैं निश्चित रुप से जानना चाहता हूं कि इस समय तक कितनी दावा न की गई पालिसियों का पता लगाया गया है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इसके लिए अलग से नोटिस देने की जरूरत है ।

तकनीशियन उद्यमकर्ताओं को बैंक-ऋण के लिए गारंटी में वृद्धि

*950. **श्री के० मालन्ना** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीशियन उद्यमकर्ताओं को दिये जाने वाले बैंक ऋणों के लिए सरकार ने गारण्टी 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लघु उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रशासित ऋण गारटीं योजना के अन्तर्गत 1–4–1974 से तकनीकी उद्यम कर्ताओं को दिए गए बैंक ऋणों के सम्बन्ध में गारण्टी न चुकाई गई रकम अथवा गारंटी शुदा रकम, जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 90 प्रतिशत कर दी गयी है ।

(i) तकनीकी उद्यमकर्ताओं को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के लिये ऋणों की मजूंरी विशेष योजनाओं अथवा ऋण संस्थाओं के फैसले के अनुसार दी जानी चाहिए ।

(ii) उद्यमकर्ताओं के पास तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए अथवा कार्यकलाप की प्रस्ताविक दिशा में व्यवहारिक तकनीकी अनुभव होना चाहिये ।

(iii) ऋण संस्थाओं द्वारा वैयक्तिक एकक को दिये जाने वाले ऋण की कुल रकम 3 लाख रुपये से ज्यादा न हो ।

2. यह रियायत ऋण के पहले पांच वर्षों में उपलब्ध होगी ।

3. तकनीकी उद्यमकर्ताओं को पहली अप्रैल, 1974 से पहले दिये गये ऋण भी बढ़ाई गई गारंटी के पात्र होगें यदि ये ऋण वापिस न ले लिये गये हों अथवा अशोध्य ऋण हैं, अथवा वसूली के लिये सदिंग्ध ऋण हैं, अथवा एकक ने व्यवसाय बन्द न कर दिया हो अथवा उसके किसी भाग का उपयोग अशोध्य ऋण या वसूली के लिये सदिंग्ध ऋण के समायोजन के लिए न हुआ हो। ऐसे एककों के लिये बढ़ाई हुई गारंटी पांच वर्ष की अवधि के समाप्त न हुए भाग के लिये पहली अप्रैल, 1974 से उपलब्ध होगी ।

श्री के० मालप्पा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस रियायत द्वारा कितने तकनीकी उद्यमकर्ताओं को सहायता दी गई है और वे योजनायें कौन-कौन सी हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे पास उद्यमकर्ताओं की संख्या नहीं है ।

मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

*952. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिजय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कपड़ा उद्योग ने सरकार को सूचित किया है कि हाल ही में जिस मूल्य वृद्धि कि अनुमति दी गई है उससे वास्तविक लागत वृद्धियां पूरी नहीं होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिलों को नियंत्रित किस्म का कपड़ा बनाने के आदेश के पालन के प्रति अनइच्छित पाया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री **डी० पी० चट्टोपाध्याय**) : (क) भारतीय सूती मिल परिसंघ ने इस आशय का अभ्यावेदन किया था कि फरवरी, 1974 के द्वितीय सप्ताह में प्रचलित कीमतों के आधार पर उत्पादन लागत मई, 1968 में निर्धारित कीमतों की अपेक्षा 100 प्रतिशत बढ़ गई है ।

(ख) सरकार को अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मिलों पर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने का जो दायित्व लगाया है, उसको स्वीकार करने में उन की ओर से कोई अनिच्छा है ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन 40 करोड़ से 80 करोड़ मीटर करने तथा मूल्य में हाल की वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया है ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर, जिसने कुछ मिलों तथा कुछ सकंट ग्रस्त मिल भी जो नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कर रही है को अपने नियंत्रिण में लिया है, इस प्रभाव सम्बन्धी सरकार को विचारधारा क्या है ? क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े की वितरण पद्धति पर भी विचार किया है जिससे यह उस प्रयोजन को पूरा करे जिसके लिये यह बनाई गई है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमारे अपने अध्ययन के अनुसार गत छः वर्षों में नियंत्रित कपड़ का मूल्य लगभग 90–100 प्रतिशत बढ़ा है । इस प्रकार हमने केवल 30 प्रतिशत मूल्यों को निष्प्रभावी किया है । यह बहुत नहीं कहा जा सकता मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिससे वितरण पद्धति को विस्तृत और व्यापक बनाया जा सके ताकि यह नियंत्रित कपड़ा उन लोगों को मिल सके जिनके लिए यह है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मुद्रा स्फीति रोकने के उपाय

*938. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मुद्रास्फीति रोकने के अनेक मुद्रा सम्बन्धी तथा प्रशासनिक उपायों का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उक्त उपायों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने समय समय पर प्रशासनिक नियंत्रणों सहित विभिन्न राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी जो उपाय अपनाये हैं उनका लक्ष्य मूल्य वृद्धि का मुकाबला करना है ।

(ख) मूल्य वृद्धि के विरूद्ध संघर्ष लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिये इससे लड़ने के लिए लगातार विभिन्न उपाय किये जा रहे है । अब तक किये गये राजस्व संबधी, मुद्रा संबधी और प्रशासनिक उपायों के अलावा, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये, जब जब आवश्यकता होगी, अन्य उपाय भी किये जाएगें ।

EXPANSION OF BUSINESS BY BANKS IN PRIVATE SECTOR.

*939. **Shri B.S. Chowhan** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the banks in the private sector have expanded their business during the last few years; and

(b) if so, the spheres and the manner in which they have expanded their business ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) Banking Industry as a whole has expanded rapidly during the last few years and the banks in the private sector have also contributed to this expansion in all important spheres such as branch expansion, deposit mobilisation, and extension of credit.

दादरा और नागर हवेली में पर्यटक केन्द्रों का विकास

*942. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दादरा और नगर हवेली में किन-किन पर्यटक केन्द्रों का विकास किया जाएगा ; और

(ख) इस के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) साधनों की कमी व अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में किसी पर्यटन योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

काजू का आयात

*943. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कुछ देशों से काजू आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश से कितना और कितने मूल्य का काजू आयात किया गया ; और

(ग) जब भारत स्वंय काजू का एक प्रमुख निर्यातकर्ता देश है तो काजू का भारत में आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, हम कच्ची काजू गिरी का आयात कर रहे हैं ।

(ख) तन्जानिया, कीनिया, मोजम्बीक, मैडागास्कर तथा पश्चिम अफ्रीका । गत तीन वर्षों के दौरान आयात की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित थे :–

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1971–72	1,57,277	25.35
1972–73	2,01,470	32.15
1973–74 (अनन्तिम)	1,57,881	30.78

(ग) देश में कच्चे काजू का उत्पादन नियतिकर्ता एककों की काजू साधित करने की स्थापित क्षमता का उपयोग करने के लिए कुल मिला कर अपर्याप्त है । अत: हम कच्चे काजू का आयात करते हैं और उसे साधित करने के बाद काजू गिरी का निर्यात करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है ।

तम्बाकू पर उत्पादशुल्क की भिन्न भिन्न दरें

*947. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी बनाने के काम आने वाले तम्बाकू पर उत्पादशुल्क की दरें भिन्न भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कौन सी दरें लागू हैं ; और

(ग) क्या ऐसी असमान दरों से बीड़ी उद्योग में कदाचार व्याप्त हैं ?

वित्त मंत्राशय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात के कार्य में लगी परामर्शदाता फर्मों को वित्तीय सहायता

*948. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के कार्य में लगी परामर्शदाता फर्मों की वित्तीय सहायता देन का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने अनुदान दिये जायेगें ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम फैसला कब तक किये जाने की सम्भावना ह ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : विपणत विकास निधि से निर्यात प्रयत्नों हेतु सहायता अनुदान संबधी सहिंता को हाल ही में संशोधित करके निर्यात कार्य में लगी सलाहकार फर्मों की वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई है । मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के यहां पंजीकृत भारतीय सलाहकार संगठन द्वारा विदेशों में सलाहकार सेवाएं प्रदान किये जाने की योजना के लिए निधि से अनुदान निम्नलिखित कार्यलायों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाई गई दरों पर दिया जा सकता है ।

(क) 60 प्रतिशत की दर पर विदेशों में बाजार अध्ययन किये जाने के लिए ।

(ख) विदेशी कार्यालय खोलें जाने के लिए जगह तथा स्टाफ पर होने वाले व्यय के 25 प्रति शत की दर पर पहले वर्ष के लिए और 20 प्रतिशत की दर पर दूसरे वर्ष के लिए ।

(ग) **प्रचार अभियान**

(1) विदेशों में उपयोग के लिए पत्रिकाओं निदेशिकाओं, ब्रोशर्स, पुस्तिकाओं, फोल्डरों आदि प्रकाशन निकालने के लिये, बिक्री तथा विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब लगाने के बाद शेष निवल व्यय का 50 प्रतिशत और

(2) ब्रांड प्रचार पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत ।

विदेशी कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि

*949. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर वर्ष 1972-73 के अन्त म आयकर की ऐसी राशि बकाया थी जिसका अभी तक भी भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी पर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) से (ग) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं थी और उसे आयकर आयुक्तों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में आयकर अधिकारियों से इकट्ठा करना पड़ा। आयकर आयुक्त बम्बई दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात कार्यक्षेत्रों में जिन विदेशी कम्पनियों का कर-निर्धारण होता है उनके बारे में सूचना प्राप्त हो गई है और उसे सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6903/74]

अन्य आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में जिन विदेशी कम्पनियों का कर-निर्धारण होता है उनके बारे में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

हवाई अड्डों पर विमानों के उतरने के लिए सहायक उपकरण लगाने की योजना

*951. **श्री बनमाली बाबू** :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी हवाई अड्डों पर विमानों के उतरने के लिए सहायक उपकरण और अनेक अन्य उपकरण लगाने की सरकार की योजना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अपने निर्णय को अन्तिम रुप दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) : विमानपत्तनों / विमानक्षेत्रों (एयरपोर्ट्स / एरोड्रोम्ज़) पर दिक्चालन, एप्रोच और भू-अवतरण साधनों में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और परिचालनात्मक आवश्यकताओं एवं साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहते हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

अधिक महत्वपूर्ण उपस्कर की स्थिति इस प्रकार है।

विमान मार्ग निगरानी राडार :

बम्बई, दिल्ली और मद्रास में स्थापन का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। कलकत्ता में सिविल और विद्युत् निर्माण कार्यों के पूरा होते ही उक्त उपस्कर की स्थापना की जायेगी।

विमानक्षेत्र निगरानी राडार :

सरकार द्वारा पहले ही इस राडार को मद्रास विमानक्षेत्र पर स्थापित करने का निर्णय किया जा चुका है। उपस्कर का क्रयादेश दिया जा चुका है।

श्रेणी 11 उपस्कर अवतरण प्रणाली :

सरकार ने मद्रास और नागपुर विमानक्षेत्रों पर इस उपस्कर को स्थापित करने का निर्णय किया है। टैंडर प्राप्त हो चुके हैं ।

दिल्ली विमानक्षेत्र के धावनपथ 10, बम्बई विमानक्षेत्र के धावनपथ 09, मद्रास के धावन-पथ 25, एवं कलकत्ता के धावन-पथ 01 आर० पर श्रेणी 11 यांत्रिक अवतरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर अंतिम रुप से विचार किया जा रहा है ; सरकारी आदेशों के निकट भविष्य में ही जारी होने की आशा है ।

400 वाट उच्चच्चावृत्ति प्रेषित्र :

सरकार ने पहले ही सौ 400 वाट उच्चावृत्ति प्रेषित्रों (हाई फ्रीक्विंसी ट्रासमिटर्स) की खरीद के आदेश जारी कर दिये हैं। इन्हें प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रिसिज़न एप्रोच राडार :

सरकार ने इन्हें दिल्ली और मद्रास विमानक्षेत्रों पर स्थापित करने का निर्णय किया है। बम्बई और कलकत्ता में पहले ही प्रिसिज़न एप्रोच राडार उपलब्ध हैं।

श्रणी 11 धावन-पथ प्रकाश-व्यवस्था :

दिल्ली विमानक्षेत्र पर श्रेणी 11 धावन-पथ प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के प्रस्ताव का अनु-मोदन कर दिया गया है। उपस्कर प्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

अदिशिक बीकन :
दूरी मापक उपस्कर :
अतिउच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास :

सरकार ने अदिशिक बीकन, दूरी मापक उपस्कर तथा अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परासों को कई स्थानो पर स्थापित करने का निर्णय किया है। दूरी मापक उपस्कर एवं अति उच्चावृत्ति सर्व-दिशिक परासों को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये निदेश

*953. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एन० शिविप्पा :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देने के सम्बध मे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वाणिज्यिक बैंकों को कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या ऋणों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान ऋण निति मुद्रा पूर्ति में हुई भारी वृद्धि तथा मूल्यों में हो रही वृद्धि के सदर्भ में तैयार की गयी है और इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में से एक उपाय यह था कि सितम्बर 1973 के अन्त से अप्रैल 1974 के अन्त तक की अवधि के लिये खाद्य भिन्न ऋणों के विस्तार पर 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू कर दी गयी। किन्तु लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के विस्तार पर ना तो कोई अधिकतम सीमा लगाने का कोई विचार था और न ही कोई सीमा निर्धारित की गयी थी।

2. वस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण नियंत्रण सम्बधी विभिन्न प्रकार के उपाय शुरु करते समय अनुचित वाणिज्यिक बैंकों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया था कि वे उत्पादन, माल लाने ले जाने, निर्यात और लघु उद्योगों समेत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को पर्याप्त रुप से पूरा करें। रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में विशेष तौर पर ये छूट भी दी थी : —

(i) ऐसे प्रत्येक लघु औद्योगिक एकक को 10 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम ऋण-ब्याज दर से मुक्त कर दिया गया था जिसके लिए किसी बैंक ने कुल मिला कर 2 लाख रुपये से अधिक रकम की ऋण सीमा निर्धारित की हो। जब 30 नवम्बर, 1973 को न्यूनतम-ऋण दर को बढ़ा कर 11 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया था उस समय भी उक्त छूट की व्यवस्था जारी रखी गयी।

(ii) उन लघु औद्योगिक एककों को तालिकागत सामान और खाता-ऋणों के एवज में दिए जाने वाले ऋणों को भी आवश्यक अतिरिक्त मार्जिणों से मुक्त कर दिया गया था जो लघु उद्योगों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित ऋण गारिण्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(iii) रिजर्व बैंक ने अन्न तथा वनस्पती समेत कछ विशिष्ट प्रकार के तिलहनों और तेलों के एवज में दिये जाने वाले ऋणों पर चयनात्मक आधार पर जो ऋण नियन्त्रण लागू किया था उसके अन्तर्गत निर्माता एककों और ऋणकर्ताओं को पूर्णत : तथा अंशत : उपर्युक्त जिन्सों को जमानत पर रख कर दिये जाने वाले ऐसे ऋणों को, जो भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड/ऋण गारण्टी संगठन की गारण्टी योजना के अन्तर्गत आते हैं, न्यूनतम मार्जिन से तथा अनुमत स्तर तक की ऋण-सीमा से मुक्त कर दिया गया है लेकिन ऐसे प्रत्येक निर्माता एकक/ऋणकर्त्ता के लिए अधिकतम राशि 20,000 रूपया होगी।

आयकर की बकायाराशि की वसूली

***954. श्री विक्रम महाजन :**

क्या **वित्त** मंत्री आयकर की बकाया राशि की वसूली के सम्बंध में आय-कर आयुक्तों क साथ हुई बातचीत के बारे में 10 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 2921 के उत्तर के सम्बंध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर आयुक्तों और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बाद प्राथमिकता के आधार पर आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए उठाये गये विभिन्न पगों के परिणामस्वरुप कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) किये गये विभिन्न उपायों के परिणामत : 31 मार्च 1973 को 790.02 करोड़ रुपये की जो बकाया थी उसमें 28 फरवरी 1974 तक 236.72 करोड़ रुपये की कमी ला दी गई है ।

(ख) आयकर आयुक्तों और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों के बीच जब से विचार-विमर्श हुआ है तब से बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है :—

(1) अगस्त 1973 में कर वसूली अधिकारियों के 50 और पद मंजूर किये गये जिससे संपूर्ण भारत में कर वसूली अधिकारियों की कुल संख्या 223 हो गई है ।

(2) नवम्बर 1973 में सहायक आयकर आयुक्तों के तब विद्यमान रिक्त पदों के प्रति 48 तदर्थ पदोन्नतियां की गई ।

(3) अक्टूबर-नवम्बर 1973 में बकाया बेबाकी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान पहले अदा किये गये करों के सत्यापन तथा समायोजन संबंधी कार्य, अपील प्रभावों को कार्यान्वित करने, भूल सुधार करने आदि पर विशेष रुप से ध्यान दिया गया जिसके परिणामत : वकाया में कमी होती है ।

(4) आयकर आयुक्तों को निर्देश दिये गये थे कि वे अपीलीय प्राधिकारियों तथा न्यायालयों से निवेदन करें कि वे उन अपीलों/संदर्भ याचिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर ले जिनमें बड़ी-बड़ी मांगे अन्तर्ग्रस्त हों ।

(5) वट्टे खाते डालने / वट्टे खाते डालने का अनुमोदन देने संबंधी वित्तीय शक्तियां विभिन्न स्तरों पर बढ़ा दी गई ।

(6) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य (बजट) ने आयकर आयुक्तों के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों का दौरा किया, उनके साथ बकाया की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया और जहा कहीं आवश्यक था, मौके पर ही हिदायतें दीं ।

(7) आयकर आयुक्तों के कुछ कार्यक्षेत्रों में एक योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त द्वारा प्रत्येक निर्धारिती के साथ उसकी तरफ कर की बकाया के बारे में आमने-सामने बैठ कर विचार विमर्श किया जाता है और बकाया सबंधी मतभेदों का शीघ्रता से समाधान किया जाता है तथा बकाया को समाप्त करने की योजना तैयार की जाती है ।

(8) सदस्य (बजट) द्ववारा आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वे अवास्तविक और बढ़ा चढ़ा कर किये गये निर्धारणों के निवारण की दिशा में कदम उठाएं, यह सुनिश्चित करें कि कर-निर्धारण से पूर्व अथवा उसके अदा किये गये सभी करों का समुचित रुप से लाभ दिया जाता है, चूक कर्ताओं

की चल तथा अचल परिसंपत्तियों के अभिग्रहण तथा उनकी बिक्री द्वारा वसूली सुनिश्चित करें और बकाया को वसूल करने के लिए अन्य कठोर उपाय करें।

(9) 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 1973 तक की अवधि में चूक-कर्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित कठोर उपाय किये गये हैं :—

(क) लगाये गये दण्ड—1.75 करोड़ रु०

(ख) चूककर्ताओं को अन्य पार्टियों द्वारा देय रकमों का अभिग्रहण किया गया—7437 मामलों में।

(ग) न्यायालयों में जमा रकमों का अभिग्रहण किया गया—683 मामलों में

(घ) चल/अचल संपत्तियों के अभिग्रहण और/अथवा बिक्री द्वारा वसूल कर :

(i) चल संपत्तियां—11.81 करोड़ रु०

(ii) अचल संपत्तियां—1.50 करोड़ रु०

(ङ) प्रापक नियुक्त किये गये—11 मामलों में

(च) प्रापक नियुक्त किये जाने के परिणामत: वसूल रकम—8.43 करोड़ रु०

(छ) चूककर्ताओं की दीवानी जेलखाने में बंद कराने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किये गये—2643 मामलों में

(ज) दीवानी जेलखाने में बंद किये गये व्यक्तियों की संख्या—33

(झ) कारण-बताओ नोटिस जारी करने और चूककर्ताओं की दीवानी जेलखाने में बंद करने के परिणामत : वसूल रकम—11 लाख रु०

(10) आयकर की वसूली और उसकी उगाही के क्षेत्र में कार्य में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने की दृष्टि से नवम्बर 1973 में अधिकारियों / कर्मचारियों को वित्तीय पुरस्कार देने की एक योजना तैयार की गई।

(11) अपर आयकर आयुक्तों के पदों को समाप्त करने और उनके स्थान पर आयकर आयुक्तों के पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रत्येक आयकर आयुक्त के अन्तगत आयकर आधिकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाय। इससे आयकर आयुक्त, आयकर अधिकारियों के काम पर और अच्छी निगरानी रख सकेंगे।

(12) कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा तैयार किये गये प्रतिमानों के आधार पर आयकर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

मफतलाल ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन से आयकर का काटा जाना

9033. **श्री कृष्ण चन्द पान्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स मफतलाल ग्रुप के कर्मचारियों के वतन से काटे गये आय कर की राशि को 7 दिन के अन्दर नियमित रूप से जमा नहीं कराया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की चूक होने की घटनाओं की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) स्वीकृत समय के अन्तर्गत कर की राशि जमा न कराने के लिए कितनी राशि अर्थ-दण्ड के रूप में वसूल की गई है ; और

(घ) उक्त चूक की घटना के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन महीनों के दौरान किये गये अभ्रक के सौदे

9034. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में गत तीन महीनों के दौरान कितनी मात्रा तथा मूल्य के अभ्रक का सौदा किया था तथा 31 जनवरी, 1974 को उसके पास कितने मूल्य के अभ्रक की सप्लाई के लिये आर्डर थे ; और

(ख) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम पर्याप्त मात्रा में अभ्रक की सभी किस्मों को प्राप्त कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर, 1973 तथा जनवरी, 1974 के दौरान जिनकी मात्रा तथा मूल्य के अभ्रक के सौदे किये गये, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

माह	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
नवम्बर, 1973	267	0.34
दिसम्बर, 1973	157	0.44
जनवरी, 1974	652	2.16
योग	1,076	2.94

उपयुक्त सौदों में से 31 जनवरी, 1974 को लम्बित सप्लाई आदेश की मात्रा तथा मूल्य क्रमश: 706 मे० टन व 1.77 करोड़ रु० था ।

(ख) जी हां ।

Export of Mica during 1973-74

9035. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the export of mica fared well during 1973-74 as compared to that in the past;

(b) if so, the reasons therefor and the figures of export of mica during 1973-74;

(c) whether private firms have also exported mica during 1973-74 besides M.M.T.C.; and

(d) if so, the quantity and value of their exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) -

(a) Exports of mica were lower in 1973-74 as compared to the exports in the previous year.

(b) The reason for short fall in exports is late finalisation of export contracts by the USSR, Rumania and Bulgaria, absence of purchases by Hungary and Poland and smaller purchases by the U.S.A., U.K. and other free currency countries. Exports of processed mica in 1973-74 (upto October, 1973) were valued at Rs. 5·21 crores.

(c) All exports are made in the name of M.M.T.C. However according to the present policy the Corporation is permitting the erstwhile exporters to enter into contracts with foreign buyers on their behalf but these orders can be executed only with the approval and on behalf of the M.M.T.C.

(d) Separate figures are not recorded in respect of mica exported by the erstwhile exporters.

Export of oil cakes and oil during 1972-73

9036. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** he pleased to state :

(a) whether export of oil cakes and oil has considerably declined during the financial year 1972-73 as compared to 1971-72; and

(b) if so the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) :

(a) No. Sir.

(b) Does not arise.

सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

9037. **श्री एम० कुतामुत्तू** : **क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी वाणिज्यक बैंकों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविक व्यवस्थाएं) योजना, 1970 के अधीन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्यक के बोर्ड में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो विदेशक है जिन में से एक कामगर कर्मचारियों में से है और दूसरा बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से है जो कामगर नहीं अर्थात अधिकारी हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया और स्टैट बैंक के सात सहायक बैंकों में बोर्ड स्तर पर कर्मचारियों के इसी प्रकार के प्रतिनिधि लेने के लिए हाल ही में स्टैट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955 और स्टैट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर को दिया गया ज्ञापन

9038. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिगं एसोसिएशन आफ इंडिया (पश्चिम क्षेत्र) ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर को काफी ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया है कि ऋणों पर प्रतिबंधों के फलस्वरूप औद्योगिक एकक अपने वायदे पुरे करने, करों की किस्तें तथा लाभांश और कई मामलों में तो मजूरी भी अदा करने में कठिनाई अनुभव करेगें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तर राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण-विस्तार पर प्रतिबंध लगाते समय भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर इस बात का जोर दिया था कि वे वस्तुओं के उत्पादन तथा माल लाने ले जाने और प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों की उपयुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने न्यूनतम व्याज दर, अतिरिक्त मार्जिन आदि से छूट देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि लधु उद्योगों आदि समेत विशिष्ट वर्गों को ऋण मिलने में कोई बाधा न पहुचे।

फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इन्डस्ट्राज से ज्ञापन

9039. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-ढाचें को युक्ति संगत बनाने के लिये फैडरेशन आफ एसोसियेशनज आफ स्माल इन्डस्ट्रीज ने वित्त मंत्री को कोई ज्ञापन दिया था जिससे छोटे कारखाने को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक के कर देय लाभ से पहले स्लैब से छूट मिल सके ताकि वे अपने अंशधारियों के लिये उचित लाभांश घोषित कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सुझाव को स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

दिल्ली में बैंकों द्वारा उपभोक्ता ऋणों का दिया जाना

9040. **श्री विक्रम महाजन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अभी भी कौन कौन से बैंक उपभोक्ता ऋण दे रहें हैं और वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्यक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितनी-कितनी धनराशि के उपभोक्ता ऋण दिये गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना क अनुसार, दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिये 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों की बकाया रकम जून, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को 45.96 लाख रुपये थी । बैंकवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

बैंक	बकाया रकम लाख रुपयों में
1. इलाहाबाद	1.58
2. बैंक आफ बड़ौदा	3.52
3. बैंक आफ इण्डिया	8.28
4. बैंक आफ महाराष्ट्र	0.83
5. कनारा बैंक	0.33
6. सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	12.85
7. देना बैंक	2.79
9. इण्डियन बैंक	0.71
9. इण्डियन ओवरसीज बैंक	2.36
10. पंजाब नेशनल बैंक	2.54
11. सिण्डीकेट बैंक	9.21
12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	0.79
13. यूनाइट्रेड बैंक आफ इण्डिया	0.17
14. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	उपलब्ध नहीं
जोड़ :	45.96

आंकड़े अन्तिम हैं

काजू उद्योग का राष्ट्रीयकरण

9041. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Handicraft Items

9042. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the export of handicraft items declined in 1972-73 as compared to the year 1971-72; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Export of Cotton Cloth

9043. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the value in Indian currency of the cotton cloth exported to other countries during the last year;

(b) whether the export of cotton cloth has declined considerably in comparison to the last year; and

(c) if so the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George):

(a) The value of Cotton cloth exported from India during the year 1973 in piece goods form, was Rs. 133·52 crores.

(b) No, Sir. Exports of cotton piece goods during January-March, 1974 have been of Rs. 45·52 crores as against Rs. 25·22 crores during the same period last year.

(c) Does not arise.

Arrears of Income-Tax in Madhya Pradesh

9044. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of arrears of Income-tax to be realised in Madhya Pradesh at present;

(b) the amount of Income-tax realised during the last two years; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to realise these arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) The gross and net arrears of Income-tax, including Corporation-tax, out-standing as on 31-12-1973 in the charge of Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh are as follows:—

(Amount in crores of Rs.)

Gross arrears	Net arrears
13·44	11·82

(b) The total amount of Income-tax, including Corporation-tax, realised in the charge of Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh during the last two years is as under :—

Financial year	Net collection of Income-tax (In crores of rupees)
1972-73	21·47
1973-74	27·14 (Provisional)

(c) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :—

(1) Levy of penalty under section 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(2) Attachment of money due to the assessee under section 226 (3).

(3) Attachment of money in courts under section 226(4).

(4) Distraint and sale of movable property under section 226(5).

(5) Issue of Recovery Certificates under section 222.

(6) Attachment sale of movable : immovable property.

(7) Detention of assessee in Civil prison.

Imports from U. K.

9045. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the estimated value in Indian currency of the items to be imported from the United Kingdom during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): In the context of the present international trading environment and in view of the many imponderables and variables in the situation, it is difficult to estimate the value of goods to be imported from U.K. during the financial year 1974-75. However, during April 1973, October, 1973 imports from U.K. amounted to around Rs. 13790 lakhs as against imports of Rs. 13014 Lakhs during April 1972, October, 1972.

पी० एल० 480 निधि के निपटान के बारे में चर्चा

9046. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एल 480 निधि के निपटाने के बारे में अमरीकी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय उक्त चर्चा किस चरण में हैं, तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) पी० एल० 480 तथा अन्य निधियों के निपटान के बारे में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच 18 फरवरी, 1974 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार के पाठ की प्रतियां वित्त मंत्री द्वारा इस पर दिये गए वक्तव्य के साथ 19 फरवरी, 1974 को लोक सभा के पटल पर रख दी गयी थीं। इस करार की मुख्य विशेषताओं की जानकारी वित्त मंत्री के 13 दिसम्बर, 1973 तथा 19 फरवरी, 1974 के वक्तव्यों में दी गयी थीं ।

बेरोजगार विणिज्यिक विमान चालकों को सहायता अथवा सुविधायें देने का प्रस्ताव

9047. **श्री अजराज सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर वमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी स्नातकों अथवा डाक्टरों के समान बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों को सहायता अथवा सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सरकार ने इन विमानचालकों के लिए रोज़गार अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) वाणिज्यिक विमानचालक के लाइसेंस को एक वर्ष स्वीकार्य योग्यता के रुप में सम्मिलित करने के लिए नागर विमानन विभाग में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी बातें भर्त्ती के नियमों में संशोधन किया गया है।

(ii) कृषि मंत्रालय बेरोज़गार वाणिज्यिक विमानचालकों को फसल छिड़काव परिचालनों के लिए सम्परिवर्तिन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) के लिये विचार करने पर सहमत हो गया है ;

(iii) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया को परामर्श दिया गया है कि वे, जहा कहीं संभव हो, बेरोजगार विमानचालकों का स्थल कार्यों (ग्राउड ड्यूटीज) पर उपयोग करें,

(iv) बेरोज़गार वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस धारी अपने उड़ान लाइसेंस चालू रखने के लिये एक वर्ष में 15 घंटे के लिये उपदान-प्राप्त दरों पर उड़ान करने के पात्र हैं ।

(v) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं उपयुक्त पाया जाए बेरोज़गार विमानचालकों को अपने अधीन नौकरी के लिये ध्यान में रखें।

फीडर तथा चार्टर विमान सेवायें आरम्भ करने की योजनायें

9048. **श्री अजराज सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयरलाइन्स के अतिरिक्त अन्य फीडर तथा चार्टर विमान सेवाएं आरम्भ करने की सरकार की कोई निश्चित योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी विमान सेवायें बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को भूमि पर विमानों की देखभाल तथा मशीनी देखभाल और उड़ान कार्य तक विभिन्न पदों पर रोजगार प्रदान करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों की सुविधा के लिये इण्डियन एयरलाइन्स से भिन्न परिचालकों द्वारा कुछ सेवाएं परिचालित करने की आवश्यकता हो सकती है ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी करना

9049. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मंत्री इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा शेयर जारी किये जाने के संबंध में 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2882 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन आक्सीजन लिमिटेड में विदेशी शेयर पूंजी के कुछ भाग को एल० आई० डी० सहित वित्तीय संस्थाओं कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों तथा भारत के निवासी अंशधारियों में वितरित करने को बात सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना कब से लागू की जायेगी और इसकी सारी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) इस देश में विदेशी शेयरधारिता को प्रस्थापित करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इस कम्पनी को सभी अन्य बहुमत वाली विदेशी कंपनियों की तरह, अपना मौजूदा कारोबार जारी रखने के लिए, जब इसकी विदेशी शेयरधारिता की समीक्षा की जाएगी, विदेशी विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होगी । इस सम्बन्ध में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून, 1974 है ।

रुई के समर्थन मूल्यों में वृद्धि

9050. **श्री एम० कत्तामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के अंतिम के लिये रुई के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने का कोई सरकारी प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण पर प्रतिबन्ध का भारतीय रुई निगम के रुई क्रय कार्यक्रम पर कुप्रभाव

9051. **श्री एम० कल्यामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का भारतीय रुई निगम के रुई क्रय का कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चालू रुई मौसम के दौरान खरीदारियों के लिये भारतीय रुई निगम की 300 करोड़ रुपये ऋण की अनुमानित आवश्यकता के बदले रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने केवल 35 करोड़ रुपये तक ही ऋण प्रदान किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा भाड़ों में तलोछिन (अन्डरकटिंग)

9052. **श्री एम० कल्यामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के मार्ग के विमान सेवा चल रही कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को भाड़ों में तलोछिन्न (अंडरकटिंग) जैसे कदाचार करते पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां यातायात को अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे अनाचारों में रत हैं जैसे कि आई० ए० टी० ए० द्वारा अनुमोदित किरायों से कम किराये लेना। इस परिस्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) यू० एस० ए० तथा भारत और यू० के० तथा भारत के बीच किफायती वापसी भ्रमण किराए लागू किए गए हैं ;

(2) भारत तथा फ्रांस और भारत तथा स्विट्जरलैण्ड के बीच किफायती युवा किराए लागू किए गए हैं ;

(3) सस्ते किरायों पर चार्टरों का परिचालन करने के लिए एयर इण्डिया द्वारा एक चार्टर कम्पनी स्थापित की गयी है।

(4) वायुयान नियम 1937 में एक नियम का समावेश किया गया है जिसके द्वारा एयरलाइनों के लिए नागर विमानन के महानिदेशक के पास अपने टैरिफ अनुमोदन के लिए फाइल करना अनिवार्य है ;

(5) सम्बद्ध आई० ए० टी० ए० संकल्प में एक शर्त रखी गयी है जिसमें व्यवस्था है कि जहां टिकट आदि भारत में जारी किये जाते हैं तथा जिनका भुगतान भी भारतीय रुपयों में किया जाता है, उनके धन की वापसी भारत के सिवाय किसी भी अन्य देश में तथा भारतीय रुपयों के सिवाय किसी भी अन्य मुद्रा में नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के प्रवर्तन संगठन एवं वदेशी मुद्रा विनियमों के अतिलंघन से संबंधित हमारे अपने सरकारी प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

वर्ष 1973–74 में भारत में पर्यटन प्रचार पर व्यय की गई धनराशि

9053. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1973–74 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भारत में पर्यटन प्रचार पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : वित्त वर्ष 1973–74 के दौरान विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये देश और विदेशों में वितरण के लिए भारत में पर्यटन साहित्य, फिल्म, प्रदर्शन-सामग्री, आदि के उत्पादन पर 80.70 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

आयकर कर्मचारी संघ के विधान में संशोधन

9054. **श्री भोला मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में 1971 के अपने सम्मेलन में आयकर कर्मचारी संघ द्वारा संघ के विधान में किये गये बहुत से संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्वीकार कर लिये हैं ;

(ख) क्या ये संशोधन बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। आयकर कर्मचारी महासंघ के विधान में किये गये संशोधन, जिन्हें महासंघ ने 1971 में बंगलौर में हुये अपने सम्मेलन में किया था, इस प्रकार के नहीं थे कि उनके लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती।

(ख) तथा (ग) सवाल ही नहीं उठता।

9055. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the per capita deposits in the banks in Madhya Pradesh;

(b) whether any increase was registered in the per capita deposits therein 1971-72; and

(c) if not, the steps being taken by Government to increase the per capita deposits in that State ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) Per capita bank deposits in Madhya Pradesh were higher at Rs. 51·0 at the end of December 1972 compared to Rs. 43·2 at the end of December, 1971.

(c) As part of the strategy for deposit mobilisation, banks have, besides extending their branch network, launched several publicity programmes to spread the banking habit among the people. The banks have also drawn up a variety of deposit schemes to suit the specific requirements of diverse types of depositors, including daily wage earners, fixed income groups, professionals with fluctuating incomes etc.

INVESTMENT OF NATIONALISED BANKS IN MADHYA PRADESH

9056. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether only one fourth of the total bank deposits is invested locally by the nationalised banks in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the percentage of the total bank deposits invested locally in Bihar ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (c) The total deposits and investments of public sector banks, including the 14 nationalised banks, in Madhya Pradesh and Bihar as at the end of December, 1972 were as under :—

(Rs. in crores)

	Madhya Pradesh	Bihar
1. Deposits . . .	213·84	369·63
2. Advances (Amount outstanding)	109·29	109·56
3. Investments in State Govt. securities etc.	41·19	39·17
4. Total of (2+3) . .	150·48	148·73
5. Item 4 as % of item I .	70·4	40·2

The amounts shown under advances do not include the advances to undertakings located in these States, but in whose case the sanctions are booked in the States where the registered head offices are located. If the utilisation of such advances is also taken into account, then the credit plus investment to

deposit ratio of the scheduled commercial banks as at the end of December 1972 works out to 77·9 per cent and 65·5 per cent respectively for Madhya Pradesh and Bihar States.

(b) The overall credit utilisation in any region is largely linked to the general level of economic activity, degree of industrialisation and availability of infrastructural facilities like communications, power etc. Thus, the low utilisation of credit in any region is a facet of the larger question of regional imbalances in economic development. The banks on their part have, however, been making concious efforts to expand their branch network and to step up the flow of credit to the priority sectors and the weaker sections of the society, particularly in comparatively under developed areas.

GRANT OF LOANS BY RBI TO FARMERS OF MADHYA PRADESH FOR AGRICULTURAL INPUTS

9057. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India had agreed to give some loans during 1973-74 in order to make available agricultural inputs to the farmers in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the amount of loans advanced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) The Reserve Bank of India does not provide credit facilities to the farmers: direct; it lends to banks.

(b) The question does not arise.

INCREASE IN EXPORT OF SILKEN SAREES

9058. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether any survey has been conducted to see if there is a scope for increase in export of 'Kalabattu' and silken sarees of Chanderi (M.P.); and

(b) if so, the out come thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इम्फाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण

9059. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल हवाई अड्डे पर प्रस्तावित टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने मणिपुर में चल रही दरों के समान निविदा दरों का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ।

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इम्फाल में एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए पुनरीक्षित योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा ।

इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतारने सम्बन्धी सुविधायें तथा विमान में फिर से तेल भरने की व्यवस्था

9060. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधायें तथा विमानों में फिर से तेल भरने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का है ?

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि इन सुविधाओं के अभाव में शाम हो जाने पर यह हवाई अड्डा बेकार हो जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) जी, नहीं । इण्डियन एयरलाइंस तथा अनुसूचित परिचालकों ने इम्फाल में रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था के लिए नहीं कहा है । तथापि आपाती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हंस-ग्रीवा प्रदीप उपलब्ध हैं ।

ईधन लेने संबंधी सुविधायें सिल्चर में उपलब्ध हैं जो कि निकट ही है ।

'फाइव स्टार' होटलों की अत्याधिक दरें

9061. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज, इन्टर कान्टीनेंटल और ओबराय-शैराटन, बम्बई जैसे फाइव स्टार होटलों तथा देश में अन्य सभी 'फाइव स्टार' होटलों में ग्राहकों को अत्याधिक दरों पर भोजन सप्लाई किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी दरें कम कराने तथा इन होटल वालों द्वारा दरों में और वृद्धि किये जाने को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महषी) : (क) और (ख) देश के सभी 5-स्टार होटल यूरोपीय प्लान, अर्थात् केवल कमरों के किराये के आधार पर परिचालित किये जा रहे हैं तथा उनकी किराया-दरें इसी आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं । इन होटलों में कई 'स्पेशियेलिटी' रेस्टोरैंट हैं और इनमें लागू भोजन-दरों पर पर्यटन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये दरें अधिकांशतः पाकप्रणाली (क्विजीन)/सेवा पर आधारित होती हैं और साधारणतः इन का सीधा संबंध होटल क स्तर और प्रचलित मूल्यों से होता है ।

घरेलू उड़ानों में लगे बोइंग विमानों की अप्रयुक्त क्षमता

9062. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान किराये में वृद्धि हो जाने के कारण बोइंग विमानों की लगभग सभी घरेलू उड़ानों में यात्रियों के बैठने के 50 प्रतिशत स्थान खाली पड़े रहते हैं और इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस को प्रति दिन कई लाख रुपये का घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे घाटे से बचने के लिये सरकार क्या तुरन्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) किरायों में 25 प्रतिशत की वृद्धि 1 फरवरी, 1974 से लागू की गई थी और इण्डियन एयरलाइन्स ने सामान्य परिचालन 18 मार्च, 1974 से पुनः प्रारम्भ किये । अतः अभी से किराया वृद्धि के प्रभाव का यथार्थ मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा ।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन के अन्तर्गत डेवेलपमेंट कांफ्रेंस आयोजित करना

9063. **श्री शशिभूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन के अन्तर्गत किसी पर्वतीय स्थल पर वर्ष 1973 के दौरान किसी समय डेवेलपमेंट कांफ्रेंस आयोजित होनी थी ;

(ख) क्या यह कांफ्रेंस हो चुकी है और यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) यदि नहीं, तो यह कांफ्रेंस आयोजित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह कांफ्रेंस कब आयोजित करने का विचार है तथा यह कहां आयोजित की जायेगी और उक्त कांफ्रेंस में आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्तियों, एजेंटों तथा विकास अधिकारियों के नामों की सूची क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रतियोगिता के परिणाम 9 नवम्बर, 1973 को घोषित किये गये थे । कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण प्रबन्धकों द्वारा दिल्ली प्रभागीय कार्यालय में तालाबन्दी की घोषणा कर दिये जाने से और साथ ही वर्ष के अन्त में कारोबार का काम अधिक हो जाने के कारण सम्मेलन का आयोजन अभी तक नहीं किया जा सका है ।

(घ) सम्मेलन करने की तारीख एवं स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये हैं । प्रतियोगिता में जिन विकास अधिकारियों तथा एजेन्टों ने सफलता प्राप्त की और जिनको सम्मेलन में बुलाने का प्रस्ताव है, उनके नामों की सूची संलग्न है । इनके अतिरिक्त आशा है कि दिल्ली प्रभागीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रभागीय प्रबन्धक तथा सहायक शाखा प्रबन्धक (विकास) भी सम्मेलन में भाग लेंगे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6904/74]

पालिसीधारियों के दावों का निबटान

9064. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पालिसीधारी द्वारा बम्बई की सिटी सिविल कोर्ट में जीवन बीमा निगम के विरुद्ध दायर किये गये मुकद्दमे में जीवन बीमा निगम को उसकी पूरी राशि देनी पड़ी और 1962 से 1972 तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की दर से उस राशि पर ब्याज देना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य पालिसीधारियों के दावों को भी उसी आधार पर निबटाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है ।

रक्षा लेखा वार्षिक पुस्तक के प्रकाशन तथा लाटरी टिकटों की बिक्री के बारे में रक्षा रुपलेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना को शिकायतें

9065. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री भोला मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबंधित रक्षा लेखा पुस्तक 1973 के प्रकाशन के बारे में रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या लाटरी टिकटों की बिक्री के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या इस पुस्तक को प्रकाशित करने तथा लाटरी टिकटों की बिक्री के लिये सरकार तथा सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी: और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं । पटना स्थित रक्षा-लेखा नियंत्रक को कार्यालय की कर्मचारी कल्याण समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों, रक्षा-लेखा वार्षिकी-पुस्तक का संकलन किया था, और इसलिये सक्षम प्राधिकारियों की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर प्रकाशित करने के लिये उपर्युक्त में से प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग लेखी चेतावनी दी गयी थी । जहां तक लाटरी के टिकटों की बिक्री का संबंध है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

Increase in Price of Mica

9066. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the floor price of mica has been increased; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The floor prices of various varieties/grades and qualities of mica have been raised with effect from the 22nd February, 1974, on a sliding scale, keeping in view their exportablity and competitive position in the world markets. The increase in floor prices is intended to cover the increas in cost of production and processing of mica.

भारत और बैल्जियम के बीच तकनीकी सहयोग

9067. श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बैजिल्यम के बीच तकनीकी सहयोग संबंधी कुछ प्रस्तावों पर बातचीत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बल्जियम सरकार ने आसान शर्तों पर कोई ऋण देने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो वे शर्तें क्या ह?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) बैल्जियम और भारत की सरकारों के बीच तकनीकी सहयोग के किसी प्रस्ताव पर बातचीत नहीं चल रही है । लेकिन बैल्जियम सरकार 1972 में, व्यापारिक विकास की संभावना की जांच करने के लिये कुछ तकनीकी सहायता देने के लिये सहमत हो गयी थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गुजरात परियोजना के लिए ब्रिटिश सहायता

9068. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को 4 करोड़ पौंड की ब्रिटिश सहायता के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में कोई करार हुआ है ;

(ख) क्या ब्रिटेन गुजरात की परियोजनाओं के लिये सहायता देने हेतु राज़ी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात की परियोजनाओं के नाम तथा स्थापना-स्थल कौन-कौन से हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां। ब्रिटेन की सरकार के साथ कुल मिलाकर 400 लाख पौंड (75.87 करोड़ रुपये) के तीन ऋण करारों पर 27 मार्च, 1974 को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर हुये थे। ये इस प्रकार थे :—

		लाख पौंड	करोड़ रुपये
(i)	1-2-74 के ब्रिटेन/भारत अनुरक्षण ऋण 1974 में संशोधन जिसके अनुसार अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की जायेगी	100.00	189.7
(ii)	ब्रिटेन/भारत मिश्रित परियोजना ऋण 1974	180.0	341.4
(iii)	ब्रिटेन/भारत पूंजी निवेश ऋण 1974	120.0	227.6
		400.00	758.7

(ख) और (ग) उपर्युक्त तीन ऋणों में से क्रम संख्या (i) और (iii) के ऋणों का इस्तेमाल किसी विशेष परियोजना के लिये नहीं किया जाना है बल्कि इनका इस्तेमाल भारतीय उद्योग के अनुरक्षण और इसके लिये आवश्यक पूंजीगत माल के आयात के लिये किया जाना है।

क्रम संख्या (ii) के ऋण का इस्तेमाल परस्पर विचार करके चुनी गई परियोजनाओं के लिये किया जाना है।

इस समय ऐसी दो परियोजनाए हैं जो गुजरात में स्थित हैं जिनका वित्त प्रबंध ऐसे ऋणों से किया जा रहा है। ये हैं (i) काण्डला और कलोल स्थित इण्डियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड के रासायनिक खाद संयंत्र जिन पर 70 लाख पौंड (13.28 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और (ii) जिला बड़ौदा में कोयली स्थित भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड की नेप्था क्रेकर परियोजना जिस पर 41 लाख पौंड (7.77 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

क्रम संख्या (ii) के ऋण का एक भाग इन परियोजनाओं के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

आसाम में भारत सरकार द्वारा प्रबंधित चाय बागान

9069. श्री नुरुल हुडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार इस समय आसाम में कितने चाय-बागानों को चला रही है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें कितने श्रमिक तथा कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या उनको नियमित रूप से मजूरी, बोनस, भविष्य निधि, दवाएं तथा आवास सुविधाएं नहीं दी जा रही है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आसाम के कछार जिले में पथिनी चाय बागान ही एक मात्र ऐसा चाय का बाग है जिस पर सरकार का स्वामित्व है।

(ख) श्रमिकों की संख्या 1491

स्टाफ 108

(ग) जी नहीं। यह सही नहीं है।

डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी लन्दन

9070. श्री बैकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी ने भारत में अपनी एक शाखा खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त मामला इस समय किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि लन्दन की डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी के साथ एक भारतीय कम्पनी, जिसमें वह एक हिस्सेदार के रूप में होंगे, स्थापित करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

खनिजों एवं धातुओं के आयात-निर्यात ठेकों पर भारत-रूमानिया वार्ताएं

9071. श्री वीरभद्र सिंह :

श्री बनमाली बाबू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों एवं धातुओं के आयात-निर्यात ठेकों के मूल्यों को बढ़ाने के लिये नई दिल्ली में भारत और रूमानिया के बीच बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)तथा (ख) रूमानिया को निर्यात किये जाने वाले लोह अयस्क की कीमतों के संशोधन के संबंध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम और रूमानिया के बीच विचार-विमर्श हुये थे। ये उन मात्राओं के संबंध में हैं जिनकी पुरानी संविदाओं के अन्तर्गत दोनों पक्षों द्वारा सुपुर्दगी नहीं हो पाई थी। इन वार्ताओं के फलस्वरूप दोनों पक्षों में संशोधित कीमतों और सुपुर्दगी के कार्यक्रम के बारे में सहमति हो गई है।

विदेशों में हीरों एवं विस्फोटकों की बढ़ती मांग

9072. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, विदेशों में हीरों एवं विस्फोटकों की मांग में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप गत वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

रिजर्व बैंक द्वारा बिहार में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

9073. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में औद्योगिक विकास निगम तथा चमड़ा विकास निगम द्वारा संचालित प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विकास के लिये रिज़र्व बैंक कितनी धनराशि आवंटित करेगा; और

(ख) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने इसी प्रकार के विकास क लिये अन्य राज्यों को कितनी धनराशि दी है ?

(क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विद्युत बिना कार्य कर रहे एककों को उत्पादशुल्क की अदायगी से छूट देना

9074. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत् के बिना चलने वाली मशीनों का उपयोग करने वाले निर्माता-एककों को उत्पादशुल्क की अदायगी से छूट दे कर राहत देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने सिले सिलाये वस्त्रों के व्यापार को भी यह छूट दने के मामले म सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्तमान में, विद्युत् की सहायता के बिना निर्मित, उत्पादन शुल्क लगने योग्य कुछ वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पहले ही छुट दी हुई है। परन्तु, उत्पादनशुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं पर इस प्रकार की सामान्य राहत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) जिन सिली सिलायी पोशाकों के निर्माण में विद्युत् का प्रयोग नहीं किया जाता उन पर किसी प्रकार का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता । इस प्रकार, ऐसे मामलों में उत्पादनशुल्क में राहत देने का प्रश्न नहीं उठता ।

Funds given by Agricultural Refinance Corporation to Mahdhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat

9075. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the funds given by the Agricultural Refinance Corporation to Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat for the implementation of various small and medium irrigation schemes there during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74; and

(b) the steps taken by the Corporation to eliminate disparities in the backward areas of the various States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) (a) The particulars of the amount disbursed by the Corporation for the schemes are as follows :

(Rs. Crores)

	1971-72	1972-73	1973-74 up to (31-3-74)
Gujarat	2·48	25·80	5·67
Madhya Pradesh	1·64	3·10	0·77
Rajasthan	0·78	1·32	1·21

(b) With a view to reducing disparities in the backward areas of various States and assisting the State Governments and the financing institutions in assessing the potential for development and formulation of viable schemes; the Corporation has set up two Technical Consultancy Units one at Lucknow and the other at Calcutta. Other measures such as opening of Regional Offices in the backward States, placing staff exclusively for promotional work holding periodic dialogues with the State Governments and the leading institutions for increasing their involvement in the regions where the Cooperative credit structure is comparatively weak have been taken. The Board of the Corporation also reviews the progress in these States at every meeting. The Corporation has also liberalised the refinance facilities upto 100% for SFDA/MFAL schemes and upto 90% for all other schemes originating from the Eastern and North Eastern Region States.

एयर कस्टम पूल के लिये अधिकारियों का चयन

9076. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एयर कस्टम पूल की स्वीकृति कब प्रदान की थी;

(ख) क्या एयर कस्टम पूल के लिये अधिकारियों के चयन करने के लिये जनवरी, 1973 में केन्द्रीय सीमाशुल्क बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था;

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों ने कोई सूची पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त चयन को एक वर्ष से भी अधिक समय से अनिर्णित रखे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वायु सीमाशुल्क पूल योजना सरकार द्वारा प्रारम्भ में मई, 1963 में स्वीकृत की गई थी परन्तु, इसे वास्तव में 1965 के मध्यम में ही कार्यान्वित किया गया।

(ख) बोर्ड के किसी वरिष्ठ अधिकारी को समिति में प्रतिनिधित्व देने की चुनाव समिति के विधान में कोई व्यवस्था नहीं थी। निरीक्षण निदेशक (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क) और प्रशिक्षण निदेशक (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क) ने, जो समिति के सदस्य थे, जनवरी 1973 में आयोजित साक्षात्कार परीक्षाओं (इण्टरव्यूज) में भाग लिया।

(ग) समिति ने एक सूची केवल डम-डम हवाई अड्डे के लिये चुने गये व्यक्तियों के संबंध में तैयार की। मद्रास तथा बम्बई हवाई अड्डों के संबंध में कोई चयन सूची तैयार नहीं की गई क्योंकि सीमाशुल्क निवारक कर्मचारियों ने साक्षात्कार-परीक्षाओं का बहिष्कार किया।

(घ) उक्त चयन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि हवाई सीमाशुल्क पूल योजना को पुनर्गठित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है।

कपड़े की खपत पर रोक

9077. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़े की खपत पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यों में वृद्धि

9078. श्री राम सहाय पान्डे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में विशेष रूप से अप्रैल, 1974 के पश्चात् अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) वर्तमान मूल्य सूचकांक की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) थोक मूल्यों का सबसे हाल का उपलब्ध सूचकांक, 13 अप्रैल, 1974 को समाप्त हुये सप्ताह का है। एक विवरण संलग्न है

जिसमें 30-3-74 और 13-4-74 को समाप्त हुये सप्ताहों में चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचक-अंकों की तुलना की गयी है।

विवरण

थोक मूल्यों के सूचक अंक

(आधार=1961-62=100)

	सूचक अंक		30-3-74 की तुलना में 13-4-74 को प्रतिशत परिवर्तन
	30-3-74	13-4-74	
1	2	3	4
सभी वस्तुएं	282.9	284.1	+0.4
खाद्य वस्तुएं	321.7	320.1	—0.5
अनाज	336.1	338.7	+0.8
दालों से भिन्न अनाज	309.8	312.9	+1.0
दालें	454.5	455.0	+0.1
खाद्य तेल	379.3	379.6	+0.1
चीनी और सम्बद्ध उत्पाद	269.9	268.6	—0.5
विविध खाद्य वस्तुएं	237.5	215.7	—9.2
ईंधन, बिजली, प्रकाश और चिकनाने के पदार्थ			
कोक	268.4	268.4	कोई परिवर्तन नहीं
मिट्टी का तेल	320.6	320.6	,,
निर्मित वस्तुएं			
सूती कपड़ा	199.8	206.4	+3.3
साबुन	167.2	167.2	कोई परिवर्तन नहीं
औषध और दवाएं	148.7	148.7	,,
कागज और कागज से बनी वस्तुएं	170.9	170.9	,,

मछलियों का निर्यात

9079. **श्री बेकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान कितनी मात्रा में मच्छलियों तथा मत्स्य-उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) इन का निर्यात करने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1973–74 (केवल अप्रैल अक्तूबर, 1973) के दौरान 29043 मे० टन मच्छलियों तथा मत्स्य-उत्पादों का निर्यात किया गया था।

(ख) मच्छली तथा मत्स्य-उत्पादों का निर्यात व्यापार तीन सौ से भी अधिक निर्यातक कर रहे हैं। मुख्य निर्यातक ये हैं :—

(1) मे० मेलाइल इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल एन्टरप्राइजिज़।

(2) मे० एस्मारियो एक्स्पोर्ट एन्टरप्राईजिज़।

(3) मे० इस्टर्न सी-फूड एक्स्पोर्टस प्राइवेट लि०।

(4) मे० केरल फूड पैकर्स।

(5) मे० इंडोमेरिन एजेन्सीज़ (केरल)।

(ग) वर्ष 1973–74 (अप्रैल-अक्तूबर, 1973) के दौरान मछलियों तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यातों का मूल्य 48.99 करोड़ रु० था।

1973–74 के दौरान खली का निर्यात

9080. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खली का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है;

(ख) 1973–74 में किस्म-वार निर्यात की गई खली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मद के लिये क्या दर ली गई है और कितनी विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है जिससे वर्ष 1973 (अक्तूबर 1973 तक) निर्यात की गई खली का क्वालिटी-वार मूल्य तथा मात्रा का ब्यौरा दिया गया है तथा उन प्रमुख देशों के नाम भी दिये गए हैं जिनको इसका निर्यात किया गया। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6905/74.) अक्तूबर, 1973 के बाद के निर्यात आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

ग्वालियर में एक व्यापारी के निवास पर छापे के दौरान सोने तथा काले धन का पता लगना

9081. श्री एम०रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ग्वालियर में एक व्यापारी के निवास पर छापा मारा गया था और स्वर्ण बिस्कुटों तथा 6 लाख रुपये की हुंडियों के रूप में काले धन का पता लगाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) 22 मार्च 1974 को ग्वालियर के एक व्यापारी के निवास स्थान तथा व्यापारिक परिसरों पर छापा मारकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 2,36,962 रुपये मुल्य का शुद्ध सोना तथा सोने के आभूषण पकड़े गये। पकड़े गये सोने में 85,400 रुपये मूल्य के विदेश से आये सोने के 14 बिस्कुट भी शामिल हैं। आयकर विभाग ने 2,51,693 रुपये नकद तथा 2,64,000 रुपये की हुण्डियां भी पकड़ी हैं ।

व्यापारी को 10-4-1974 को पकड़ा और गिरफ्तार किया गया था और मैजिस्ट्रेट ने उसको 2,000 रुपये के मुचलके पर छोड़ा है। जांच जारी है ।

भारत की ब्रिटेन में स्टर्लिग में मुद्रा

9082. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समय ब्रिटेन में भारत स्टर्लिग में कुल कितने मूल्य की मुद्रा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : संभवत: माननीय सदस्य का संकेत भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान विदेशी मुद्रा से है। 19 अप्रैल 1974 को इसकी रकम 559.86 क रोड़ रु० थी ।

जीवन बीमा निगम के बहुमंजिले भवन का निर्माण

9083. श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री जीवन बीमा निगम बहुमंजिले भवन के निर्माण के बारे में 10 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने कनाट सर्कस क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के भूमि-खंड पर एक बहु-मंजिल भवन (30 मंजिल से अधिक) के निर्माण के लिए उसकी योजनाओं के संदर्भ में नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जीवन बीमा निगम की योजना को कब मंजूरी दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में तीन से अधिक मंजिलों की इमारत बनाने पर लगा प्रतिबन्ध अभी भी प्रवर्तमान है । लेकिन कनाट प्लैस क्षेत्र में प्रतिबंध को उठा लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) तीन से अधिक मंजिलों की इमारतें बनाने की निमार्ण योजनाओं की, नई दिल्ली नगर-पालिका द्वारा, मंजूरी प्रतिबंध चालू रहते नहीं दी जायेगी। इसके अलावा जीवन बीमा निगम को, सरकार ने हाल में तल-क्षेत्र अनुपात, आच्छादन क्षेत्र और इमारतों की ऊंचाई के संबंध में जो परिवर्तन अधिसूचित किये हैं, उनका पालन करने के लिए जीवन बीमा निगम को अपनी निर्माण योजना में संशोधन करना पड़ेगा।

सेंट्रल बैंक द्वारा जमा राशियों पर कमीशन का भुगतान

9084. श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री सैंट्रल बैंक द्वारा जमा राशियों पर कमीशन के भुगतान के बारे में 10 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2994 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराई गई कुछ राशियों के संबंध में सैंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा बीमा कम्पनी के एक अधिकारी को कमीशन दिये जाने के बारे में जांच पूरी कर ली है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) उस बीमा कम्पनी और बीमा कम्पनी के उस अधिकारी का क्या नाम है जिसे कमीशन दिया गया है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

(क) से (ग) : केन्द्रीय जांच कार्यालय ने सूचित किया है कि इस मामले में उनके द्वारा की जाने वाली जांच अभी पूरी नहीं हुई है। चूंकि जांच का काम अभी पूरा नहीं हो पाया, इसलिये बीमा कम्पनी या बीमा कम्पनी के उन कर्मचारियों के नाम बताना सम्भव नहीं है, जिन्हें कमीशन दिया गया बताया जाता है।

खनिज अयस्क के निर्यात के लिए आस्ट्रेलिया के साथ समान नीति

9085. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री राम प्रकाश :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक समान नीति बनाने की दृष्टि से आस्ट्रेलिया के साथ कोई बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। आस्ट्रेलिया ने आपसी हित के मामलों में सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का अध्ययन

9086. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए अध्ययन से पता चला है कि देश में सहकारी ऋण संस्थाओं का कार्यकरण उत्साहजनक एवं स्तर का नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संभवतः संकेत भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिसम्बर, 1972 में नियुक्त किये गए उस अध्ययन दल से है जिसकी नियुक्ति सारे देश में विस्तरीय सहकारी ऋण ढांचे के विभिन्न स्तरों पर अतिदेय (ओवरड्यू रकमों की स्थिति की जांच करने, अतिदेय रकमों के कारणों तथा ऋण के प्रवाह पर उनके प्रभाव का मोटे तौर पर पता लगाने तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये की गयी थी।

अध्ययन दल ने, देश में सहकारी ऋण संस्थाओं की अतिदेय रकमों के ऊंचे स्तरों और उनमें बढ़ने की प्रवृत्ति से, जिनका ऊंची वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की उनकी क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, चिन्ता व्यक्त की है। अतिदेय रकमों के कारणों का विश्लेषण करने के बाद दल ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की है :—

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सहकारी बैंकों को कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत दैवी विपत्तियों के कारण 7 वर्ष तक के लिये, उनके द्वारा दिये गए दरमियाना दर्जे के "परिवर्तनीय ऋणों" के भुगतान के रूप में दरमियना दर्जे के ऋण मंजूर कर सकें।

2. राज्य सरकारों द्वारा अन्नावरी की घोषणा का तरीका, राज्य सांख्यिकीय विभागों/कार्यालयों पर अधिक निर्भरता से अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए।

3. लगातार दैवी विपत्तियों से प्रभावित होने वाले ऋणकर्ताओं को, 7 वर्ष तक की अवधि के लिये ऋणों का पुनर्निधारण करके और/अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, उन ऋणों की रकम को बट्टे खाते डालकर विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत स्थिरीकरण निधियों से राहत दी जाये।

4. अनिःछुक दोषी ऋणकर्ताओं से, छोटी अवधि और दरमियाना अवधि के ऋणों के संबंध में राहत के तौर पर पुनःस्थापना के कार्यक्रम की सिफारिश न केवल ऐसे दोषी ऋणकर्ताओं की पुनः स्थापना के लिये बल्कि सहकारी ऋण संस्थानों को ऋण देने का मार्ग खोलने के लिये भी की गई है।

5. स्वेच्छा से वापसी अदायगी का वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से, अत्यधिक अडियलपन के मामलों में मजबूर कर देने वाली कार्यवाही के उपाय के लिये और यदि चूक रकम और/अथवा चूक करने वालों की संख्या निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाती है तो प्रबन्ध समिति को स्वतः आयोग्य ठहराने की व्यवस्था के लिये कपटपूर्ण ढंग की अतिदेय रकमों की वसूली के लिये बहुत से उपायों का सुझाव दिया गया है।

6. उन राज्यों में जहां कृषि की वस्तुएं एकाधिकार वसूली के अधीन हैं, यह सुझाव दिया गया है कि बिक्री की रकमों का अथवा प्राथमिक ऋण समितियों को देय रकमों का, जो भी कम हो, कम से कम 50 प्रतिशत कानूनन वसूल किया जाना चाहिये।

7. जानबूझ कर रकमों की वापसी न करने वालों की ज़मीन की नीलामी के लिये बोली देने वालों के अभाव में, राज्य सरकारें नीलामी में ज़मीन खरीद लें अथवा ऐसी ज़मीनों की खरीद के लिये राज्य कृषि निगम की स्थापना करें।

8. किसी भी हालत में, राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में सहकारी समितियों के दोषी व्यक्तियों को वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। दोषी का जामिन भी दोषी ठहराया जाना चाहिये और उसे नया ऋण नहीं दिया जाना चाहिए।

9. सहकारी समिति अधिनियमों अथवा उनके अन्तर्गत बनाये गए नियमों में इस तरह से संशोधन किया जाये कि किसी साधारण सभा में अथवा चुनाव म किसी व्यक्ति को यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जानबूझ कर रकम नहीं चुकाता, तो मत का प्रयोग करने के अयोग्य ठहराया जा सके। जानबूझ कर रकम न चुकाने वाले के जामिनों को भी इसी प्रकार से इन अधिकारों से वंचित रखा जाना चाहिए।

'एवियेशन टर्बाइन फ्यूल' पर उत्पादक-शुल्क और कर में रियायत

9087. श्री प्रबोध चन्द्र:

श्री राम प्रकाश:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान सेवाओं को बढ़ाने के लिये 'एवियेशन टर्बाइन फ्यूल' पर कुछ उत्पाद-शुल्क तथा कर में रियायत देने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) आई० ए० टी० ए० तथा भारत से होते हुये परिचालन करने वाली अन्य विदेशी एयरलाइनों से प्राप्त एक प्रतिवेदन पर भारत सरकार ने हाल ही में विमानन टर्बाइन ईधंन के मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिये 504.72 रुपये प्रति किलो लीटर की कमी की है। महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु सरकारों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिये प्रयुक्त होने वाले ए० टी० एफ० (विमानन टर्बाइन ईंधंन) पर अपने यथा मूल्य (एड वेलोरम) बिक्री कर को अब हटा लिया है। ये निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करने वाली एयरलाइनों को, जिनमें एयर इण्डिया भी सम्मिलित है, काफी राहत प्रदान करेंगे।

Financial Assistance from Foreign Countries during First year of Fifth Plan

9088. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries which have committed assistance and credit upto 10th April, 1974 for the first year of the Fifth Fiver Year Plan indicating the nature thereof ;

(b) the total amount thereof ; and

(c) when this amount is proposed to be utilised.

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) An agreement has been signed with France for 1974-75 totalling French France 274

million. Out of this, Fr. Fr. 60 million are for Atomic Energy and the remaining amount is for other project and non-project uses. In addition, the Agreements signed in the past with Canada and Sweden had indicated specific amounts available for utilization during 1974-75 to the extent of Canadian $30 million and Swedish Kroner 120 million respectively. Canadian assistance is 1or raw materials and fertilizers and Swedish assistance is for both project and non-project. Besides, aid in the pipeline from other countries as well as multilateral institutions would be available for utilisation during 1974-75.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दादरा और नगरा हवेली में छोटे व्यापारियों तथा हथकरघा बुनकरों को दिये गये ऋण

9089. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली में वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 के दौरान अलग-अलग, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्रों को निपटाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में बैंक अलग से आंकड़े नहीं रखते । इन अग्रिमों के आंकड़े फुटकर व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं । दादरा और नगर हवेली में कृषि तथा इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

श्रेणी	बकाया रकम :—	
	सितम्बर 1972 को	सितम्बर 1973* को
कृषि प्रत्यक्ष (पौधारोपण को निकाल कर)	—	1.56
फुटकर व्यापार और छोटे व्यवसाय	—	1.00

*अनन्तिम

(ख) और (ग) प्राप्त हुये और निपटाये गये आवेदनपत्रों के संबंध में, बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंकों को दिये जाने वाले आधारभूत आंकड़ों के विवरणों में सूचना उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार के ऋणकर्ताओं को श्रेणियों के संबंध में और सभी वाणिज्यिक बकों के संबंध में इस प्रकार का सूचना संकलित करना कठिन है और वह तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

दादर और नगर हवेली में स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

9090. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली में स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या उन स्थानों में और अधिक शाखाऐं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वे शाखाएं कहां-कहां और कब खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मार्च, 1974 के अन्त में दादरा और नगर हवेली संघ क्षेत्र में 4 बैंक कार्यालय थे। ये सभी देना बैंक द्वारा, जो एक सरकारी क्षेत्र का बैंक है, खोले गये थे।

(ख) और (ग) : मार्च 1974 के अन्त में दादरा और नगर हवेली संघ क्षेत्र में नये कार्यालय खोलने के लिये किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पास कोई लाइसेंस, आवंटन बाकी नहीं था।

जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तरी क्षेत्र में और कार्यालय खोलना

9091. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के कार्यालयों (शाखाओं, उप-कार्यालयों तथा विकास केन्द्रों) की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उत्तरी क्षेत्र में और कार्यालय खोलने के लिये जीवन बीमा निगम क्या कदम उठा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र में कार्यालयों की जो संख्या 1956 में 25 थी वह 1965–66 में बढ़कर 91 हो गई थी। बाद में, व्यापार के अपर्याप्त विकास के कारण, कुछ कार्यालय बन्द कर दिये गए अथवा उनका दर्जा घटा दिया गया और मार्च, 1971 तक संख्या घटकर 78 तक रह गई थी। इसके बाद बढ़कर मार्च, 1974 तक 101 हो गई है।

(ग) नये कार्यालय, किसी क्षेत्र में व्यापार के विकास की वार्षिकस मीक्षा और सेवा के लिये बीमा पालिसी की संख्या के आधार पर खोले जाते हैं।

निर्यात के संबध में प्रशुल्क नियंत्रणों को कम करना

9092. **श्री अनादि चरण दास** :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने निर्यात के संबंध में प्रशुल्क नियंत्रणों को कम करने की मांग करेगा;

(ख) क्या यह तेल तथा मुद्रा संकट का सामना कर रहे विकसित देशों को पेश आ रही समस्याओं के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीति का ही भाग होगा; और

(ग) गत तिमाई के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर कितनी रही ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत, व्यापार के संबंध में टैरिफ तथा गैर-टैरिफ दोनों प्रकार के अवरोधों को हटाने/कम करने के उद्देश्य से गाट के अधीन होने वाली आगामी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में भाग लेगा। इन वार्ताओं का मुख्य विचार-विषय विकासशील देशों के उत्पादों के लिये बाजारों का विस्तार तथा उन देशों की निर्यात आय में वृद्धि करना होगा। इस दिशा में, वार्ताओं के दौरान विशेष प्रक्रियाएं अपनाये जाने की आशा है।

विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे कि गाट तथा अंकटाड में, अन्य विकासशील देशों के साथ मिल कर भारत विकसित देशों में व्यापार उदारीकरण उपाय लागू कराने के लिये प्रयत्न करता रहा है ताकि भारत से और साथ ही अन्य विकासशील देशों से उद्भूत होने वाले उत्पादों हेतु विदेशी बाजारों में बेहतर प्रवेश की व्यवस्था हो सके।

भारत, व्यापार संबंधी टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोधों को हटाये जाने के लिए अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर भी प्रयास करता रहा है ताकि इन बाजारों में अपने उत्पादों की प्रवेश स्थिति में सुधार कर सके।

(ग) 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान निर्यातों (पुनर्निर्यात सहित) की वृद्धि दर 1972 की अन्तिम तिमाही की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत थी।

खाड़ी के देशों में विपणन सम्बन्धी गोष्ठी

9093. श्री अनादि चरण दास :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने नई दिल्ली में मार्च, 1974 के अन्तिम सप्ताह में खाड़ी के देशों में विपणन सम्बन्धी एक गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या उसमें व्यक्त विचारों पर उनके मंत्रालय ने विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने मुख्य रूप से खाड़ी के चुने हुए देशों (बहरीन, कतार, कुवैत, आबु धाबी, दुबाई तथा ओमान) के बाजार सर्वेक्षण, जो संस्थान ने पहले किया था, के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करन के लिये 'मार्कीटिंग इन दी गल्फ' के सम्बन्ध में गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ग) बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा गोष्ठी में व्यक्त किए गए विचारों पर मंत्रालय में ध्यान दिया जा रहा है।

पुर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौता

9094. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1972–73 तथा अप्रैल से अक्तूबर 1973 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार की स्थिति इस प्रकार है :–

(करोड़ रु० में)

	1972–73	अप्रैल-अक्तूबर 1973
आयात	211	126
निर्यात	458	267
योग	669	393

समुद्री उत्पादों का निर्यात

9095. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों का निर्यात 48,785 टन का 79.58 करोड़ रुपये का हुआ है जो सर्वाधिक है और जिसके मूल्य में 27.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में भी वृद्धि की यही दर बनाये रखने हेतु प्रयास कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

हुबली में नये हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि

9096. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) हुबली में नये हवाई अड्डे के निर्माण कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ख) यह हवाई अड्डा उड़ानों के लिए कब तक खोल दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, कुछ नहीं।

(ख) हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा हो जान की आशा है ।

कपड़ा उद्योग की कोयले से चलने वाले बायलरों को लगाने की योजनाएं

9097. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन प्राधिकरण की कोयला उपलब्ध कराने में असमर्थता अथवा रेलवे द्वारा उसे परिवहन करने की कठिनाइयों अथवा दोनों के कारण कपड़ा उद्योग की कोयले से चलने वालें बायलरों को लगाने की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वस्त्र उद्योग की कोयले से चलने वाले बायलरों को अपनाने की योजनाओं तथा कोयले की अतिरिक्त सप्लाइयों की उपलब्धता तथा उनके परिवहन के सम्बन्ध में सी० एम० ए० तथा रेलवे द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है ।

अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने के लिये परियोजना

9098. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने की परियोजना को स्थगित कर दिया है अथवा त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अहमदाबाद हावाई अड्डे को अतर्राष्ट्रीय विमान यातायात के योग्य तथा उपयोगी बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) फिलहाल सरकार का अहमदाबाद में एक नियमित अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि अहमदाबाद सीमा शुल्क विमानक्षेत्र है जहां सीमित स्वास्थ्य एवं आप्रवासन सुविधायें उपलब्ध हैं और जिसका उपयोग भारी प्रकार के विमानों को प्राप्त करने में समर्थ बम्बई के एक वैकल्पिक विमानक्षेत्र के रुप में किया जा सकता है। टर्मिनल सुविधाओं का भी सुधार एवं विस्तार किया जा चुका है । पांचवी योजना में संबद्ध एप्रन और टैक्सी-पथ सहित एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव है ।

जमा राशि पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दर की वृद्धि किया जाना

9099. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने जमाराशि पर ब्याज की दरों में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निदेश जारी करके, जनता की जमा रकमों पर देय ब्याज की दर में 1-4-1974 से वृद्धि कर दी है। बचत बैंक खातों में जमा रकमों के सम्बन्ध में ब्याज की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी है किन्तु विभिन्न अवधियों में परिपक्व होने वाली सावधि जमा रकमों के संबंध में $\frac{1}{4}$ प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक के बीच वृद्धि की गयी है।

दक्षिण गुजरात के निकट एक जहाज से तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

9100. श्री पी० गंगादेव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में 7 दिसम्बर, 1973 को एक बड़े विदेशी जहाज में से 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य की तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गई थीं;

(ख) क्या 15 नावें और 50 जहाज कर्मचारी भी पकड़े गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता-कार्यालय, बलसाड़ को समुद्री दस्ते के सीमाशुल्क अधिकारियों ने 7 दिसम्बर, 1973 को एम० एस० वी० मारवान नामक एक अरब नौका (ढो) को मार्ग में ही रोक लिया तथा कुल मिलाकर लगभग 20.6 लाख रुपये मूल्य के मेंथाल, निकोटामाइड, चूर्ण, वस्त्र, रेडियो, कार्पिंग मशीनें आदि जैसे निषिद्ध वस्तुएं पकड़ीं। इस संबंध में चालक-दल के 9 सदस्य गिरफ्तार किये गये। उक्त अरब नौका मार्ग में रोके जाने के बाद, मध्यम आकार के मछली पकड़ने के तीन यंत्रचालित जलयान जिनमें लगभग 25 से 30 व्यक्ति सवार थे, आए और उन्होंने उक्त नौका को घेर लिया तथा सीमाशुल्क अधिकारियों पर आक्रमण करने तथा माल लूटने के इरादे से उक्त नौका को टक्कर मारने की कोशिश की। सीमाशुल्क अधिकारियों ने गोलियां चलाकर उनके प्रयासों को असफल कर दिया। परन्तु, तीन जलयानों तथा उन पर सवार व्यक्तियों को नहीं पकड़ा जा सका।

कपड़ा उद्योग का उत्पादन

9101. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के बन्द होने का सिले सिलाए कपड़ा बनाने वाले उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण भारत के निर्यातों पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गये ऋणों की राशि

9102. श्री विक्रम महाजन :

श्री शंकर राव सावन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1974 तक किन किन पार्टियों का कितना-कितना ऋण बट्टे खाते डाला और ये ऋण क्यों वसूल नहीं किये जा सके ; और

(ख) क्या वे किसी विशिष्ट गारन्टी दर पर दिये गये थे या किसी की जमानत पर ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 तथा उसमें निर्दिष्ट संतुलन-पत्र और लाभ-हानि प्रपत्र के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए की जाने वाली व्यवस्था और अपने ग्राहकों के बारे में सूचना देने की कानूनी तौर पर मनाही है। इस कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध पार्टियों अथवा इस तरह के ऋणों की रकमों की सूचना नहीं दी जाती।

बैंक आम तौर पर उन्हीं मामलों में ऋण देते हैं जिनमें जमानत और/अथवा गारंटी उपलब्ध हो। बैंक समय समय पर अपने सभी बकाया ऋणों की जांच करते रहते हैं । जिन मामलों में ऋणों की वसूली करना कठिन साबित होता है उन में बैंक उन ऋणों को वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। जिन मामलों में जमानत और/अथवा यदि गारण्टी उपलब्ध होती है उनमें वे इनका सहारा लेते हैं। जब आवश्यक होता है तब ऋणों की रकमें वसूल करने के लिए ऋण कर्त्ताओं/गारंटी देने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दायर किये जाते हैं और केवल उस हालत में जब ऋण वसूल करने के सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं तथा ऋण वसूल करने के सम्बन्ध में और खर्च करना उचित नहीं जान पड़ता तब बैंक वसूल न हो सकने वाले ऋणों की रकमें बट्टे खाते डालते हैं।

पांचवी योजना में पंजाब में पर्यटन का विकास

9103. श्री भान सिंह भौंरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में पंजाब में पर्यटन के विकास की कोई योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) लुधियाना में पर्यटक बंगले तथा अमृतसर में युवा होस्टल का निर्माण-कार्य, जिसे पर्यटन विभाग द्वारा चौथी योजना में प्रारम्भ किया गया था, पांचवी योजनावधि के दौरान पूरा हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम का, साधन उपलब्ध होने की अवस्था में तथा एक व्यवहार्यता अध्ययन करने के पश्चात्, पांचवी योजना में अमृतसर तथा चंडीगढ़ में मोटलों का निर्माण करने तथा चण्डीगढ़ में एक परिवहन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कोरिया के साथ हमारी विदेश व्यापार की स्थिति

9104. **श्री भान सिंह भौंरा :**
श्री सी० जनार्दन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतंत्रात्मक जनवादी गणराज्य कोरिया के साथ 1973–74 में हमारे विदेश व्यापार की स्थिति क्या थी ;

(ख) 1971–72 और 1972–73 में व्यापार की स्थिति क्या थी ;

(ग) उस देश को हम मुख्यतया कौन सी वस्तुएं निर्यात करते हैं और वहां से क्या-क्या आयात करते हैं ; और

(घ) उस देश के साथ व्यापार की भावी संभावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973–74 (अप्रैल—अक्टूबर 1973) के दौरान कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ भारत का व्यापार निम्नलिखित रहा :--

(लाख रुपये में)

कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात ।	66
कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को किये गये निर्यात	141
जोड़	207

(ख) वर्ष 1971–72 और 1972–73 में कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के साथ हुए व्यापार की स्थिति निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

	1971–72	1972–73
कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात	278	108
कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को निर्यात	117	84
जोड़	395	193

(ग) कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदों में वस्त्र, पटसन निर्मित माल, चमड़ा, मेंगनीज अयस्क, तार-रस्से, बालबेयरिंग, टायर और ट्यूबें रसायन सामग्री आदि शामिल हैं।

कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली प्रधान मदें ये हैं : उर्वरक, इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, मैंगनेशिया क्लिंकर, ताप-सह ईंटें आदि।

(घ) भारत और कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य के बीच हुए 1974 के व्यापार सलेख में 26 करोड़ रुपये की राशि के कुल व्यापार की व्यवस्था है। 1974 की व्यापार योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत अच्छी रही है। 10 करोड़ रुपये से अधिक के सामान का कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात किये जाने के लिए संविदाएं हो चुकी हैं। कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को किये जाने वाले हमारे निर्यातों के लिए जो संविदायें की जा चुकी हैं उनका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपये है।

विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों संबंधी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय को लागू करना

9105. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की किन-किन श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें पर निर्णय को लागू किया जाना है ; और

(ख) इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के II, III तथा IV श्रेणियों के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को लागू करने का जहां तक सम्बन्ध है, संशोधित वेतनमानों की अधिसूचना 13 अधिसूचनाओं द्वारा की गई है जिन के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, और दिल्ली, गोवा, दमन, दीव, पाण्डिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में कार्य कर रहे 75 प्रतिशत असैनिक कर्मचारी आ जाते हैं। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय ने अपने विभिन्न वर्गों के असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं जारी की हैं। रेलवे मंत्रालय ने भी रेल कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित किया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बाकी कर्मचारियों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रवर्तमान वेतनमानों के आंकड़े तथा संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं, और उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों से परामर्श करना होता है। वस्तुतः पदों के जिन वर्गों के सम्बन्ध में वेतनमानों को अभी अधिसूचित किया जाना है, उनके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जहां तक श्रेणी–I की सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित करने का प्रश्न है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा 29 मार्च, 1974

को की जा चुकी है। मंत्रालयों/विभागों से भी कहा गया है कि वे संशोधित वेतनमानों की घोषणा के लिए आवश्यक जानकारी शीघ्रातिशीघ्र भेजें। इस जानकारी के प्राप्त होते ही, इन सेवाओं पदों के संशोधित वेतमान शीघ्र ही अधिसूचित कर दिये जायेंगे।

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये तथा बट्टे खाते में डाले गये एवम् संदेहास्पद ऋणों की वसूली

9106. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 के अन्त तक रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गये ऋणों और ऐसे ऋण की राशि कितनी है, जिनकी वसूली संदेहास्पद है ;

(ख) बट्टे खाते डाले गये ऋणों और ऐसी ऋणों की मुख्य बातें क्या हैं, जिनकी वसूली संदेहास्पद है ; और

(ग) इन ऋणों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक केवल केन्द्रीय राज्य सरकारों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ही ऋण देता है और, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में बट्टे खाते डाले गये ऋणों और ऐसे ऋणों का सवाल ही पैदा नहीं होता जिनकी वसूली संदेहास्पद हो।

जहां तक भारतीय स्टेट बैंक और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 44 और बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 13 के साथ पठित, बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और इस के अन्तर्गत निर्धारित तलपट और लाभ और हानि खातों के प्रोफार्मा के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक संविधि के अधीन इस बात के लिए बाध्य हैं कि बट्टे खाते डाले गये और असंदिग्ध ऋणों के लिए की गयी व्यवस्थाओं अथवा अपने खाताधारियों के बारे में कोई सूचना न दें, इसलिए ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती।

यद्यपि बट्टे खाते डाले जाने वाले और असंदिग्ध ऋण ऐसे सामान्य व्यापारिक जोखिम हैं जो बैंक जैसे ऋण देने वाले अभिकरण को उठाने ही पड़ते हैं फिर भी, बैंकों द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा, जोखिम को यथासम्भव कम से कम करने के लिए ऋण की किस्म के सम्बन्ध में, समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों के दौरान, लगातार समीक्षा की जाती है। दूरदर्शिता के नाते, बट्टे खाते डाले जाने वाले और संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था करते समय बैंक तब तक इन ऋणों को बट्टे खाते नहीं डालते जब तक इन रकमों को वसूल करने की सभी सम्भव उपाय न कर लिये जायें।

वर्ष 1971-72 और 72-73 में पकड़ी गई जाल मुद्रा

9107. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 क पकड़े गए जाली करेंसी नोटों की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे नोट कितने कितन रुपये तक के थे ; और

(ख) जाली नोट बनाने में लगे और पकड़े गए तथा इन अपराधों के लिए दण्डित व्यक्तियों का 1971–72 और 1972–73 में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1971, 1972 और 1973 के दौरान पकड़े गये जारी करेंसी नोटों की राशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है और सभा पटल पर रख दिया गया है। (**ग्रन्थालय में र ा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6906/74**)

(ख) इन वर्षों के दौरान जाली नोट बनाने से संबंधित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है और सभा-पटल पर रख दिया गया है (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6906/74**)

कपड़े के मूल्य में वृद्धि

9108. श्री राम भगत पासवान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लागत में अत्याधिक वृद्धि को देखते हुए सरकार से अनुरोध किया गया है कि नियंत्रित कपड़े की कीमतें बढ़ाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1968 में नियंत्रित कपड़े की मिल के निकलते समय की जो कीमतें निर्धारित की गई थीं उन कीमतों में 1 अप्रैल, 1974 से 30 प्रतिशत की समान वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंण्डिया अधिनियम का संशोधन

9109. श्री राम भगत पासवान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम का संशोधन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

उत्तर कोरिया से यूरिया और अलोह धातुओं का आयात

9110. श्री एम० एस० पुरती :
श्री सी० के० जाफर शरीफ:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया इस वर्ष भारत को यूरिया और जस्ता जैसी कुछ आवश्यक अलौह धातुएं तथा नर्म इस्पात, बिलेट तथा एंट्राहाइट मेगनिशया किलंकर आदि उपलब्ध करने पर राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं तथा कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया जायेगा और किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1974 की भारत-कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य व्यापार योजना में 26 करोड़ रुपये की राशि के वार्षिक व्यापार की व्यवस्था की गई है।

इसके अनुसार कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य को किये जाने वाले भारत के प्रमुख निर्यातों में चमड़ा, वस्त्र, पटसन निर्मित माल, मैंगनीज़ अयस्क, एच० पी० एस० मूंगफली, गर्म मसाले, तार-रस्से, बाल-बेयरिंग, टायर और ट्यूबें, सरायन-सामग्री आदि शामिल हैं।

कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयत की जान वाली प्रधान मदें ये हैं : उर्वरक, इस्पात, उत्पाद, अलौह धातुएं, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, मैगनेशिया क्लिंकर, तापसह ईंटें आदि।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई संविदा के अनुसार कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य 20,000 मे० टन यूरिया अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सप्लाई करेगा। डिलीवरी की समय-सारणी के अनुसार 10,000 मे० टन जुलाई–सितम्बर, 1974 के दौरान किया जायेगा और शेष अक्टूबर, 1974 के दौरान सप्लाई किया जायेगा।

पर्यटकों के रुचि के पर्वतीय स्थानों पर पद यात्रा पर्वतारोहण के लिए सुविधाएं

9111. श्री एम० एस० पुरती :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की रुचि के कुछ पर्वतीय स्थानों पर सरकार भारतियों और विदेशियों को पदयात्रा/पर्वतारोहण के लिए उचित किराये पर आधुनिक उपकरण सप्लाई करके सुविधाएं देती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस समय भारतियों तथा विदेशियों को ट्रैकिंग तथा पर्वतारोहण अभियानों के लिए उपस्कर की सप्लाई दार्जीलिंग, उत्तरकाशी तथा मनाली स्थित पर्वतारोहण संस्थांनों द्वारा की जा रही है। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित भारतीय स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान का पर्यटकों को उपस्कर किराये पर देने तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेकिंग तथा पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन करने का भी प्रस्ताव है।

इण्डियन एयरलाइन्स में विमान चालकों की भर्ती

9112. श्री मधु दण्डवते :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अप्रैल-अक्टूबर, 1972 में आयोजित व्यापक चयन परीक्षाओं के लिए 55 विमान चालकों की भर्ती का अनुमोदन कर दिया था ;

(ख) क्या इनमें से 28 चालक प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में भेजे गये थे और शेष 27 को इस आश्वासन के पत्र भेजे गए थे कि उन्हें भी उक्त 28 चालकों के प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जायेगा ; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का अब उन 27 चालकों के अधिकारियों की उपेक्षा कर के नई भर्त्ती करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 1973 के प्रारम्भ में प्रशिक्षु विमान चालकों के रूप में नियुक्त के लिए 55 उम्मीदवारों का एक पेनल बनाया गया था तथा यह पेनल एक वर्ष के लिए वैध था। पहले 28 उम्मीदवारों को 1 फरवरी, 1973 से नियुक्ति प्रस्ताव दिये गये थे और वे एक को छोड़ कर, जिसकी कि सेवाएं प्रशिक्षण के दौरान कार्य असंतोषप्रद होने के कारण समाप्त कर दी गयी हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शेष 27 विमान चालकों को रिक्तियों के अभाव के कारण नियुक्ति नहीं दिये जा सके ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा वस्तुओं पर लगे कोटा प्रतिबन्ध हटाना

9113. श्री मधु दण्डवते: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने हथकरघा वस्तुओं पर कोटा प्रतिबंध हटाने की भारत की मांग को ठुकरा दिया है परन्तु सूती रेशमी हथकरघा वस्तुओं का शुल्कमुक्त कोटा काफी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्यमंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) ब्रिटेन को भारतीय हथकरघा सूती माल के निर्यात के लिए व्यापारिक व्यवस्था के प्रश्न पर बातचीत चल रही है।

जहां तक हथकरघा रेशमी माल का संबंध है, गत वर्ष ब्रिटेन के साथ एक करार सम्पन्न किया गया था जिसमें एक लाख वर्ग गज़ के शुल्क युक्त वार्षिक कोटे की व्यवस्था की गई थी । तथापि, ब्रिटेन सरकार ने 1973 में इस कोटे के स्तर से भी अधिक माल के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी थी। ऐसी संभावना है कि 1974 के दौरान होने वाली व्यवस्था उसी ढंग की होगी जिस ढंग की व्यवस्था 1973 में हुई थी ।

कुवैत और ईराक को मांस का निर्यात

9114. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के बूचड़ खाने तथा बम्बई के कुछ कारखानों में मांस को परिष्कृत करने क पश्चात् इसका काफी अधिक मात्रा म कुवैत तथा ईराक को निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या मांस की निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे वैगनों के द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़े पैमाने पर पशुओं को बम्बई भेजा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कारखानों के कारण देशों में मांस के मूल्य बढ़ गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विगत दो वर्षों में बम्बई पत्तन से कुवैत को हुआ मांस का निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :–

	1972–73		1973–74	
	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
कुवैत	789	24.73	1485	77.10

इराक को कोई निर्यात नहीं हुआ ।

इसके लिए तथा स्थानीय मांग के लिए साधन सामग्री देश के विभिन्न भागों से आती है ।

(ग) 1973 के दौरान मांस की कीमतें बढ़ गई, इसका मुख्य कारण पशु चारे तथा उनके भरण-पोशन पर व्यय का बढ़ना था ।

पुस्तक-गृहों के कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा के उपाय

9115. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई श्रमिक संघ ने उन्हें एक ज्ञापन भेजा है जिसमें वैज्ञानिक पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के सरकारीकरण के बाद पुस्तक-गृहों के कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा की मांग की गई है ;

(ख) क्या इस संबंध में उक्त संघ को कोई आश्वासन दिया गया है ;

(ग) क्या इंडिया बुक हाउस, बम्बई के कर्मचारियों को छंटनी का खतरा है ;

(घ) यदि हां, तो उनके रोजगार की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) राज्य व्यापार निगम आयात की जाने वाली उन कीमती वैज्ञानिक, तकनीकी पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों के थोड़े से अंश के आयात का प्रबंध करेगा जो सामान्यतया पुस्तक व्यापारियों के जरिये प्राप्त नहीं होती हैं । अतः राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात किये जाने से देश में पुस्तक-सदनों के कर्मचारियों के रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊनी चीथड़ों के आयात को निलम्बित करना

9116. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**
श्री प्रसन्भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीथड़ों के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम को 23 लाख रुपये की और राशि आबंटित की है परन्तु उसने ऊनी चीथड़ों के आयात के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करना अचानक निलंबित कर दिया है और इस निर्णय से रद्दी ऊन के कपड़े बनाने वाले उद्योग की कठिनाइयां बढ़ गई हैं जिसे पहले ही कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा चीथड़ों का आयात कब से पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नई निविदाएं आमंत्रित करने से पूर्व राज्य व्यापार निगम सरकार से कुछ स्पष्टीकरण चाहता था। ये स्पष्टीकरण अब दे दिये गये हैं जिसके आधार पर राज्य व्यापार निगम द्वारा ये खरीदारियां जारी हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बिड़ला तथा उनके परिवारिक सदस्यों की कम्पनियों के विरुद्ध जांच

9117. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला की कम्पनियों तथा उसके परिवारिक सदस्यों के विरुद्ध देय करों संबंधी कोई जांच चल रही है और यदि हां, तो कब से ; और

(ख) यह जांच पूरी करने के लिए और कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर ०गणेश) : (क) निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) में अगस्त 1972 में स्थापित विशेष सेल से कहा गया है कि कतिपय बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कर अपवंचन कर परिहार के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले तरीकों का अध्ययन करे। बिड़ला समूह इसी प्रकार का एक समूह है।

(ख) इस विशेष एकक द्वारा किए गये अध्ययनों के आधार पर, बिड़ला समूह क मामलों के कर निर्धारण से संबंधित आयकर अधिकारी आगे यथा आवश्यक जॉच करते हैं और कानून के अनसार कर निर्धारण पूरे करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इसमें जाँच पड़ताल पूरी करने के लिए कोई समय सीमा नही है ।

देश में पिछड़े राज्यों के लिये विद्युत चलित करघों का आवंटन

9118. **श्री शिवनाथ सिंह : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछड़े तथा बहुत ही पिछड़ें हुये राज्यों तथा जिलों के लिए विद्युतचालित करघों के आबंटन करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक विभिन्न राज्यों को कितने विद्युत चालित करघे आवंटित किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री ((श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि तक राज्यों को शक्ति चालित करघों का कोई औपचारिक आबंटन नहीं किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित रुई तथा कृत्रिम रेशम के शक्ति चालित करघों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उद्यमियों को करघों का आवंटन करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था। ऊनी शक्ति चालित करघों के संबंध में शती कटिबंध में आने वाले निम्नलिखित राज्यों के पिछड़े हुए जिलों के लिए चतुर्थ योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित आवंटन किये गये :

क्रांमक	राज्य	पिछड़े हुए जिलों के लिए आवंटित शक्तिचालित करघों की संख्या
1	बिहार	192
2	हरियाणा	120
3	जम्मू तथा कश्मीर	12
4	मध्य प्रदेश	96
5	उत्तर प्रदेश	416
		836

विवरण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राज्यों को शक्ति चालित करघों–रुई तथा कृत्रिम रेशम के आबंटन—

क्रमांक	राज्य	आबंटित शक्ति-चालित करघों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12,400
2	केरल	3,900
3	मैसूर	4,300
4	तामिलनाडु	12,500
5	पांडिचेरी	600
6	गुजरात	3,200

क्रमांक	राज्य	आवंटित शक्ति-चालित करघों की संख्या
7	राजस्थान	3,350
8	पश्चिम बंगाल	6,000
9	बिहार	7,005
10	आसाम	10,250
11	उड़ीसा	4,250
12	उत्तर प्रदेश	10,325
13	महाराष्ट्र	7,300
14	मध्य प्रदेश	4,700
15	दिल्ली	500
16	पंजाब	2,150
17	हिमाचल प्रदेश	600
18	जम्मू तथा कश्मीर	1,800
19	त्रिपुरा	800
20	मणिपुर	1,500
21	गोआ, दमन तथा दियू	100
22	दादरा नगर हवेली	200
23	हरियाणा	1,400
24	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र	252
25	चंडीगढ़	50
26	नागालैंड	1,000
27	नेफा	50
28	अंडमान तथा निकोबार	100
29	लकादिव मिनीकाय	50
		1,00,632

चौथी योजना में राजस्थान में पर्यटन पर व्यय की गई राशि

9119. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन पर खर्च की गई कुल राशि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में खर्च किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम ने राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्कीमों पर 56.00 लाख रुपये की धन राशि व्यय की जिस के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

1. भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर आदि जैसे कई पर्यटक केन्द्रों पर अनुपूरक आवास की व्यवस्था करने पर 26.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी थी। यह व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना में इस शीर्ष के अन्तर्गत किये गये कुल आबंटन का लगभग 16 प्रतिशत बनता है ।

2. भारत पर्यटन विकास निगम ने लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर के विस्तार/नवीकरण पर 30.00 लाख रुपये की धन-राशि खर्च की ।

3. होटल विकास ऋण निधि के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था में से यू० पी० होटल्स लिमिटेड को जयपूर में होटल क्लार्कर्स आमेर के निर्माण के लिए 60.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी तथा उन्हें दे दी गयी ।

राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्कीमों पर पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा खर्च किये गये उपरोक्त व्यय के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी चौथी योजनावधि के दौरान पर्यटन स्कीमों पर 79.90 लाख रुपये खर्च किये ।

चौथी योजना के दौरान राजस्थान में पर्यटन रुचि के स्थानों के संबंध में पर्यटन साहित्य के उत्पादन पर भी काफी बड़ी धनराशि खर्च की गयी है ।

जर्मन जनवादी गणराज्य की 'इन्टरफ्लग' एयरलाइन्स के लिए उतरने की सुविधाएं

9120. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य की 'इन्टरफ्लग' एयरलाइंस ने भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने की सुविधाएं देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी हां, । भारत स्थित 'जर्मन जनवादी गणराज्य' के दूतावास के अनुरोध पर 'इन्टरफ्लग' को सितम्बर, 1973 से साप्ताहिक आधार पर बर्लिन-मास्को-ताशकंद-ढाका-हनोई और वापसी मार्ग पर आकस्मिक तकनीकी कारणों से भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान करने अथवा किसी भारतीय विमान क्षेत्र पर उतरने की अनुमति प्रदान की गई है ।

तथापि 'इन्टरफ्लग' को यातायात के प्रयोजनों से भारतीय विमानक्षेत्रों पर उतरने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र द्वारा नियत राशि से अधिक धन निकालना

9121. **श्री ए० के० एम इसहाक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने मई, 1972 से अप्रैल, 1974 के अन्त तक प्रति मास भारतीय रिजर्व बैंक से नियत राशि से कितना अधिक धन निकाला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मई 1972 से अप्रैल 1974 तक के प्रत्येक महीने के अन्तिम दिन को ओवरड्राफ्ट के मासिक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

	राज्य	तरीख	ओवरड्राफ्ट की रकम
1	महाराष्ट्र	कुछ नहीं	328.26 लाख रुपये
2	पश्चिम बंगाल .	28–2–73	0.48 "
		28–12–73	1527.92 "
		30–3–74	(असमजित)

कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुके हुए यात्रियों को सुविधाएं

9122. **श्री ए० के० एम इसहाक :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरफ्लग एयरलाइंस के एक विमान को 2 अप्रैल, 1974 को कलकता हवाई अडडे पर उतरना पड़ा क्योंकि तूफान के कारण वह विमान ढाका हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इस प्रकार वहां रूके इन यात्रियों की ओर कोई ध्यान दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मामले को जाँच पड़ताल की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई चूक हुई थी । यदि किसी चूक का पता चला तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र में कृषि विकास शाखाओं की स्थापना

9123. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टैट बैंक आफ इंडिया ग्रुप ने पश्चिम बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र में कितनी कृषि विकास शाखाएं खोली और व इन राज्यों में जिलेवार कहां कहां स्थित है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है ।

विवरण

असम, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 31 जनवरी 1974 तक स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह द्वारा खोली गयी कृषि विकास शाखाओं के ब्यौरे ।

राज्य	जिला	केन्द्र का नाम, जहां कृषि विकास बैंक स्थित है।
असम	शिवसागर	टियोक
(1 कृषि विकास बैंक)		
महाराष्ट्र	भण्डारा	सकौली
(7 कृषि विकास बैंक)	सतारा	सतारा
	अमरावती	अचलपुर
	भीर	भीर
	ननदीड़	ननदीड़
	परभनी	परभनी
	उसमानाबाद	ढ़ोकी
पश्चिम बंगाल	हुगली	चिनसुराह
(5 कृषि विकास बैंक)	हुगली	आरामबाग
	बुर्दवान	कलना
	बीरभूम	सैनथिया
	पश्चिम दिनाजपुर	कालीगंज

तकनीकी संस्थाओं को इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस परमिट जारी करना

9124. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैक्नोलौजीकल संस्थाओं को बलैंकट कस्टम क्लियरेंस परमिट जारी करने की नीति को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं को उपहार के रूप में मुफ्त प्राप्त होने वाले टैक्नोलौजीकल उपकरणों के आयात के लिए क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) प्रौद्योगिकीय संस्थानों को ब्लेंकट कस्टम क्लियरेंस परमिट देने की कोई नीति नहीं है । किन्तु ऐसे संस्थानों को विगत में तकनीकी विकास महानिदेशालय से स्वदेश में प्राप्यता की दृष्टि से क्लियरेंस हासिलकि ये बिना आयात लाइसेंस या कस्टम क्लियरेंस परमिट ज़ारी किये जाते रहे हैं । स्वदेशी उद्योगों का विकास हो जाने के कारण कस्टम क्लियरेंस परमिट जारी करने से पहले इस प्रकार के मामले अब तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजे जाते हैं ।

(ग) इस प्रकार आयातों से संबंधित आवेदन पत्रों पर हर मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

काउंसिल फार इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा विदेश भेजी गई धन राशि

9125. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काउन्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनैशन निजामुद्दीन नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष लाखों की राशि लन्दन भेजती है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा को विदेश भेजे जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन) निजामुद्दीन, नई दिल्ली को ब्रिटेन में रकमें भेजने के बारे में विदेशी मुद्रा संबंधी जो सुविधा दी गयी है उसकी सरकार को जानकारी है। 1973 में 4.83 लाख रुपये की रकम भेजने की अनुमति दी गयी थी ।

(ख) इस प्रश्न पर कि उक्त संस्था को यह सुविधा दी जाती रहे अथवा नहीं माध्यमिक शिक्षा संबंधी नीति के अंग के रूप में विचार करना होगा ।

राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में कटौती

9126. श्री राम प्रकाश :

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 100 करोड़ रुपये की कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे राज्यों की औद्योगिक तथा सामाजिक सेवाओं की प्रगति पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

81 प्रतिशत तथा उससे अधिक काउन्टों के अधिक उत्तम किस्म के सूती धागे पर लगे नियंत्रण को हटाना

9127. श्री राम प्रकाश :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 81 प्रतिशत तथा इससे अधिक काउन्टों के अधिक उत्तम किस्म के सूती धागे के वितरण पर लगे नियंत्रण को अभी नहीं हटाया गया है जब कि इस पर लगे मूल्य नियंत्रण को 12 फरवरी, 1974 से हटा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 20 मार्च 1974 से 80 एल० से अधिक काउंट वाले सूत पर से वितरण नियंत्रण हटा दिया गया ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा काली सूची में दर्ज की गई विदेशी फम

9128. श्री प्रसन्न भाई मेहता ।

श्री बी० मायावन ।

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 22 विदेशी फर्मों को चिथड़ों के स्थान पर उपयोग योग्य वस्त्रों की कथित सप्लाई करने के लिये काली सूची में दर्ज कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम निम्नलिखित 24 फर्मों को काली सूची में रखा है :

1. एटलस टैक्सटाइल वेस्ट (प्रा०) लि०, 3, रेगलान स्ट्रीट, प्रेस्टन (विक्टोरिया) ।
2. एटलस मिल सप्लाई कं०, 112, ईस्ट, 58 स्ट्रीट, लौस एंजिल्स, कालिफोर्निया संयुक्त राज्य अमरीका ।
3. ए० एच० लिन एंड संस, प्रा० लि० नार्थ मेलबोर्न ।
4. बादेल फरेरेस वैगनोलेट, फ्रांस ।
5. एसोसियेटिड मर्चेंडाइस कं० इन्का, टोकियो ।
6. आस्ट्रेलियन टैक्सटाइल फाइबर्स बोटेनी, एन०एस० डब्ल्यू ।
7. फार्गो एंड कं० (आस्ट) लि०, सिडनी ।
8. हेनरी वरनूई एंड जून, टिलवर्ग, हालड ।
9. कडुकुरा एड कं० इन्क कोबे, जापान ।
10. के० आडकेयूची एंड कं० लि०, ओसाका (जापान) ।
11. मिन्नीपोलिस एक्सपोर्ट कं०, मिन्नी पोलिस (सं० रा० अमरीका)
12. ओटो नेच, फ्रेंकफूर्ट मेन (पश्चिम जर्मनी) ।
13. प्लेस्टर्स एंड हैंगर, टिलवर्ग, हालैंड ।
14. प्लेस्टर्स एंड हैंगर, काटेरिंग (ब्रिटेन) ।
15. पाल केटज, बौचर्स (फ्रांस) ।
16. रुटिमैक्स एन० सी०, रोटरडम ।

17. सिसको ट्रेडर्स, इन्क, न्यूयार्क।

18. टैक्सटाइल रा मैटीरियल्स प्रा० लि० एलेग्जेंड्रिया।

19. टेरानिशि एंड कं० लि०, कोबे।

20. विक्टोरियन वेस्ट प्रा० लि० नार्थ कोर्वस।

21. रोमरोवस्की ब्रादर्स, इन्का, रोसेले पार्क, (सं० रा० अमरीका)।

22. बाई० ओमुरा एंड क० लि० कोबे।

23. स्टेबल जे० ग्रीनहाल्स एंड फिल्मस, विल्लेब्रूक।

24. सरजीसोफ एक्सपोर्ट कार्पोरेशन, न्यू जर्सी (सं० रा० अमरीका)।

रेयन तंतु धागे के मूल्य

9129. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेयन तंतु धागे के मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न को टैरिफ आयोग के पास भेजा है ताकि शीघ्र ही उसके लागत मूल्यों के उतार-चढ़ाव की शीघ्र समीक्षा करके संशोधित बिक्री मूल्य के बारे में प्रतिवेदन दिया जा सके ;

(ख) क्या टैरिफ आयोग ने सरकार को अनुपूरक रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) टैरिफ आयोग से कच्चे माल की लागत, ईंधन तथा बिजली और मजूरी तथा बेतनों में वृद्धि को देखते हुए रेयन फ्लिामेंट की कीमतों को अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है। इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रोडजबु की निर्यात नीति के बारे में ज्ञापन

9130. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रोजवुड निर्यातकर्ताओं और बम्बई के टिम्बर व्यापारियों ने रोजवुड की निर्यात नीति के बारे में शिकायत की है ;

(ख) क्या उनके सुझाव के अनुसार रोजवुड के निर्यात की बेहतर नीति अपनाने पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) क्या सरकार रोजवुड तथा सभी प्रकार के टिम्बर से सभी प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सरकार ने रोजवुड तथा अन्य इमारती लकड़ी के लिए निर्यात नीति उसकी प्राप्यता, वृद्धि दर और वीनियरिंग उद्योगों तथा प्लाईवुड उद्योगों हेतु आन्तरिक मांग को देखते हुए तैयार की है।

1974 में इण्डियन एयरलाइन्स से सेवा निवृत्त होने वाले-विमान चालक (पायलट)

9131. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस से 1974 के अन्त तक कितने विमानचालकों के सेवा निवृत्त होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसके कारण होने वाली रिक्त पदों को भरा जाएगा अथवा नहीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन 28 विमानचालकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा जो 1973 में चुने गये 55 उम्मीदवारों में से है तथा जो इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन औ नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) एक विमानचालक 14 जनवरी 1974 को सेवानिवृत्त हो गया है। वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई अन्य विमानचालक सेवानिवृत्त होने वाला नहीं है।

(ख) से (घ) इण्डियन एयरलाइंस का रिक्ति को भरने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उनके पास ही पहले आवश्यक से अधिक विमानचालक है।

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा विज्ञापन तथा प्रचार कार्यों पर खर्च की गई धनराशि

9132. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों में वर्षवार 14 राष्ट्रीयकृत बकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा विज्ञापन तथा प्रचार कार्यो पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) क्या यह विज्ञापन कार्य किसी गैर-सरकारी विज्ञापन एजेंसी को सौंपा गया था अथवा स्वयं बैंकों द्वारा दिया गया ; और

(ग) यदि गैर-मरकारी क्षेत्र की किसी एंजेंसी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया किया था, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि का कार्य दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण संख्या I में दी गयी है ।

(ख) सम्बद्ध काम के स्वरूप और किस्म को देखते हुए विज्ञापन और प्रचार का काम स्वयं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से किया गया था ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण संख्या II में दी गयी है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6907/74)

हवाई अड्डों तथा सिटी कार्यालयों के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की यात्री बस सेवा

9133. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हवाई अड्डों और सिटी आफिसों के बीच इण्डियन एयरलाइंस के यात्रियों के लिए यात्री बस सेवायें आरम्भ किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था में बिलम्ब क्यों किया जा रहा है तथा ये कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या यान सेवायें गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा चलाई जाएंगी जैसा कि दिल्ली में होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिये अपनी कोच सेवाओं के समाप्त कर दिये जाने के बाद, उनके अनुरोध पर, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण ने दिल्ली में अन्तर्देशीय यात्रियों को यह सुविधा प्रदान करने के लिये एक ठेकेदार के माध्यम से प्रबंध किया है । बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास विमानक्षेत्रों पर भी इसी प्रकार की सेवाओं के परिचालन के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे जो प्राप्त हो गये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण द्वारा इन टेंडरों की जांच की जा रही है ।

विगों का निर्यात

9134. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवी केशों से बने विगों के सरकारी एजेंन्सीयों के माध्यम से निर्यात के किये जाने से देश के छोटे विग निर्माताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या वे विदेशों से अपेक्षित कच्चा माल मंगाने अथवा माध्यमीकरण से पूर्व की निर्यात स्थिति को राज्य व्यापार निगम की निरंकुशता नीति के कारण बनाये रखने में असमर्थ हैं ; और ।

(ग) क्या उनको राहत देने के बारे में उनके अभ्यावेदन पर सरकार विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इंडियन ह्युमन हेयर एण्ड हेयर प्रोडक्टस एक्सपोर्टस एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता से प्राप्त एक अभ्यावेदन के उत्तर में सरकार ने 22-10-73 को आदेश जारी किया कि कोई भी गैर-सरकारी अभिकरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विग आदि जैसे मानव-केश उत्पादों का निर्यात कर सकता है । विनिर्माताओं की अन्य प्रस्तापनाओं की ओर भी सरकार ध्यान दे रही है ।

सिले सिलाए वस्त्रों सहित कपड़े के निर्यातकर्त्ताओं को नकद सहायता

9135. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त विचार-विमर्श के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सिले-सिलाये वस्त्रों सहित सूती कपड़े के निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता देने में अब कोई औचित्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) ऐसी स्थिति में जबकि विदेशों में निर्यात होने वाली ये वस्तुएं बहुत लोकप्रिय हो रही, है, इस कार्यवाही का कपड़ों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्रों के निर्यातों पर सरकार द्वारा नकद सहायता नहीं दी जाती । यह वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्रोत्साहन पैनल द्वारा निर्धारित दरों पर इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा दी जाती है । पैनल ने वर्तमान दरों पर 30 सितम्बर, 1974 तक नकद सहायता देते रहने का तथा उसके बाद स्थिति का पुनर्विलोकन करने का विनिश्चय किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यक्तिगत निर्यातकर्त्ताओं द्वारा आर्थिक लाभ/हानि

9137. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 के दौरान कौन से निर्यात गृहों, और व्यक्तिगत निर्यातकर्ताओं का व्यापार एक करोड़ रूपये से अधिक था ;

(ख) उन वर्षों में उन निर्यात गृहों और व्यक्तिगत निर्यातकर्ताओं को कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ग) इन निर्यातकर्ताओं में से प्रत्येक किस-किस मुख्य वस्तु का व्यापार करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य निर्यात निष्पादन से है । सरकार फर्म-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखती । तथापि, वर्ष 1971-72, 1972-73, तथा 1973-74 के दौरान जिन मान्यता प्राप्त निर्यात-सदनों द्वारा 1 करोड़ रू० से अधिक का निर्यात-निष्पादन किया गया और जिन मदों के लिए मान्यता प्रदान की गई, उनके नामों का संकलन किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) निर्यात सदनों अथवा अन्य व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ अथवा हानि के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

सोना-चांदी के मूल्यों में वृद्धि

9139. श्री रण बहादुर सिंह :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि से अब यह स्पष्ट हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति में स्थिरता लाना कठिन है ;

(ख) क्या स्टेट के प्रभाव के कारण चांदी के मूल्य भी बहुत अधिक हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) हाल की अवधि में सोने की कीमत में तेजी से जो वृद्धि हुई है वह अंशत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता का परिणाम है। सोने के बाजार मूल्य में हुई वृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के निपटारे के लिये देशों द्वारा सोने के प्रयोग की अनिश्चता से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सोने की भूमिका के लिये विभिन्न दौरों में बंटा हुआ कार्यक्रम बनाना आवश्यक हो गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जनवरी 1971 से बम्बई में सोने और चांदी के मासिक औसत मूल्य का विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में सोने और चांदी के औसत मूल्य

महीना अन्तिम शुक्रवार	सोना प्रति (रूपये : 10 ग्राम)			
	1971	1972	1973	1974
जनवरी	185.65	208.56	248.08	423.17
फरवरी	194.83	212.77	264.89	464.60
मार्च	191.53	206.30	273.03	510.83
अप्रैल	195.20	206.65	305.62	565.00
मई	202.52	222.32	328.35	
जून	196.15	232.88	325.77	
जुलाई	190.48	233.07	333.10	
अगस्त	197.37	239.40	359.55	
सितम्बर	194.84	252.30	356.85	
अक्टूबर	199.51	246.78	356.09	
नवम्बर	199.19	245.14	347.17	
दिसम्बर	199.75	245.76	360.23	

चांदी

महीना अंतिम शुक्रवार (·996 शुद्धता से कम)

(प्रति किलोग्राम रुपये)

	1971	1972	1973	1974
जनवरी	575.15	551.07	586.79	928.00
फरवरी	580.39	542.51	619.27	1,236.60
मार्च	582.28	537.85	629.09	1,287.00
अप्रैल	597.83	537.61	622.38	1,280.00
मई	593.19	530.63	645.67	
जन	592.04	533.46	637.62	
जुलाई	584.09	534.36	639.35	
अगस्त	566.78	516.35	685.50	
सितम्बर	557.31	524.65	691.26	
अक्तूबर	550.01	526.04	743.24	
नवम्बर	530.26	540.92	795.04	
दिसम्बर	531.35	571.96	823.75	

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा खोजा गया विकासशील देशों की भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान

9140. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकाससील देशों की भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिये कोई विशेष युक्ति निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तेल के मुल्यों में हुई वृद्धि से प्राभावित देशों को सहायता देने के लिये एक विशेष तेल सुविधा की व्यवस्था करने की संभावना की जांच कर रहा है ।

वर्ष 1974-75 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात

9141. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार व्यापार निगम के माध्यम से कितनी चीनी निर्यात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार, उत्पादन की प्रगति तथा आन्तरिक खपत की न्युनतम आवश्यकताओं के संदर्भ म 1974 के दौरान निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा के बारें में समय समय पर पुनरीक्षण तथा विनिश्चय करने का विचार रखती है ।

(ख) इतनी जल्दी यह बताना संभव नहीं है कि उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा बासमती चावल का निर्यात

9142. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मार्च, 1974 में निर्यात के लिये बासमती चावल पंजाब से खरीदा है ;

(ख) यदि हां, उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम उतनी ही बड़ी मात्रा में चावल का और निर्यात करना चाहता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बिक्री-संविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसलिये इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि उनसे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होगी ।

(ग) राज्य व्यापार निगम का बासमती चावल का अधिकाधिक निर्यात करने का विचार है जो इसकी प्राप्यता और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करेगा ।

Black Money Unearthed in Rajasthan

9143. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of black-money unearthed by Government during the last two years in Rajasthan ; and

(b) the names of persons from whom this amount was recovered and the nature of punishment awarded to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House as per the Annexure. **(Placed in the Library See. No. LT.—6908/74)**

Formulation of New Plan to Promote Tourist Industry

9144. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the new plan formulated by Government to promote tourist industry ;

(b) whether Government have set up centres for imparting training to the staff that will be engaged in the implementation of the above plan and whether they are in sufficient number; and

(c) whether Government have under consideration a scheme similar to the one in operation in Italy and Spain for attracting tourists in large numbers and if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) The Fifth Five Year Plan on Tourism envisages the continuation of the pattern of tourism development adopted in the Fourth Plan with special emphasis on the development of the tourist infrastructure including improvement of environment, holiday resorts and centres of archaeological interest for attracting a larger volume of destination traffic to India. Priority will be given to those schemes which will elicit quick returns on investment and have the potential for earning foreign exchange. Suitable provision has also been made in the Plan for strengthening the Tourist Organisation at the Centre.

For training of personnel comprising the entire tourism industry in the country, the Department of Tourism proposes to set up an Institute of Tourism in the Fifth Plan. The Institute will provide advanced training facilities in travel industry management for meeting the increasing requirements of trained personnel at various levels and for different branches of the tourism industry.

In addition the India Tourism Development Corporation and two large hotel chains in the private sector have their own in service training programme for their personnel.

Under the Ministry of Agriculture 4 Regional Institutes and 9 Craft Centres are functioning for taraining personnel primarily for the hotel and catering industry.

(c) The Department of Tourism is exploring every promotional scheme to attract tourists in larger numbers. In this field it has been benefited by the experience of several European countries including Italy and Spain.

वर्ष 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान निर्यात से हुई आय

9145. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान देश की वस्तु-वार तथा देश-वार निर्यात से कितनी आय हुई है ; और

(ख) क्या गत दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में विदेशी मुद्रा के रूप में उक्त आय में काफी कमी अथवा वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशक द्वारा संकलित तथा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान देश से निर्यात (पुननिर्यातों सहित) 617 करोड़ रुपये के हुए जो 1972 की

इसी अवधि की तुलना में 142 करोड़ रुपये अथवा लगभग 30 प्रतिशत अधिक हुए तथा 1971 की इसी अवधि की तुलना में ये 233 करोड़ रुपये अथवा 61 प्रतिशत अधिक हुए । पूरी तिमाही के वस्तुवार तथा देशवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में बकाया करों के विवादास्पद मामले

9146. **श्री एस० एन० सिंह देव :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों में बकाया करों के कितने मामले विवादास्पद थे ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति और फर्में सम्बद्ध है तथा बकाया करों की राशि कितनी है; और

(ग) अब तक कितने धन की उगाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कर की बकाया के विवादग्रस्त मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है । लेकिन, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (केन्द्रीय) के आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :—

	31-3-1971 को	31-3-1972 को	31-3-973 को
उन मामलों की संख्या जिनमें बकाया की वसूली होनी थी	3,14,922	4,20,845	3,94,867
बाकी पड़ी अपीलों / संदर्भ-याचिकाओं की संख्या	88,470	1,10,616	1,02,257

(ख) जिन व्यक्तिओं और फर्मों के पास कर बाकी पड़ा था उनके नामों की संख्या लाखों में होगी ।

(ग) 1-4-1973 से 31-12-1973 की अवधि तक के दौरान, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (केन्द्रीय) के आयकर आयुक्तो के कार्यक्षेत्रों में बकाया की रकम में 57.90 करोड़ रु० की कमी लायी गयी थी ।

1973-74 के दौरान, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (केन्द्रीय) के आयकर आयुक्तों क कार्यक्षेत्रों में आयकर की वसूली की (अन्तिम) रकम जिसमें निगम-कर भी शामिल है, 205.21 करोड़ रु० थी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभान्वित लघु उद्योग

9147. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लघु उद्योगों के नाम क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने का लाभ उठाया है ;

(ख) एकक-बार कितना ऋण दिया गया, उनके द्वारा कितनी धनराशी लोटाई गई और कितनी धनराशी बकाया है ; और

(ग) राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, बैंकवार लघु उद्योगों को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सितम्बर, 1971, 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लघु औद्योगिक एककों को सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार है :—

(रकम करोड़ रूपये में)

अन्तिम शुक्रवार को	एककों की संख्या	स्वीकृत सीमा	बकाया रकम
सितम्बर, 1971	5717	60.89	38.97
सितम्बर, 1972	6921	65.87	44.58
सितम्बर, 1973†	13677	80.14	55.11

†अनन्तिम

बैंकों के बीच प्रचलित व्यवहार और परम्परा तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1955, स्टैट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 और बैंकिग कम्पनी (उपक्रमो का अधिग्रहण और स्थानान्तरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार व्यैक्तिक संघटक के खाते के बारे में सूचना नही दी जा सकती :

(ग) सामुहिक रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंको के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है : —

	दिसम्बर, 1972 के अन्त में
	(रकम करोड़ रुपयों में)
(1) पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम	673.00
(2) इसमें से लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम	45.9
(3) (1) के मुकाबले (2) की प्रतिशतता	6.8

निर्धारित निर्माण कार्यक्रम से पिछड़ी हुई सरकारी परियोजनायें

9148. **श्री एस० एन० सिंह देव** ; क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कितनी परियोजना अपने निर्धारित निर्माण-कार्यक्रम से पिछड़ गई है और प्रत्येक मामले में विलम्ब कितना है;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उनके पूरा होने में देरी होने के कारण उन पर कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

9149. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल की बहुत सी परियोजनाओं को सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाऐं कौन सी हैं तथा परियोजना वार उन्हें कितनी सहायता, ऋण अथवा अग्रिम राशि दी गई ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिये, जिसका क्रियान्वयन कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना है, हमें 350 लाख डालर (लगभग 26.25 करोड़ रुपये) की सहायता प्राप्त हुई है । इसके अलावा दूसरी बिजली प्रेषण परियोजना के लिये प्राप्त 750 लाख डालर (लगभग 56.25 करोड़ रुपये) के ऋण में से, जो आठ अन्य राज्यों के लिये है, 90 लाख डालर (लगभग 6.57 करोड़ रुपये) की रकम पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड की सहायता के लिये है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों के साथ व्यापार

9150. **श्री समर गुह** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के बहुत से साम्यवादी देश भारत में गैर-सरकारी कम्पनी के साथ व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देशों के नाम क्या हैं तथा उन गैर-सरकारी कम्पनियों अथवा ऐजेंसियों के नाम क्या हैं जो उन के साथ यह व्यापार कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन पूर्वी यूरोपीय देशों से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने का अनुरोध किया है यदि हां तो भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर उन देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) व्यापार का स्वरूप क्या है तथा कितने रुपये के मूल्य के विभिन्न व्यापार सौदे किये गए;

(ङ) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा उन सौदों के लिये सीधे बातचीत की जाती है अथवा सरकारी एजेंसी अथवा ऐसी एजेंसी के माध्यम से की जाती है जो दोनों पक्षों से कमीशन लेती है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० सी० जार्ज) :

(क) से (ग) पूर्व यूरोपिय देश भारत के साथ अपने व्यापार संबंध उसी तरीके से चला सकते हैं जैसे कि दूसरे देश। जिन वस्तुओं की आयात-निर्यात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत है, उन के संबंध में उन्हें उन्हीं अभिकरणों से व्यापार करना होता है लेकिन अन्य वस्तुओं के संबंध में वे भारत में गैर-सरकारी पार्टियों के साथ व्यापार कर सकते हैं। पूर्व यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापार के लिये अलग व्यापारिक नीतियां अपनाना संभव नहीं है।

(घ) से (च) चूंकि पूर्व यूरोपिय देशों के साथ व्यापार करने वाली भारतीय फर्मों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और उन्हें इस प्रयोजन के लिये किसी विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं है, अत: सरकार के पास इस प्रकार के सौदों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता में आग

9151. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के भवन, जिसमें हाल ही में भंयकर आग लग गई थी, स्थित बैंकिंग संस्थानों, देशी तथा विदेशी व्यापार संगठनों के नाम एकत्र हैं; और

(ख) क्या सरकार ने यह जानने के लिये जांच की है कि कीमती दस्तावेजों को जानबूझ कर नष्ट करने के कथित आरोप कहां तक सही हैं और इस बारे में कि गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता स्थित उसकी इमारत में उसके अपने कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य बैंकिंग संस्था का कोई कार्यालय नहीं था, जहां 3–4 जनवरी 1974 की रात को आग लग गयी थी। इस इमारत में बैंक के चार प्रत्यक्ष किरायेदारों के तथा 20 उप-किरायेदारों के कार्यालय थे।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने आग लगने के कारणों की जांच करने के लिये एक दल: नियुक्त किया है। दल द्वारा की जा रही जांच अभी समाप्त नहीं हुई है।

दार्जलिंग में पर्यटन सुविधाओं में सुधार

9152. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने हाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में प्रवेश क लिये परमिटों के बारे में ढील देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इस प्रकार की ढील से दार्जिलिंग में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 10 गुनी से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या दार्जिलिंग में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश के बारे में यह ढील दिये जाने के गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर ली है; और

(घ) दार्जिलिंग में पर्यटक सुविधाओं में सुधार के लिये सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) से (ग) दार्जिलिंग क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के आगमन पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने के प्रश्न की जांच की जा रही है। इस समय विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग क्षेत्र मे प्रवेश करने के लिये गृह मंत्रालय राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित ज़िलाधीश से परमिट प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि दार्जिलिंग क्षेत्र को विदेशी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया गया है, परमिट सीमित आधार पर ही जारी किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में इस क्षेत्र के लिये विदेशी पर्यटकों के यातायात में कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है। तथापि दार्जिलिंग नगर के लिये विदेशीयों को काफी उदार नीति के आधार पर परमिट जारी किये जाते हैं।

(घ) यद्यपि पांचवीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावित स्कीमों के ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं, तथापि 1974–75 की वार्षिक योजना में युवा होस्टल को तैयार करने व पर्यटक लाज में 10 और कमरों की वृद्धि करने की व्यवस्था की गई हैं।

रूस से आयातित सूती गांठों का निपटान

9154. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछले वर्ष रूस से आयात की गई रूई की गांठों का निपटारा एक समस्या बन गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन ने 30 मार्च, 1974 को बम्बई में दूसरा टैंडर खुलने पर भी 38,000 रूई की गांठों का निपटारा नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) रूस से आयातित रूई की 38,000 गांठों की कुल मात्रा में से इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने अभी तक लगभग 34,000 गांठों का निपटारा किया है। शेष मात्रा के लिये 4,300 रुपये प्रति कैंडी की आरक्षित कीमत पर कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये ऋण

9155. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान के किसानों को कितना ऋण दिया गया; और वर्ष 1974–75 के लिये कितना धन निर्धारित है; और

(ख) उस राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गैर-सरकारी तथा सरकारी उद्योगों में कितना-कितना धन लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क) जून, 1973 के अन्त में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि और सम्बद्ध कार्यों (पौधारोपण को छोड़कर) के लिये दिए गए कुल अग्रिमों की बकाया रकम 824.86 लाख रुपये थी।

चूंकि कृषि के लिये ऋण देना अधिकतर स्थानीय सक्षमता, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, मौसम सम्बन्धी हालात और बैंक शाखाओं की संगठनात्मक स्थापना पर निर्भर करता है, अत: बैंक प्रत्येक राज्य को कृषि ऋण देने के लिये पूर्व निश्चित रकम निर्धारित नहीं करते हैं (और न ही कर सकते हैं)।

(ख) जून, 1973 के अन्त में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उद्योगों के लिये जो अग्रिम दिये हैं उनकी बकाया रकम 1839.80 लाख रुपये थी। राजस्थान में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दी गयी राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

देश में फ्लाइंग क्लब

9156. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) देश में स्थित फ्लाइंग क्लबों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में वर्षवार इनमें से प्रत्येक क्लब को कितनी धनराशि अलाट की गई;

(ख) इन क्लबों में उक्त अवधि में वर्षवार तथा क्लबवार कितने व्यक्तियों नें विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ग) उक्त अवधि में इनमें से कितने प्रशिक्षण-प्राप्त उम्मीदवारों को एयर इंडिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स में नियुक्त किया गया;

(घ) शेष कितने प्रशिक्षित विमानचालक अभी तक बेरोजगार हैं; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने के लिये क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 तथा 11 में दी गयी है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 6909/74)

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान फ्लाइंग क्लबों में प्रशिक्षित वाणिज्यिक विमान चालकों में से एयर इंडिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा भर्ती किये गए विमानचालकों की संख्या के संबंध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 47 वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस धारी इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अप्रेंटिस पाइलटों के रूप में नियुक्त किये गए थे। इस प्रकार के विमानचालकों को नियुक्त करने की एयर इंडिया की नीति नहीं है।

(घ) लगभग 300 विमानचालकों के, जिनके पास वाणिज्यिक श्रेणियों के लाइसेंस हैं, बेरोज़गार होने की सूचना है।

(ङ) कुछ वाणिज्यिक विमानचालकों को नौकरी नहीं मिल सकी क्योंकि रोज़गार का क्षेत्र सीमित है तथा उन्हें पर्याप्त अनुभव भी नहीं है। तथापि, सरकार समस्या पर विचार कर रही है और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) वाणिज्यिक विमानचालक के लाइसेंस को स्वीकार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित करने के लिये नागर विमानन विभाग में सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है;

(ii) कृषि मंत्रालय बेरोज़गार विमानचालकों को फसल छिड़काव परिचालनों के लिए सम्परिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) के लिये विचार करने पर सहमत हो गया है;

(iii) इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया को परामर्श दिया गया है कि वे, जहां कहीं संभव हो, बेरोज़गार विमानचालकों का स्थल कार्यों (ग्राउण्ड ड्यूटी) पर उपयोग करें;

(iv) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं उपयुक्त पाया जाए वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारियों को अपने अधीन नौकरी के लिये ध्यान में रखें।

हिमाचल प्रदेश में सेब विपणन परियोजना के लिये विश्व बैंक सहायता

9157. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **वित्त** मंत्री सेब के लिये विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण के बारे में 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना को कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिकतावार किन क्षेत्रों को रखा जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) हिमाचल प्रदेश सेब परिकरण और विपणन परियोजना सम्बन्धी करार पर 22 फरवरी 1974 को हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त तारीख से इस परियोजना पर जो खर्च किया जायेगा उसकी प्रतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ करेगा।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार जिन क्षेत्रों को जिस वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत लाया जायगा उसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

विवरण

स्थान का नाम	जिला	प्रथम संचालन वर्ष
1. कोटा	शिमला	1975
2. मंडरोल	कुल्लू	1975
3. पतलीकूल	कुल्लू	1975
4. बोहरु	शिमला	1975
5. चिंदी	मंडी	1975
6. ओड्डी (कोटगढ़)	शिमला	1976
7. कोटखाई	शिमला	1976
8. संगरी	शिमला	1976
9. हतीकोटी	शिमला	1976
10. राजगढ़	सिरमूर	1976
11. मनाली	कूल्लू	1976
12. चेल–चौक	मंड़ी	1976
13. भूंतुर	कुल्लू	1977
14. हरकंडी	कुल्लू	1977
15. औत	मंडी	1977

कृत्रिम रेशम के वस्त्रों का निर्यात करने वालों को पुनर्भरण की सप्लाई का वापस लिया जाना

9158. श्री राम सहाय पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अफगानिस्तान व्यापार समझौते क अन्तर्गत कृत्रिम रेशम क वस्त्रों का अफगानिस्तान को निर्यात करने वालों को अपेक्षित माल की सप्लाई बन्द कर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य देशों का निर्यात करने वालों के मामले में भी ऐसा ही किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। पंजीयित निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के आधार पर किये जाने वाले निर्यातों के अलावा अन्य निर्यातों पर प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकती। यह

स्थिति पंजीयित निर्यातकों की आयात नीति की शुरुआत से चल रही है । इसका कारण यह है कि द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अफगानिस्तान को किये जाने वाले इस प्रकार के निर्यातों से उस देश से किये जाने वाले मेवों आदि के आयातों को पूरा किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वार जनता से लिये गये ऋण में वृद्धि

9159. श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जनता के लिये ऋण में हाल में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) चौथी आयोजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से लिये गये ऋण में लगभग 4360 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इसमें अकेले बाजार ऋण के कारण 2069 करोड़ रुपयों की, राजकोष हुंडियों और अन्य अल्पावधि ऋणों के कारण 2297 करोड़ रुपयों और विदेशी ऋणों के कारण 194 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है ।

(ख) अधिक ऋण विकास के खर्च के लिये धन जुटाने और राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये दिया गया है ।

एक समेकित कपड़ा नीति का निर्धारण

9160. श्री एन० शिवप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसी समेकित कपड़ा नीति बनाने का विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत बड़े व्यापार गृहों का अबाध, प्रवेश, लाइसेंस पद्धति को समाप्त करना, हथकरघा तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्र आता हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जबकि सरकार नियंत्रित कपड़े तथा सूती धागे के उत्पादन तथा कीमत से संबंधित कतिपय नीति विनिश्चय पहले ही घोषित कर चुकी है, एकीकृत वस्त्र नीति के अन्य पहलुओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । तथापि बड़े व्यापार गृहों के अबाध प्रवेश अथवा वस्त्र उद्योग की लाइसेंस पद्धति को समाप्त करने से संबंधित कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बम्बई में कपड़ा मिलों का बन्द होना

9161. श्री एन० शिवप्पा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा देश के अन्य भागों में कई कपड़ा मिलों के बन्द होने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिल मालिकों की एसोसियेशन तथा मिल मजदूरों के प्रतिधिमण्डल ने उनसे दिसम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में भेंट की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम में दावे रहित निधियां

9162. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि यदि जीवन बीमा निगम में किसी निधियों का कोई दावेदार नहीं हो, तो उनका किस प्रकार निपटारा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम दावेदारों का पता लगाने के सभी सम्भव उपाय करता है । जब किन्हीं दावेदारों का पता नहीं चल पाता है तो ऐसी रकम को, दावे की सूचना की तारीख से अथवा पालिसी-पकने की तारीख से एक वर्ष की अवधि अथवा पिछली अनुवर्ती कार्यवाही की तारीख से छः महीने की अवधि, इन दोनों में से जो भी परवर्ती हो, उसके पश्चात् जीवन निधि में जमा कर दिया जाता है । पांच वर्ष से अधिक अवधि के बकाया दावों की रकम भी जीवन निधि में जमा कर दी जाती है । इस कार्य-प्रणाली के बावजूद जीवन बीमा निगम इन सब मामलों में, आगे चलकर भी दावेदार का पता चल जाने पर और दावा मंजूरी योग्य पाये जाने पर रकम का भुगतान करता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों, छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को ऋण दिये जाने के लिए अपनाई गई कसौटी

9163. **श्री बेकारिया** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा किसानों, छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को ऋण देने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) गुजरात राज्य में जूनागढ़ और राजकोट जिलों में वर्ष 1972–73 के दौरान किसानों छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों से ऋण के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) कितने आवेदन पत्रों को निपटाया गया है ; और

(घ) कितने आवेदनपत्र अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऋण देते समय बैंक बुनियादी बातों पर विचार करते हैं वे ये हैं :–ऋण प्रस्तावों की तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक सक्षमता और परिणामतः ऋणकर्ताओं की ऋण को वापस करने की क्षमता । पहले से चले आ रहे जमानती ऋण देने के तरीके की बचाय, बैंक अब, सौद्देश्य, उत्पादक और आय में वृद्धि करने वाले ऋण

दने का प्रयत्न करते हैं । जमानत और मार्जिन के मामले में काफी छूट दे दी गयी है और उन्हें ऋ० क प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ख) से (घ) मांगी गयी सूचना बैंकों द्वारा इकट्ठी नहीं की जाती ।

गांधी नगर (गुजरात) के समीप एक टाइगर सफारी पार्क बनाने का प्रस्ताव

9164. श्री बेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमनन** मंत्री यह बताने कीकृपा करगे कि :

(क) क्या गांधी नगर (गुजरात) के समीप निकट भविष्य में एक 'टाइगर सफारी' पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : पांचवी पचंवर्षीय योजना में वन्य जीव पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत गांधीनगर के निकट एक टाइगर सफारी पार्क बनाने की संभावना की, धन उपलब्ध होने की हालत में, तकनीकी व्यवहार्यता की दृष्टि से जांच की जाएगी ।

विदेशों में पटसन का क्रय-विक्रय करने वाले एकाधिकार गृह

9165. श्री गजाधर मांझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटसन के बड़े व्यापार और अद्योगपति अधिकांशतः कच्चे पटसन के व्यापार में सट्टे बाजी करते हैं और विश्व बाजार में पटसन के निर्मित्त सामान की बिक्री करते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कच्ची पटसन और पटसन से बने सामान का व्यापार अपने हाथ में लेने तथा उसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने का निश्चय कर लिया है ;

(ग) इस वर्ष पटसन की कितनी फसल होने का अनुमान है और उससे किनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ; और

(घ) कच्ची पटसन खरीदने वाले तथा पटसन की वस्तुओं को विदेशों में बेचने वाले एकाधिकार गृह कौन से हैं ?

वाणिय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) कच्ची पटसन के व्यापार तथा साथ ही पटसन से बनी वस्तुओं में कुछ सट्टेबाजी चल रही है । इसका मुख्य कारण उत्पादन तथा मांग में असन्तुलन है, सरकार ने अत्यधिक सट्टेवाजी पर अंकुश लगाने के लिये अनेक उपाय किये हैं कच्ची पटसन का निर्यात भारतीय पटसन निगम के माध्यम से

मार्गीकृत किया गया है। कालीन अस्तर वस्त्र के निर्यात की अनुमति केवल नियत कीमत के आधार पर दी जाती है। वायदा बाजार विनियमों के अधीन भी उपाय किये गये हैं। पटसन वर्ष 1973–74 के दौरान पटसन की फसल 80 लाख गांठों के आसपास और पटसन उत्पादों से आय लगभग 221 करोड़ रु० होने का अनुमान है। व्यापारी निर्यातकों तथा मिलों के अलावा कच्ची पटसन तथा साथ ही पटसन माल के अनेक व्यापारी हैं, जिनमें से कुछ बड़े उद्यमों से संबंधित हैं।

विदेशों में प्रचार साहित्य तथा पर्यटन सम्बर्धन प्रयत्नों के बारे में अनुमान

9166. श्री गजाधर मांझी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये प्रकाशित प्रचार साहित्य आकर्षक नहीं है;

(ख) क्या विदेशों में पर्यटन सम्बर्धन प्रयत्नों के बारे में प्रचार साहित्य के प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा उत्पादित पर्यटन साहित्य की अन्य देशों द्वारा उत्पादित पयटन साहित्य से बखूबी तुलना की जा सकती है। साहित्य में गुणात्मक सुधार करने के लिये समय समय पर यात्रा अभिकताओं/दूर परिचालकों तथा यात्रियों से सुझाव तथा टीका-टिप्पणियां मांगी जाती हैं। यद्यपि पर्यटन अभिवृद्धि पर प्रचार सामग्री के प्रभाव का औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है तथापि हमारे देश में बढ़ता हुआ पर्यटन यातायात, जो कि पिछले वर्ष की अवधि के दौरान उससे पहले वर्ष की तुलना में तथा लगभग 10 प्रतिशत की विश्व औसत के मकाबल में 19 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ा था पर्यटन अभिवृद्धि उपायों की, जिन में प्रचार भी सम्मिलित है, सफलता का सूचक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिगरेटों का निर्यात

9167. श्री गजाधर मांझी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देशवार कितने मूल्य की सिगरेटों का निर्यात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की सिगरेटों का आयात किया गया, और

(ग) क्या सिगरेटों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–6910/74)

(ख) गत तीन वर्षों में आयातित सिगरेटों के मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु सिगरेटों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती ।

आर० एन० बिजोरिया और उनकी कंपनियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

9168. **हाजी लुतफल हक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल iv के रामनाथ बिजोरिया और उनकी कंपनियों की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) उसकी ओर से न्यायालयों में आयकर के सम्बन्ध में कितनी रिट याचिकाएं निर्णयाधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31-3-1974 की स्थिति क अनुसार, श्री रामनाथ बिजोरिया और उनकी कंपनियों से प्राप्य आय-कर की रकम 1.70 करोड़ रुपये थी ।

(ख) श्री राम नाथ बिजोरिया अथवा उनकी कंपनियों के मामले में कोई रिट याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन नहीं पड़ी हैं ।

पश्चिम बंगाल में विदेशी ब्याज दर योजना की क्रियान्विती

9169. **हाजी लुतफल हक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक-वार, और जिला वार आज तक क्रियान्वित की गई विभेदी ब्याज दर योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : ब्याज की विभेदी दर योजना, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए सभी वर्गीकृत जिलों में और इन जिलों में भी लागू की जा रही है जिनमें छोटे किसान विकास अभिकरण/मार्जिनल किसान और कृषि श्रमिक कार्यक्रम चल रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक उन ऋण कर्ताओं को केवल उत्पादन प्रयोजनों के लिए ब्याज की 4 प्रतिशत दर पर ऋण देते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपये से अधिक नहीं है ।

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में दिये गये ऋणों की बकाया रकम 31 दिसम्बर, 1973 को 17,759 खातों में 55.73 लाख रुपये थी। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है।

बैंक	खोतों की संख्या*	बकाया शेष रकम* (लाख रुपयों में)
स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह	10,642	35.76
इलाहाबाद बैंक	257	1.26
बैंक आफ इंडिया	265	1.10
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	466	1.17
पंजाब नैशनल बैंक	57	1.24
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5,984	14.88
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	88	0.33
जोड़	17,759	55.73

*अनन्तिम

जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख रुपये से, अधिक आयकर की वकाया राशि

9170. श्री हाजी लुतफल हक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन फर्मों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन पर इस समय आयकर (अधिभार सहित) की बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) उक्त बकाया राशि कब से वसूल होनी बाकी है ; और

(ग) अब तक प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन निर्धारितियों का कर निर्धारण आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेंट्रल) के कार्यक्षेत्र में किया जाता है और जिनकी तरफ (अधिभार सहित आयकर की एक लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया थी उनकी कुल संख्या 1,700 से अधिक है। इन निर्धारितियों में शामिल कम्पनी-भिन्न निर्धारितियों की संख्या भी काफी बड़ी होगी। इन सभी मामलों में अपेक्षित सूचना का पता लगाने के लिए इन सभी निधोरितियों के पूरे रिकार्डों की सम्पूर्ण रूप से छानबीन करनी पड़ेगी। इसमें काफी अधिक

समय लगेगा। तथापि, 31-12-1973 की स्थिति के अनुसार, आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेन्ट्रल) के कार्यक्षेत्र में जिन कम्पनी-से भिन्न निर्धारितियों (फर्मों, हिन्दू अभिभाजित परिवारों, व्यष्टियों, आदि) का कर-निर्धारण किया जाता है और जिन की तरफ 10 लाख रूपये से अधिक रकम की शुद्ध बकाया पड़ी थी, उनकी कुल संख्या 111 थी इन निर्धारितियों के नाम और 31-12-1973 को उनकी तरफ शुद्ध बकाया रकम का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। (ग्रन्थांला में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6911/74)

(ख) ये बकाया रकमें पिछले बहुत से निर्धारण-वर्षों से सम्बन्धित हैं जिस में सबसे पिछला निर्धारण वर्ष 1941-42 है।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कानून में विहित सभी उपाय जिन में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं, किये गये हैं और किये जा रहे हैं :–

(1) कर की गैर-अदायगी के लिये आयकर-अधिनियम 1961 की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाना।

(2) निर्धारिती को देय रकम का धारा 226 (3) के अन्तर्गत अभिग्रहण।

(3) धारा 226(4) के अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा धन का अभिग्रहण।

(4) धारा 226 (5) के अन्तर्गत चल सम्पत्ति का आसेध और विक्रय।

(5) धारा 222 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।

(6) चल/अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण/विक्रय।

(7) निर्धारिती को दीवानी जेल खाने में बन्द करना।

1-4-1973 से 31-12-1973 तक की अवधि में आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता (सेन्ट्रल) के कार्यक्षेत्रो में बकाया में 57.90 करोड़ रुपये की कमी लायी गई।

हिमाचल प्रदेश में मंडी, टाउन, भोजपुर तथा देहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता बन्द करना

9171. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में मंडी टाऊन, भोजपुर और देहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का परियोजना भत्ता बन्द करने के आदेश दे दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश किस तारीख को जारी किए गए ;

(ग) क्या भत्ता सुन्दर नगर और पंडोह (हिमाचल प्रदेश) में अब भी दिया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों ;

(ङ) क्या इन आदेशों को वापस लेने और यह भत्ता पुन : दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मण्डी शहर, भोजपुर और देहार स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना बन्द करने के आदेश सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए थे अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 अप्रैल 1974 को और आर्थिक कार्य विभाग, तथा डाक और तार निदेशालय ने आदेश 29 अप्रैल 1974 को जारी किये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) परियोजनाओं के सम्बन्ध में सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों को परियोजना भता दिया जाता है । जिन परिस्थितियों में व्यास-सतलुज लिंक परियोजना क्षेत्रों में कर्मचारी तैनात किये गये थे उनकी समीक्षा से पता चला कि मंडी, भोजपुर और देहार में काम कर रहे कर्मचारियों की तैनाती से परियोजना से सीधे सम्बन्धित नहीं थी, जबकि सुन्दर नगर और पन्डाहे में काम कर रहे कर्मचारियों की तैनाती स्थिति सम्बन्धित थी । इसलिये, पूर्व में उल्लिखित कर्मचारियों को परियोजना भता देना 1 अप्रैल 1974 से बन्द करने का निर्णय किया गया ।

(ङ) जी, हां ।

(च) अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा प्राप्त सहायता

9172. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973-74 के दौरान कोलम्बो योजना के अधीन भारत ने कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की और किन किन देशों से कितनी कितनी सहायता राशि प्राप्त की ; और

(ख) उक्त सहायता का उपयोग किन-किन परियोजनाओं के लिए किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) कोलोम्बो आयोजना की तकनीकी सहयोग योजना के अर्न्तगत सहायत मुख्यत: विशेषज्ञों, प्रशिक्षण, के स्थानों और मामूली सी मात्रा के रूप में दी जाती है । 1971 और 1972 के कलैण्डर वर्षों के दौरान भारत को प्राप्त इस प्रकार की सहायता का मूल्य क्रमश: 13,125,400 डालर और 9,407,900 डालर था ।

वित्तिय वर्षों के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं और अभी 1973 के वर्षों में प्राप्त सहायता के आंकडे भी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है वे इस प्रकार हैं :—

(1) हिसार और बारपेट्टा में भेड़ पशु प्रजनन फारम; (2) मार्डन बेकरीज ; (3) केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान) ; (4) खेतरी तांबा खनन परियोजना ; (5) इडिक्की पन-बिजली परियोजना (केरल); (6) बारानी खेती और भूमिगत जल प्रौद्योगिक परियोजना, हैदराबाद; (7) कोढ़ नियंत्रण केन्द्र (जलमा) आगरा; (8) आरा (बिहार), भांडय (मैसूर) (गुजरात), खोपोली (महाराष्ट्र) में कृषि केन्द्र; (10) भारत-जापान मूलरूप उत्पाद प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा; (11) धुलिया दुग्ध योजना (महाराष्ट्र); (12) सिलीगुड़ डैरी परियोजना, भापीगारा (पश्चिम बंगाल), (13) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, (14) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़; (15) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मद्रास, (16) दुर्गापुर इस्पात ; (17) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापतनम; (18) हेवी इलेक्ट्रिक्स लि०, भोपाल; (19) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की आपरेशन फ्लड" परियोजना; (20) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर में रूई सम्बन्धी अनुसंधान; (21) बम्बई महानगर परिवहन परियोजना ; (22) बम्बई जल पूर्ति योजना; (23) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , बम्बई ।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चाय उद्योग को सहायता

9173. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चाय उद्योग को कोई विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सम्भावत ढ़ांचा क्या होगा और कितनी सहायता दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पांचवी योजना अवधि के दौरान विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए एक सहकारी चाय फैक्टरी, एक क्लोन गुणन केन्द्र और एक प्रर्दशन प्लाट स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है । इन स्कीमों के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

बैंकों के ऋण मंजूर करने और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जिला और राज्य स्तर पर परामर्श दात्री सलाहकार समितियां

9174. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकों के अपने अपने क्षेत्र में कृषि, वाणिज्य और उद्योंगो के विकास में सहयोग के बारे में ऋण मंजूर करने तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये जिला तथा राज्यवार स्तर पर कोई परामर्शदात्री या सलाहकार समितियां बनाई गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके गठन का तरीका क्या है और इन समितियों की शक्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या इन समितियों में संसद (लोकसभा) के किन्हीं सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत जिले में बैंकिग सुविधायें देने के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिये लीड बैंकों ने जिलास्तर पर सलाहकार समतियां स्थापित की हैं । इन समितियों में वाणिज्यिक और सहकारी बकों और उस जिले में काम करने वाली अन्य वित्तीय संस्थांओ के प्रतिनिधि होते है । अधिकांश जिलों में इन बैठकों में भाग लेने के लिये सम्बद्ध जिला अधिकारियों को भी बुलाया जाता है । यह समिति शाखायें खोलने, बैंक योग्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये ऋण देने आदि जैसे प्रश्नों पर विचार करती है लेकिन अलग अलग मामलों में ऋण की मंजूरी नही देती है ।

बहुत से राज्यों में, राज्य सरकारों ने राज्यस्तर पर विकास विभाग के अधिकारियों और बैंकरों की समितियां स्थापित की हुई है । इन समितियों की बैठकों में विशेषरुप से विकास सम्बन्धी सक्षम मामलों के लिये वित्त प्रबन्ध करने के लिये बैंक सम्बन्धी सुविधायें देने से सम्बन्धित मामलों पर बातचीत की जाती है ।

(ग) और (घ) जिलास्तर की समितियां सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिये विशेष मंच होने और किसी क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा समन्वित दृष्टिकोण अपनाये जाने के लिये होती है इसलिये इन समितियों की सदस्यता और इनकी बैठकों में भाग लेना आमतौर से केवल अधिकारियों तक ही सीमित है ।

Development of Tourism in Uttarakhand (U. P.) During Fifth Plan

9175. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the particulars of the projects envisaged for development of tourism and motel and hotel industry in the Fifth Five Year Plan in Uttarkhand i.e. hill districts of Uttar Pradesh ;

(b) whether any concrete action is being taken to provide infrastructure in Uttarakhand to encourage development of tourism and to attract the tourists there ; and

(c) if so, the nature thereof and if not, the time by which action is proposed to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) to (c) The Planning Commission had set up a Working Group to formulate proposals for the development of tourism in U. P. Hill areas inculuding uttarakhand. Based on the Report of the Working Group, schemes will be formulated subject to the availability of funds. It would also be necessary

first for the State Government to provide adequate infrastructural facilities such as roads., quick means of transportation, water and electric supply, etc. before the U. P. Hill areas could be opened up to large scale ouristtraffic. In the case of Uttarakhand, restriction on the entry of foreigners would also have to be relaxed before the area could be decveloped for tourism.

The State Government has, however, allocated some funds in its Fifth Plan for providing accommodation facilities for domestic trourists at selected centres in the U. P. Hill areas. A youth hostel is under construction by the Central Department of Tourism at Nainital.

साधारण बीमे के लिये चार सहायक कम्पनियों की स्थापना

9176. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साधारण बीमे के लिये बीमा के लिये चार सहायक कम्पनियों की स्थापना करने का निर्णय किया है जिन के मुख्यालय देश के विभिन्न भागों में होगें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विविध बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अनुसार तमाम राष्ट्रीयकृत विविध बीमा कम्पनियों को 1 जनवरी 1974 से विविध बीमा निगम की निम्नलिखित चार सहायक कम्पनियों में मिला दिया गया है : —

कम्पनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय
न्यू इण्डिया एशोरेंन्स कम्पनी लि०	बम्बई
युनाइटेड इण्डया फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंन्स कम्पनी लि०	मद्रास
ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेंन्श कम्पनी लि०	दिल्ली
नेशनल इन्शोरेंन्श कम्पनी लि०	कलकत्ता

विलय की ये योजनायें भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थीं और उनकी प्रतियां फरवरी 1974 को सदन पटल पर रखी गई थी ।

वर्ष 1973 के पहले सात महीनों के दौरान चाय के निर्यात में कमी होना

9177. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1973 के पहले सात महीनों के दौरान दक्षिण भारत से चाय का कम मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात सम्बन्धी आंकड़े के बारे में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973 के पहले सात महीनों के दौरान दक्षिण भारत से चाय का निर्यात 1972 की उसी अवधि की तुलना में 820 हजार कि० बढ़ गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु विद्युत चालित करघा उद्योग का विकास

9178. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट उत्पादकों के हित में जो अपने रेशे का लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जूट की वस्तुओं के निर्माण के लिये लघु विद्युत चालित करघा उद्योग के विकास की अनुमति देने की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : पटसन उद्योग की सीमित कताई क्षमता होने की वजह से देश में वैशी पटसन धागा नहीं है और संगठित क्षेत्र में करघा क्षमता का भी पूरी तरह उपयोग नहीं होता है । अतः पटसन माल बनाने के लिये लघु पैमाने के शक्ति चालित करघा उद्योग के विकास की अनुमति देने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्थापना नहीं है ।

बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रशिक्षण कन्द्र

9179. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : जी, हां । पर्यटन विभाग पर्यटन संस्थान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा है ।

ऊर्जा संकट और कच्चे माल की कमी दूर करने के लिए भारत-सहायता हेतु 'एड इण्डिया' कंसोर्शियस द्वारा अध्ययन

9180. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड इण्डिया कंसोर्शियस ने तेल तथा अन्य चीजों के बढ़ते विश्व मूल्यों से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये भारत की सहायता करने के तरीकों का अध्ययन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या दानिकों के बैंक से क्षेत्रीय मुख्यालय के वरिष्ट अधिकारियों की किसी बैठक में भारत को पेश आ रही कठिनाइयों का पुनर्विलोकन किया गया है जहां ऊर्जा संकट और कच्चे माल के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि से आर्थिक विकास योजना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सहायता संघ के सदस्यों के कार्यकारी दल की एक बैठक 9 और 10 अप्रैल , 1974 को, भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में विश्व बैंक द्वारा तैयार किये गये एक शोध-पत्र पर तथा विश्व बैंक के इस सुझाव पर विचार करने के लिये पैरिस में हुई थी कि संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता का काफी बड़ा भाग इस तरह का होना चाहिये जिसका उपयोग मुक्त रूप से किया जा सके। बैठक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तथा इस वर्ष जून में होने वाली संघ की बैठक में इस विषय पर आगे का विचार किया जायेगा ।

विटा मर्चेन्टस कोआपरेटिव्ह बैंक लि० जिला सांगली, महाराष्ट्र द्वारा भेजा गया प्रस्ताव

9181. **श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे** : क्या वित्त मंत्री विटा मर्चेंट्स कोआपरेटिव बैंक लि० विटा जिला सांगली महाराष्ट्र द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के बारे में 23 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी कताई मिलों के गैर-कृषक सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख) सहकारी कताई मिलों के शेयर खरीदने के लिये गैर कृषक सदस्यों को माध्यम अवधि के ऋणों की सुविधा देने के बारे में विटा मर्चेन्टस कोआपरेटिव बैंक लि० के प्रस्ताव पर अभी भारतीय रिर्जव बैंक विचार कर रहा है ।

एयर इण्डिया द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

9182. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इण्डिया ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :

वर्ष	अर्जित/बचायी गयी शुद्ध विदेशी मुद्रा
	(करोड़ रुपयों में)
1970–71	13.16
1971–72	7.41
1972–73	15.23

(वर्ष 1973-74 के लिये आंकडे अभी उपलब्ध नहीं है)

रांची हवाई अड्डे को नया रुप देने संबंधी योजना

9183. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश विदेश की नागरिक जनसंख्या वाले शहर रांची के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए रांची हवाई अड्डे को निकट भविष्य में नया रूप देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : अतिरिक्त 'पैसेंजर हैंडलिंग' सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से हवाई अड्डे पर 52,000 रुपये की अनुमानित लागत से अस्थायी बैरक के नवीकरण के कार्य को तुरन्त प्रारम्भ किया जा रहा है ।

बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखाएं खोलना

9184. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में देहाती इलाकों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल कितनी शाखाएं खोली गयी ;

(ख) 31 मार्च, 1973 तक कुल कितनी राशि जमा की गयी और कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ग) अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन ऋणों का कितना भाग मिला?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 19 जुलाई, 1969 और 31 जनवरी, 1974 के बीच की अवधि में बिहार राज्य के संथाल-परगना जिले, तथा छोटा नागपुर परिमण्डल में, जिसमें हजारी बाग, गिरीडीह, धनवाद, पलामू, रांची और सिंघभूम के छः जिले आते हैं, 114 शाखाएं खोलीं । इन 114 शाखाओं में से, 54 ग्रामीण, 55 अर्ध-शहरी तथा 5 शहरी क्षेत्रों में खोलीं गयी ।

(ख) जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह तक उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गयी है ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को मंजुर किये गये अग्रिमों के संबध में बैंक अलग-अलग आंकड़े नहीं रखते ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

जिला	जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह में जमा रकमें	जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह को अग्रिम
हजारी बाग	11,20	2,24
गिरीडीह	2,65	1,40
धनबाद	147,62	17,18
पलामू	3,04	34
रांची	27,05	26,79
सिंघभूम	36,95	10,38
संथाल-परगना	6,89	1,14

काला धन

9185. श्री कार्तिक उरांव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 तक काले धन के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि संचित होने का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) देश में वित्तीय संकट को रोकने के लिए काले धन के प्रयोग को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकार ने काले धन का कोई अनुमान नहीं लगाया है । काले धन का स्वरूप ही ऐसा है कि उसके संचयन का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । 1968-69 की अवधि में जिस आय पर कर की चोरी की गई थी उसके आंकड़ों का अनुमान प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वाँचू समिति) ने 1,400 करोड़ रु० लगाया है । लेकिन समिति ने यह उल्लेख किया है कि यह केवल अनुमान है ।

(ग) काला धन और कर अपवंचन निकट रूप से परस्पर सम्बन्धित हैं । काले धन और कर अपवंटन के खिलाफ संघर्ष जारी है । किये गये उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

(i) अचल सम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए, जहां अन्तरण के समय उनका मूल्याँकन किय गया हो, तो कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 में व्यवस्था की गई है, क्यों कि इस प्रकार के न्यून-मूल्यांकन से काले धन का सर्जन और उसका परिचालन सुलभ बनाता है ।

(ii) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 में व्यवस्था की गई है कि बेनामी रखी गई किसी भी सम्पति के सम्बन्ध में अधिकार का प्रवर्तन करने के लिए किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जायगा जब तक कि आयकर विभाग को उस सम्पति के विषय में बताया नहीं गया हो । इसी अधिनियम में, न्यून-मूल्यांकन द्वारा कर की चोरी को रोकने के लिए, विभाग के मूल्यांकन-तन्त्र को सुदृढ़ बनाने निमित्त कतिपय उपाय भी किये गये हैं ।

(iii) वित्त अधिनियम, 1973 में कर के प्रयोजनों के निमित्त कृषि जन्य आय के गैर-कृषिजन्य आय के साथ आंशिक एकीकरण की व्यवस्था है, जिसका अभाव कर को चोरी के लिए एक लाभदायक स्रोत रहा है ।

(iv) कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 में काले धन पर रोक लगाने के लिये अनेक व्यवस्थाएं है, जैसे तलाशी लेने और पकड़ने की बढ़ाई हुई शक्तियाँ, कर की चोरी के लिए दण्ड लगाने और इस्तगासे की कार्यवाही करने के लिए अपेक्षाकृत कठोर उपबन्ध, सर्वेक्षण की अतिरिक्त शक्तियां, खातों को अनिवार्य रूप से रखना और लेखा परीक्षा करना तथा कर सम्बन्धी कानूनों में अनेक खामियों को दूर करना ।

(v) आयकर की दरों में वित्त विधेयक, 1974 के जरिये प्रस्तावित कमी से कर की चोरी में कमी होने में सहायता मिलनी चाहिए ।

(vi) वित्त विधेयक, 1974 में, आयकर प्रयोजनों के लिये छूट की सीमा को 5,000 रु० से बढ़ा कर 6,000 रु० तक करने का प्रस्ताव से तथा वतन भोगी कर-दाताओं (18,000 रु० तक की आय वालों) द्वारा आय की विवरणियां दाखिल करना वैल्पिक बना देने से अपेक्षाकृत बड़े मामलों में जांच-पड़ताल और अच्छी तरह करने के लिए, उपलब्ध जन-शक्ति का प्रयोग करने में सहायता मिलनी चाहिये ।

निम्नलिखित प्रशासकीय उपाय भी उल्लेखनीय हैं :--

(i) सबसे बड़े व्यापार घरानों मे से कुछ के मामलों की जांच-पड़ताल के लिये निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है ।

(ii) कर-अपवंचन के स्पष्ट मामलों में आय को छिपाने के कारण इस्तगासे की कार्य-वाही की जा रही है ।

(iii) शहरी-क्षेत्रों में निर्मित नई सम्पत्तियों के बारे में सर्वेक्षण को तेजी से करने के लिए आदेश दिये गये हैं ।

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 133ए के अधीन सर्वेक्षण के लिए दी गई शक्तियों का उपयोग भी बार-बार किया जा रहा है ।

(v) कर अपवंचन के अपेक्षाकृत बड़े मामलों से अधिक कारगर तरीके से निपटने के लिए आसूचना पक्षों को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

Facilities provided for Tourists in Haldi Ghati

9186. Shri Jagannathrao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the historical importance of Haldi Ghati and its tourist attraction ; and

(b) the facilities so far provided for tourists in Haldi Ghati as also those proposed to be provided in future ?

The Minister of State in the Ministery of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) Government are aware of the historical importance of Haldi Ghati and the attraction it holds for home tourists. No facilities have been so far provided for tourist's at Haldi Ghati spot itself in the Central sector. It is proposed to take up with the State Government the question of providing transport and other facilities for visitors to Haldi Ghati to the extent feasible within the available resources.

Complaint from Printing and Dyeing Industries functioing in Pali

9187. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the small printing and dyeing industries functioning in Rajasthan, particularly in Pali, have made any complaint in regard to excise duty ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration in the light of representations received on this subject.

Appointment of a Committee to go into the Working of Central Bank of India

9188. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state : (a) Whether Government have appointed a Committee to go into the working of the Central Bank of India ;

(b) If so, when, the purpose thereof and the name of the Chairman of the Committee ;

(c) The total number of meetings of the Committee held and the total expenditure incurred by the Bank on T.A. and D.A. so far; and

(d) Whether some Members of the Committee come and go by air and if so, the total expenditure incurred in respect of these Members ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) & (b) : Government have not appointed any Committee to go into the working of the Central Bank of India. The Board of Directors of the bank appointed a Committee under the Chairmanship of Shri R.N. Chettur, retired Chairman and Managing Director of Indian Overseas Bank, to review all aspects of the working of the bank.

(c) Central Bank of India has reported that the Committee met twice in Bombay, and has also visited a number of zones, divisions and branches of the bank, Central Bank has reported that it has so far incurred an expenditure of of Rs. 12,428·65 on travelling and other expenses for the Committee.

(d) All the members of the Committee use regular services of the I.A.C. or other modes of travel as may be convenient.

Training Facilities for Employees of Central Bank of India

9189. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any training facilities for the employees of Central Bank of India have been provided and if so, the salient features thereof ;

(b) the amount of expenditure incurred on this account during 1972 and 1973, respectively, and the number of employees trained indicating the categories thereof and the duration and the nature of the training; and

(c) whether the jobs in which training is given to the employees are not entrusted to them after the completion of the training ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The Central Bank of India has informed that it provides training to its officers at its Training College, i.e., "Sir Sorabji Pochkhannawalla Bankers Training College". This college is jointly managed by the Central Bank and Dena Bank and the training facilities available are shared by the aforesaid banks in the ratio of 3 : 2. The college has the capacity to run 4 courses for 100 officers at a time. Besides the college, the Bank has 10 training centres in various cities throughout the country.

The following courses are conducted at the College for officers :—

1. General banking course.
2. Audit and inspection course.
3. Financing of foreign exchange trade.
4. Branch management and senior branch managers course.
5. Credit appraisal course.
6. Financing of small scale industries.
7. Agricultural finance course.
8. Foreign exchange orientation course.
9. Faculty development course.

At the training centres, the following courses are conducted :—

1. Induction course for new recruits.
2. Refreshers course for senior clerks due for promotion.
3. Orientation course for clerks promoted under all India service.
4. Branch managers course for rural branch agents.
5. Cashiers course.
6. Statement course.
7. Sub-Accountants course.
8. Teller system course.

Besides these, courses depending upon the training needs of the Zone are also conducted. Apart from these internal training facilities the rank also deputes its officers to various training programmes conducted by training institutes like Bankers Training College (Reserve Bank of India), Bombay, College of Agricultural Banking (RBI) Poona, National Institute of Bank Management, Small Industries Extension Training Institute, Hyderabad, etc.

(b) The number of courses conducted, trainees trained and expenditure incurred at the training centres and college is as follows :—

	1972		1973	
	SPBT College	Training Centres	SPBT College	Training Centres
1. No. of courses conducted .	15	119	30	156
2. No. of officers trained .	160	557	433	619
3. No. of clerks trained . .	—	1,015	—	1,605
4. Expenditure incurred (Rs. Lakhs) . .	4·04	8·34	6·40	11·32

(c) The bank has reported that as a matter of policy every effort is made to select the right person for the right training programme depending upon the present job and future posting.

Non-availability of Vessels for Exports

9190. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether for quite sometime vessels have not been available for exporting non-traditional item 'Bentonite' from the Kandla Port ;

(b) whether the Ashapura (Minechem-Industries) has submitted a letter of complaints to the Commerce Department in this regard ; and

(c) if so, when and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George : (a) Yes. This commodity is a bottom cargo normally shipped by chartered vessels. Owing to present prohibitive charter rates, shippers have been requesting Conference Lines to lift this cargo. Since the Conference Liner freight rate was unremunerative and uneconomic, the Conference declared this commodity open rated, leaving the freight rate to be negotiated by the individual shipping lines and the shippers.

(b) Yes. The matter was taken up immediately with the Director General of Shipping and other authorities concerned.

(c) The Director General of Shipping has been endeavouring to induce the Conference Lines to arrange for lifting the cargo, but there was difficulty in arriving at a workable rate of freight and also in carrying the cargo to Abu Dhabi because of the heavy congestion in that port. It is now understood from the Director General of Shipping that a member line of a Conference is likely to lift this cargo to Abu Dhabi in the first week of May 1974.

विमान में खरीद के लिये बिहार सरकार को दी गई विदेशी मुद्रा

9191. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विमान की खरीद के लिए बिहार सरकार को जारी की गई विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के साथ सौदा करने के लिए बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि अमेरिका गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बिहार सरकार के पास पहले से ही सात विमान हैं, जिन में से छः विमान खराब हालत में पहुंच चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, "बीच बैरन बी-55" विमान की खरीद को, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का विमोचन किया गया था, भारतीय सप्लाई मिशन के माध्यम से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा इस प्रयोजन के लिए उक्त सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को यू० एस० ए० नहीं भेजा गया है। बिहार सरकार द्वारा भेजा गया व्यक्ति एक विमानचालक है जो कि परिचायक तथा पृष्ठांकन प्रशिक्षण के लिए गया है ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार के सात विमानों में से, दो के पास उड़न-योग्यता के चालू प्रमाणपत्र हैं। शेष विमानों का आवश्यक मरम्मत/सर्विसिंग/निरीक्षण कार्य हो रहा है।

अपने स्वामित्व का अन्तरण करने वाली विदेशी कम्पनियां

9192. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री अपने स्वामित्व का अन्तरण करने वाली विदेशी कम्पनियों के बारे में 5 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त विदेशी फर्मों में नियंत्रण कारी अधिकार प्राप्त करने वाली भारतीय फर्मों और व्यक्तियों के नाम और ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रकार खरीदी गयी प्रत्येक कम्पनी की आस्तियों का बाजार मूल्य कुल कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है जिसमें सूचना दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6912/74]

इन्डियन एयर लाइन्स में यात्रियों को उपलब्ध सुविधाएं

9193. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी की घोषणा से तत्काल पूर्व यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या तालाबन्दी की घोषणा के तत्काल पश्चात् से ये सुविधायें वापस ले ली गई थी ;

(ग) क्या तालाबन्दी समाप्त करने के पश्चात् भी ये सुविधायें देना फिर से आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) : 24 नवम्बर, 1973 की तालाबन्दी से पूर्व, इंडियन एयरलाइन्स ने यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की :—

(1) भोजन के समय विमान पर गर्म भोजन परोसना ;

(2) चाय, काफी, बिस्कुट आदि जैसे हल्के जलपान ;

(3) केबिन सेवा मदें, जैसे मिठाइयां, पाठ्य सामग्री (पत्र एवं पत्रिकाएं) तथा तरो-ताज़ा करने का सामान (फ्रेशन-अप)

(4) सिटी कार्यालय से विमानक्षेत्र के बीच तथा विमानक्षेत्र से सिटी कार्यालय के बीच भुगतान करने पर भू-परिवहन व्यवस्था ; और

(5) विमानक्षेत्र के लैण्ड-साइड पर निःशुल्क कुली-व्यवस्था ।

तालाबन्दी के दौरान, जब नाममात्र अत्यावश्यक सेवायें ही परिचालित की जा रही थी ; तो (1), (4) तथा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं को बंद कर दिया गया था । मैगज़ीनों को भी हटा लिया गया था, परन्तु समाचारपत्र दिए जाते रहें ।

सामान्य विमान सेवाएं अब पुनः चालू कर दी गयी हैं, परन्तु कारपोरेशन ने ये चालू नहीं की हैं :—

(1) विमान पर गर्म भोजन सेवा ;

(2) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद तथा बगंलौर में सिटी कार्यालय तथा विमानक्षेत्रों के बीच भू-परिवहन की व्यवस्था ;

(3) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा बगंलौर में विमानक्षेत्रों के लैण्ड साइड पर निःशुल्क कुली-व्यवस्था ।

तथापि, 15 अप्रैल, 1974 से कारपोरेशन भोजन के समय के दौरान होने वाली 1-1/2 घंटा अथवा अधिक अवधि की उड़ानों पर यात्रियों को स्नैक प्रदान करती है । भू-परिवहन सेवाओं तथा विमान क्षेत्र के लैण्ड साइड पर कुली-व्यवस्था को बन्द करने का कारपोरेशन का निर्णय विदेशों में अन्य अंतर्देशीय एयरलाइनों द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्य-प्रणाली के अनुकूल है । भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चार अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर भुगतान के आधार पर कुलीगिरी व्यवस्था करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए हैं । इण्डियन एयरलाइन्स ने अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर यात्री कोच सेवाएं प्रदान करने के लिए विमानक्षेत्र प्राधिकरण से अनुरोध किया था । यह सुविधा दिल्ली तथा बगंलोर में भुगतान करने पर उपलब्ध है । बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में भी ऐसी ही सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल को सूखे के कारण दिये गये केन्द्रीय ऋण और अनुदान

9194. श्री देवेन्द्रनाथ महाता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिये सूखे और अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये गत वर्ष केन्द्रीय अध्ययन दल ने कितने ऋण और राज सहायता की सिफारिश की ; और

(ख) राज्य को अब तक कितनी धनराशि वितरित की गयी तथा रिलीज की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार से सूखा सहायता व्यय के लिए 1973–74 में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए पिछले वर्ष सूखा सहायता व्यय के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता देने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा सिफारिश करने या केन्द्र द्वारा सहायता की रकम देने का कोई प्रश्न नहीं उठा।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

9195. श्री देवेंद्र नाथ महाता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है ;

(ख) अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी हुई हैं तथा परियोजनाएं किन-किन तारीखों को आरम्भ की गयी थीं और उन पर परियोजनावार कितनी धनराशि व्यय हुई ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी होने वाली परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिनके लिये विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त की गई है, विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) पंचवर्षीय आयोजना अवधि में निम्नलिखित परियोजनाओं के पूरा हो जाने की आशा है :–

पश्चिम बंगाल, कलकत्ता शहरी विकास परियोजना

यह परियोजना कलकत्ता महानगर विकास अधिकरण द्वारा शुरू की जानी है और इसके अन्तर्गत जल पूर्ति, जल मल निकासी, कूड़ा निपटान, आसपास की सफाई शहरी परिवहन और कलकत्ता में गंदी बस्तियों के पुनर्विकास का काम होगा।

महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना

यह परियोजना महाराष्ट्र में कृषि विकास के लिये ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम का एक भाग है और इसमें छोटे सिंचाई कार्यों, भूमि विकास और भूमि विकास बैंक तथा कुछ भागीदारी वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा महाराष्ट्र राज्य में परामर्शदात्री सेवाओं के लिये ऋण देना शामिल है।

बम्बई जल-पूर्ति और जल मल निकासी परियोजना

बम्बई नगर निगम विकास आयोजना के अन्तर्गत ऋण की रकम जल पूर्ति और वितरण प्रणाली जल मल निकासी, गन्दे कुड़ को दूर करना जसे कामों के लिय उपयोग की जाती है।

भाग (क) और (ख) : विवरण

राज्य	परियोजना का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारिख	ऋण की वास्तविक रकम	इस्तेमाल की गई रकम	पूरी हो चुकी अथवा चल रही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	पत्तन		दस लाख अमरीकी डालर	दस लाख अमरीकी डालर		
पश्चिम बंगाल कलकत्ता	I	25-6-58	29.00	29.00	पूरी हो चुकी	
पश्चिम बंगाल कलकत्ता	II	17-8-61	18.84	18.84	पूरी हो चुकी	
पश्चिम बंगाल कलकत्ता	शहरी विकास	12-9-73	35.00	शून्य	चल रही है	
महाराष्ट्र	कोयना बिजली परियोजना I	8-4-59	18.70	18.70	पूरी हो चुकी	
	पूरना सिंचाई परियोजना	18-7-62	13.00	13.00	पूरी हो चुकी	
	कोयना बिजली परियोजना II	8-8-62	17.50	17.50	पूरी हो चुकी	
	बम्बई बन्दरगाह परियोजना	14-9-62	15.00	15.00	पूरी हो चुकी	
	महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना	29-3-72	30.00	11.3	चल रही है	
	बम्बई जल पूर्ती और जल मल निकासी परियोजना	22-1-74	55.00	0.6	चल रही है	

बिजली प्रेषण परियोजना	11–6–65	50.00	50.00	पूरी हो चुकी है	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के लिये 5.3 लाख डालर की व्यवस्था बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के लिए 12.2 लाख डालर की व्यवस्था ।
दूसरी बिजली प्रेषण परियोजना	3–5–71	75.00	1.1	चल रही है	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के लिए 6.7 लाख डालर की व्यवस्था बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से लिये 9 लाख डालर की व्यवस्था ।

नोट : उपरोक्त के अलावा कुछ परियोजनाएं नीचे दी गयी है जो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में काम करती हैं ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा धन भेजना

9196. श्री देवेन्द्र नाथ महाता : (क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान (1) इण्डिया टोबैको कं० लिमिटेड (2) बाटा शू कं० लिमिटेड (3) ग्लैक्सो लेबारटरीज (4) ग्रोडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) कम्पनियों नें कितनी धनराशि भेजी ; और

(ख) क्या धन राशि भेजने के मामले में सहयोगकर्ता कम्पनियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बीच कोई भेद-भाव किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है ।

(ख) धन बाहर भेजने के मामले में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी सहयोग वाली अन्य कम्पनियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	वर्ष	लाभांश	अधिकार शुल्क तकनीकी जानकारी	अन्य	जोड़
1	इण्डिया टोबेको कम्पनी लि०	1972–73	227.34	शून्य	शून्य	227.34
		1973–74	*	*	*	*
2	बाटा शू० कम्पनी लि०	1972–73	9.84	.627	27.45†	43.56
		1973–74	33.42	6.30	शून्य	39.72
3	ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज (इण्डिया) लि०	1972–73	73.53	29.06	,,	102.59
		1973–74	77.54	22.80	,,	100.34‡
4	गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि०	1972–73	14.25	शून्य	,,	14.25
		1973–74	14.44	,,	,,	14.44‡

*कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

†इस रकम में 12.41 लाख रुपये की रकम शामिल है जो ऋण की वापसी अदायगी की द्योतक है।

‡केवल 1974 तक।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता नगर निगम को देय सेवा प्रभार

9197. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता नगर निगम को सेवा प्रभार के रूप कितनी राशि अब तक देय है ; और

(ख) इन प्रभारों के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : निर्माण और आवास मंत्रालय सूचना इकट्ठी कर रहा है वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"इन्डिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 1974" में भाग लेने वाले देशों को मेले में बिक्री के लिये माल आयात करने की अनुमति देना

9198. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, 1974" में भाग लेने वाले देशों को मेले में बिक्री के लिये माल आयात करने की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, मेले में भाग लेने वाले देशों को मेले के पश्चात् अपनी प्रदर्शित वस्तुएं बेचने के लिए फेयर-कोटा दिया जायेगा ।

(ख) फेयर-कोटा की मुख्य बातें संलग्न अनुबन्ध में दी गई हैं ।

विवरण

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1974 में भाग लेने वाले देशों के लिए फेयर-कोटा

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1974 में भाग लेने वाले देशों को मेले के पश्चात् अपनी प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक 'फेयर कोटा' दिया जाएगा । कोटे की मात्रा निम्नोक्त प्रकार होगी :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले प्रत्येक देश के लिए बुक किये गये स्थान का 500 रु० प्रति वर्ग मीटर बशर्ते कि वह 25,00,000 रुपये से अधिक न हो ।

(ख) मेले में भाग लेने वाली प्रत्येक विदेशी वाणिज्यिक फ़र्म के लिए बुक किये गये स्थान का 750 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकिन अधिकतम सीमा 7,50,000 रुपये होगी ।

2. फेयर कोटे के आधार पर प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री निम्नलिखित शर्तों के आधार पर होगी :

(क) मदें चालू आयात नीति के अन्तर्गत भारत में आयात के लिए अनुमेय होनी चाहिए ।

(ख) वे पात्र खरीदारों को बेची जानी चाहिए, और

(ग) 50,000 अमरीकी डालर से ऊपर की बिक्री भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से होनी चाहिए ।

3. 'फेयर कोटा' के अन्तर्गत जो बिक्री होगी वह भारत में खरीदारों के पास पहले से पड़े वैध आयात लाइसेंस के आधार पर विक्रियों के अतिरिक्त होगी ।

राजस्थान में स्थापित किये गये पर्यटन केन्द्र

9199. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य राज्यों में स्थापित किये गये पर्यटन केन्द्रों की तुलना में राजस्थान में स्थापित पर्यटन केन्द्र बहुत कम हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और **(ख)** : पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्य को राज्यवार आधार पर नहीं प्रारंभ किया जा रहा है **अपितु** ऐसी अन्य बातों को दृष्टि में रखते हुए किया जा रहा है जैसे पर्यटकों के लिए किसी स्थल का वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण, वहां तक पहुंचने की सुविधा, उसका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व, मूल आधारभूत उपादानों का उपलब्ध होना तथा पर्यटक यातायात का वर्तमान प्रवाह । ऐसे चयनात्मक दृष्टिकोण का अपनाना पर्यटन के विकास के लिये उपलब्ध सीमित साधनों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आवश्यक है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का उचित वितरण

9200. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपभोक्ताओं को विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित किस्मों का कपड़ा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़े का उचित वितरण करने के लिये प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1 अप्रैल, 1974 से लागू की गई नियंत्रित कपड़ा संबंधी संशोधित नीति के अन्तर्गत नियंत्रितक पड़े की मात्रा 4000 लाख वर्ग मीटर से बढ़ा कर 8000 लाखदी वर्ग मीटर कर गई है । वितरण माध्यम बढ़ाने के संभव साधनों के बारे में भी राज्य सरकारों तथा उद्योग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक द्वारा कर अपवंचन

9201. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड द्वारा कर का अपवंचन किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) आरोप सामान्य प्रकार के हैं । ये आरोप बैंक तथा उसके कुछ चोटी के कर्मचारियों के विरुद्ध हैं । कुछ आरोप इस प्रकार हैं :–

(i) बैंक के चोटी के कर्मचारियों को दिये गये वेतनेतर लाभों का अनुचित मूल्यांकन ।

(ii) बैंक के भवनों/अन्य परिसंपत्तियों के बारे में मूल्यह्रास के अनुचित दावे ।

(iii) ब्रिटेन में बसे बैंक के पेंशनरों द्वारा आयकर की चोरी ।

(iv) अनिवासी व्यक्तियों को अदा किये गये ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना ।

(v) कतिपय खर्चों के अनुचित दावे ।

(ग) सभी आरोपों की सम्यक् जांच-पड़ताल की जा रही है । बैंक और उसके कर्मचारियों के निर्धारण वर्ष 1971–72 तक के कर-निर्धारणों में, जिसमें निर्धारण-वर्ष 1971–72 के कर-निर्धारण भी शामिल हैं, सूचना की प्रमाणित मदों तथा विभाग द्वारा की गई ब्यौरेवार जांच-पड़ताल के आधार पर, जहां कहीं भी आवश्यक था, समुचित परिवर्धन कर दिये गये हैं ।

पश्चिम बंगाल में उत्पादित चाय से उत्पन्न शुल्क की वसूली

9202. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में वर्ष 1971–72 से 1973–74 तक कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ और इससे कुल कितना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वसूल हुआ; और

(ख) उत्पादन शुल्क की वसूली में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन	वसूल किया गया उत्पादन-शुल्क
	(000) किलोग्राम	(000) रुपये
1971–72	23,597	96.51
1972–73	23,488	80.94
1973–74	23,617	82.21

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली में कमी का मुख्य कारण, कलकत्ता हाई कोर्ट में चाय बागानों द्वारा दायर की गयी रिट याचिकाओं के फलस्वरूप उचित क्षेत्रिय दरों पर उत्पादन शुल्क की वसूली के खिलाफ न्यायालय की निषेधाज्ञाओं का लागू किया जाना है ।

पश्चिम बंगाल में गांजे का उत्पादन

9203. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गांजे के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1970 से 1973 तक देश में वर्ष वार और राज्य वार गांजे का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में गांजे के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती वर्षों के मुकाबले वर्ष 1972 में गांजे के उत्पादन की मात्रा में काफी कमी हुई है । वर्ष 1973 में उत्पादन की मात्रा फिर बढ़ गई, यद्यपि यह अब भी 1971 के आंकड़ों से कम थी ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :–

(उत्पादित गांजे की मात्रा किलोग्राम में)

राज्य का नाम	1970	1971	1972	1973
बिहार . .	24,852	27,180	11,767	सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।
मध्य प्रदेश . .	40,030	33,595	23,321	सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।
उड़ीसा . .	13,084	10,739	10,632	8,619
पश्चिम बंगाल . .	16,697	19,179	2,806	13,601
कुल योग .	94,663	90,693	48,526	22,220

M/P(N)4LSS—10

(ग) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 में गांजे के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :-

(i) बाढ़ तथा तूफान के कारण अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में गांजे की खेती की गयी ।

(ii) अधिक वर्षा और विपरीत मौसम रहने के कारण गांजे की खेती व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी ।

फेडरेशन आफ एसोशिएशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया द्वारा 1974–75 में आयात नीति के मामले में बड़े उद्योग के समान व्यवहार का अनुरोध

9204. श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया ने आयात नीति के मामले में बड़े उद्योग क्षेत्र के समान व्यवहार करने और वर्तमान नीति में कुछ त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे दुर्लभ कच्चे माल का ब्यौरा क्या है जिसके आयात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के लघु उद्योग संघों की फेडरेशन ने अलग अलग मदों के आयात के संबंध में बड़ी संख्या में सुझाव दिये थे । इन सभी सुझावों पर वर्ष 1974–75 हेतु आयात नीति का पुनरीक्षण करते समय सविस्तार विचार किया गया और विदेशी मुद्रा की प्राप्यता तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयोक्ता उद्योगों के महत्व तथा साथ ही निर्यात उत्पादन व आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकताओं के आधार पर इन सुझावों को जहां कहीं संभव पाया गया है स्वीकार कर लिया गया है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा लघु साबुन निर्माताओं को बकरे की चर्बी की सप्लाई

9205. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े साबुन निर्माताओं को बकरे की चर्बी की अभी भी सप्लाई की जा रही है, जबकि छोटे साबुन निर्माताओं को उसकी सप्लाई नहीं की जा रही है और उसके बजाय उन्हें ताड़ का तेल सप्लाई किया जा रहा है ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग और लघु साबुन निर्माताओं को अलग अलग मूल्यों पर ताड़ का तेल सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संगठित क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और संगठित तथा छोटे साबुन विनिर्माताओं दोनों को चर्बी तथा ताड़ का तेल इसकी उपलब्धता के अनुसार सप्लाई किया जाता है ।

(ख) वनस्पति उद्योग के लिए ताड़ का तेल तथा अन्य आयातित तेलों की रिलीज़ कीमत आयातित तेल की लागत, स्वदेशी खाद्य तेलों की कीमतों तथा उनकी उपलब्धता जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है जबकि साबुन विनिर्माताओं के संबंध में ताड़ के तेल की रिलीज़ कीमत केवल आयातित ताड़ के तेल की लागत पर आधारित होती है। साबुन विनिर्माताओं के लिए रिलीज़ कीमत उन दोनों कीमतों में से ऊंची वाली कीमत है।

पांचवी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना

9207. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने संसाधनों की वृद्धि के लिये उपायों के बारे में योजना आयोग को कोई सुझाव दिये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1974—79 के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के लिए 6,850 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का लक्ष्य है। इस रकम में से 2,550 करोड़ रुपया राज्य सरकारों द्वारा और बाकी 4,300 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा जुटाया जाना है।

(ख) अतिरिक्त साधन जुटाने के बारे में किये गये निश्चयों में वित्त मंत्रालय की सलाह भी ली गयी थी। पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना, 1974—79 (भाग-1) के प्रारूप के पृष्ठ 59—62 में उन उपायों की स्थूल रूपरेखा दी गयी है जिनसे अतिरिक्त साधन जुटाये जाएंगे।

जमाकर्त्ताओं को भविष्य निधि के विवरण भेजा जाना

9208. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री ए० जी० सी० आर० और ए० जी० सी० डब्ल्यू० एम० द्वारा भविष्य निधि जमाकर्ताओं को वार्षिक विवरण भेजने के बारे में 6 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6,416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वचनानुसार वित्तीय वर्ष 1972-73 के भविष्य निधि विवरण जमाकर्ताओं को भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या करण हैं; और

(ग) अब वे कब तक भेज दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 1972-73 के सामान्य भविष्य निधि के विवरण जमाकर्त्ताओं को अप्रैल, 1974 में भेजे गये हैं। महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में वर्ष 1972-73 के लिए हाथ में दर्ज करने की प्रणाली के अन्तर्गत रखे गये लगभग 36,000 भविष्य निधि खाते भेजे जा चुके हैं और संगणक प्रणाली के अधीन रखे गए लगभग 97,000 खातों के विवरणों को भेजने का काम चल रहा है।

(ख) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में विवरण भेजने में विलम्ब इसलिए हुआ है कि उस कार्यालय में बड़ी भारी संख्या में खाते हैं, और जब खातों को संगणक प्रणाली पर लाया गया तब उतने ही अनुपात में काम की बड़ी भारी मात्रा बकाया थी, कई वर्षों से संगणक का पर्याप्त समय नहीं मिला, और इतने पर कई दिनों बिजली फैल हो जाने के कारण, कंप्यूटर का काम करने के वास्तविक नियत समय में बहुत कटौती हो गई और रामकृष्णपुरम् स्थित संगणक केन्द्र में कुछ मौकों पर बिजली की कम वोल्टेज होने से काम कम हुआ। इन्हीं कारणों से महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध के कार्यालय में भी, कोई तीन महीनों का विलम्ब हुआ।

(ग) वर्ष 1972-73 से सम्बन्धित काम के बारे में स्थिति यह है कि यदि बिजली फेल होने, कम वाल्टेज रहने आदि के कारण काम नहीं रुके तो महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा दिसम्बर 1974 तक पूरा कर दिये जाने की आशा है।

सामान्य भविष्य निधि खातों के विवरणों में असंगतियां

9209. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० जी० सी० आर० और ए० जी० सी० डब्लू० एम० के कार्यालयों में सामान्य भविष्य निधि खातों का हिसाब संगणकों से किए जाने के परिणामस्वरूप, सामान्य भविष्य निधि जमाकर्त्ताओं ने वर्ष 1971-72 के वार्षिक विवरणों में अनेक असंगतिओं की ओर ध्यान दिलाया है ? और

(ख) यदि हां, तो इन असंगतियों के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ लेखों में असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है परन्तु ऐसी विसंगतियां संगणक पद्धित की ही विशिष्टता नहीं हैं, क्योंकि हाथ से रखे जाने वाले खातों में भी ऐसी विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है।

(ख) विसंगतियां सामान्यतः निम्न कारणों से होती हैं :—

आहर्ता अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण सूची तैयार करना विशेष रूप से गलत लेखा संख्या देना, खाता संख्या मिलने से पहल ही आहर्ता अधिकारी द्वारा अंशदान की वसूली, विभिन्न स्तरों पर प्रेषण में सूचियों का खो जाना, खातों में जमा रकमों का गलत वर्गीकरण, कुछ विभागों में सरकारी कर्मचारियों का जल्दी जल्दी स्थानान्तरण और अन्य लेखा मंडलों में स्वीयेतर सेवा/प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी में सरकारी कर्मचारियों के अंशदानों के प्रेषण में विलम्ब होना क्योंकि इनका समायोजन विनिमय लेखों की माफत होता है।

उलझनें पैदा करने वाली स्थिति की समग्र रूपेण समीक्षा की जा रही है। असमायोजित जमा रकमों के समायोजन के लिये अब तक किये गये उपायों में से कुछ ये हैं —अंशदाताओं के सही खाता नम्बरों को, महालेखाकार के कार्यालयों में वर्णक्रम सूचकांक रजिस्टरों से तलाश करना, बिना खतियाई मदों के सम्बन्ध में सही सूचियां और ब्योरों का पता लगाने के लिये आहर्ता, अधिकारियों/खजाना अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, कुछ मामलों में जमा रकमों का लेखा मंडलों के बीच अंतरण, लेखा माध्यम से करने की बजाय बैंक ड्राफ्टों से करना, असमायोजित जमा रकमों के समायोजन में उदारता

बरतते हुए अनुषंगी प्रमाणों के आधार पर समायोजन करना, और जहां आवश्यक हो, दौरा करने वाली पार्टियों को भेज कर अपेक्षित ब्यौरों को मौके पर एकत्र करना ।

सामान्य भविष्य निधि खातों के वितरणों को ठीक करने में विलम्ब

9210. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद कि जब कभी सामान्य भविष्य निधि के जमाकर्ता अपने वार्षिक खातों के विवरणों में कोई त्रुटि बताते हैं तो उन्हें पत्र संख्या और निधि, चैक नम्बर और चैक की राशि सहित पूर्ण ब्योरा देना होता है तब भी केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार के कार्यालय और ए० जी० सी० डब्लू० एम० द्वारा उपरोक्त विवरणों को ठीक करने में बहुत अधिक समय लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : हर साल लेखा-विवरण थोड़े से समय में भेजे जाते हैं । जमाकर्ताओं की चिट्ठियां भी, थोड़ी अवधि में ही ढेर की ढेर आ जाती हैं । इसके अलावा, जिन विभागों/कार्यालयों से कभी कभी पूरी सूचना नहीं भेजी जाती, उनको वापस चिट्ठियां लिखनी होती हैं । काफी मामलों में दूसरे लेखा मंडलों को लिखना पड़ जाता है । बहुत सारे खातों के मामलों में इन सारी कार्यवाहियों को करने में समय लगता है । लेखों को यथा संभव अगले वर्ष के विवरणों में ठीक कर दिया जाता है ।

Arrears of Central Sales Tax in Madhya Pradesh

9211. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The amount of the Central Sales Tax due in Madhya Pradesh till the end of 1973 ;

(b) the names of the 10 firms against which the maximum Central Sales Tax is outstanding ; and

(c) the action taken so far for recovering the entire arrears of the Central Sales Tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) : The administration of Sales Tax (both Local and Central) vests in the State Governments. The information asked for has, therefore, been called for from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Imposition of Agricultural Wealth Tax by State Governments

9212. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether in the meeting of the National Development Council, the Central Government have suggested to the state Governments to levy Agricultural Wealth Tax ; and

(b) if so, facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) : No. specific suggestion was made to the State Governments in the National Development Council for levying Agricultural Wealth Tax. However, it was suggested to the State Government that additional resources from agricultural sector should be raised through implementation of the Raj Committee's recommendation for imposition of Agricultural Holdings Tax and/or through a combination of other measures like withdrawal of concessions in land revenue levying surcharges on land revenue at graduated rates and imposition of betterment levy.

Scheme to attract Tourists to Madhya Pradesh

9213. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a large number of foreign tourists visit Madhya Pradesh every year; and

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to attract tourists to Madhya Pradesh and if so, the broad features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Tourist arrival figures are compiled on an all-India and not on a State-wise basis. However, the Foreign Tourist Survey conducted during 1972-73 has shown that out of the 40,985 foreign tourists who visited India during that year 7·2 per cent and 1·2 per cent respectively of them visited Khajuraho and Bhopal/Gwalior in Madhya Pradesh.

(b) Continuous publicity is undertaken to attract tourists to all places of tourist interest including those in Madhya Pradesh. Facilities for tourists are also being provided in the Central Sector at Khajuraho, Bhopal, Kanha, Kisli, National Park and Sanchi.

रिजर्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र क लोगों को ही लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए चुना जाना

9214. श्री वायालार रवि :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने देश के सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके भी केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही लिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए चुना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और कितने व्यक्ति चुने गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : सम्भवत: सदस्य महोदय के ध्यान में भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई में पदक्रम II के लिपिकों/सिक्का नोट परीक्षकों की भर्ती की बात है जिसके लिए महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र को छोड़ कर) तथा दादरा नागर हवेली और गोवा जो भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई का भर्ती केन्द्र है, में प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम

से 10 नवम्बर, 1973 को आवेदन पत्र मांगे गये थे। भारतीय रिजर्व के अनुसार विज्ञापन के जवाब में 16967 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि कई वर्षों से उनका तरीका यह रहा है कि रिजर्व बैंक के प्रत्येक कार्यालय को तीसरी श्रेणी और चौथी श्रणी के पदों की भर्ती के लिए समूचे देश में काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में से एक विशिष्ट क्षेत्र सौंप दिया जाता है। इन पदों के लिए केवल भर्ती के क्षेत्र में प्रचलित समाचारपत्रों में ही विज्ञापन दिये जाते हैं।

बैंक ने अपनी नीति के अनुरूप इन आवेदनपत्रों का अनुवीक्षण करने के बाद 5072 उम्मीदवारों को 24-2-1974 को परीक्षा के लिए बुलाया। जो उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए वे अभी साक्षात्कार (इण्टरव्यू) के लिए चुनाव बोर्ड के सम्मुख पेश होंगे जिसके बाद चुने गये लोगों की एक सूची तैयार की जायगी।

त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

9215. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के बारे में 5 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में त्रिपुरा, मिजोरम, अरूणाचल, मणिपुर, असम, नागालैण्ड उड़ीसा और बिहार के राज्यों में नई शाखाएं खोल कर इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्तर बिहार के जिलों, विशेषकर मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा आदि को वर्ष 1974-75 के दौरान नई शाखाएं खोल कर अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) से (ग) : जन-शक्ति और प्रशिक्षण सुविधाओं पर्याप्त आधार भूत सुविधाओं आदि की कमी जैसी कई प्रकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में विद्यमान प्रोदेशिक असन्तुलन को दूर करने का काम विभिन्न चरणों में पूरा करना होगा। बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए तीन वर्षीय आवर्ती योजना तैयार करते समय स्वयं, बिहार और उड़ीसा राज्यों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ क्षेत्रों के कम बैंकों वाले क्षेत्रों में बकिंग सुविआ सुविधाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे रहे हैं।

अफ्रीका से अपरिष्कृत काजू प्राप्त करने में भारत को होने वाली कठिनाइयां

9216. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में पूर्वी अफ्रीका के देशों से अपेक्षित मात्रा में अपरिष्कृत काजू प्राप्त करने में भारत को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चीन भी काजू और काजू उत्पादों की मंडियों में पहुंच गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका हमारे काजू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : भारत में कच्चे काजू के आयात के मुख्य स्रोत तांजानिया, कीनिया तथा मोजम्बिक हैं ।

तांजानिया ने, जो कि भारत को कच्चे काजू का एक मुख्य सप्लायर है, दिसम्बर, 1973 से अपना निर्यात योग्य देशी माल समस्त मात्रा एक ही बार में देने के बजाय लाटों में देना आरम्भ कर दिया है । अन्य देशों अर्थात् कीनिया तथा मोजम्बिक ने इस वर्ष भी भारत को अपना निर्यात योग्य देशी माल बेचा है ।

(ग) ऐसे अपुष्ट समाचार है कि चीन ने तांजानिया से कच्चे काजू की कुछ मात्रा खरीदी है ।

(घ) इस संबंध में इतनी जल्दी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

लाख का निर्यात

9217. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में लाख की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73, 1973-74 में किन-किन देशों को लाख का निर्यात कया गया ;

(ग) इन वर्षों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां लाख की नई मण्डियों की सम्भावना हो सकती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अन्य बहुत से देशों के अलावा, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन तथा ब्राजील को निर्यात किए गए ।

(ग) 1972-73 में लाख के निर्यातों का मूल्य 6.19 करोड़ रु० था और 1973-74 के लिए लगभग 12.20 करोड़ रु० मूल्य का अनुमान है ।

(घ) लातीनी अमरीका, पूर्वीय यूरोप, अफ्रीकियाई देशों तथा सिंगापुर, हांग कांग और आस्ट्रेलिया में भी बाजार का विस्तार किया जा सकता है ।

मफतलाल ग्रुप को लाइसेंस देना

9218. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान मफ़त लाल ग्रुप, सेन्चयुरी रेयन, त्रिवेणी टीशूज तथा गोयन्का ग्रुप द्वारा विशेषकर आर० पी० गोयन्का द्वारा प्रबन्धित कपड़ा मिलों को कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये और रुपयों में उनका मूल्य क्या था ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को उन आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में कोई आरोप अथवा शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जारी किये गए सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां नियमित रुप में संसद पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाती हैं। फर्म-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता की विभिन्न पटसन मिलों में पटसन की वस्तुओं का उत्पादन

9219. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में नेशनल ज्यूट मिल, कलकत्ता और हुक्मचन्द ज्यूट मिल कलकत्ता में पटसन की वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ ? और

(ख) उपरोक्त अवधि में उनका कुल निर्यात कितना था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Submission of a Memorandum by Central Government Employees

9220. Shri Ramavatar Shastri :

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government employees had submitted a memorandum to him on the 2nd April, last;

(b) if so, the main points thereof ;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) whether a delegation of their leaders had also met him on that day?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (d) : Memoranda entitled "Charter of common demands of Central Government employees" have been received from a number of organisations of Central Government employees on different dates in the last month.

(b) The main points raised in the memoranda are :

(1) Government should accept in principle a minimum wage of Rs. 314 for a cost of living index of 200 points (base 1960=100).

(2) The present wage structure should be revised as also the rates of increment, and pay should be refixed in the revised scale on point-to-point basis.

(3) The dearness allowance formula should be changed both in regard to points factor and time factor providing for cent per cent neutralisation for increase in the cost of living up to the revised pay limit of Rs. 1,200.

(4) Dearness Allowance should be treated as pay for all purposes including calculation for pension.

(5) House Rent Allowance should be allowed without production of rent receipts upto the pay level of Rs. 1,200 per month.

(6) The licence fee for Government accommodation should be reduced to 7½% of the basic pay or the standard rent, whichever is less.

(7) There should be no curtailment of existing facilities of children's educational allowance, compensatory (city) allowance, travelling allowance, etc.

(8) Overtime Allowance for duty on closed days should be at double the normal rate, and the system of payment of overtime allowance should be at hourly rates without ignoring any period beyond working hours for calculation of overtime.

(9) Special pay should be granted as a percentage of pay.

(10) Adequate promotion outlets should be provided ensuring atleast two promotions by seniority and on each promotion there should be an increase in pay of at least 10 per cent over the last pay drawn.

(11) Cent per cent neutralisation for rise in prices should be provided to pensioners, and those who retired between 1-3-70 and 31-12-72 should be given pension after taking into account the dearness allowance and interim reliefs also.

(12) Full pension should be calculated on the basis of average emoluments drawn in the last ten months and full pension should be restored after ten years when a part is commmuted.

(13) The rate of full pension should be 50% of the emoluments and gratuity should be given at half months' emoluments for every completed year of service.

(14) Minimum bonus of 8·33% of wages should be given to all Central Government employees.

(15) Full trade Union rights should be guaranteed and no strike should be declared illegal.

(16) All victimisation for trade union activities should be vacated no break in service should be imposed, all Courto cases in connection with previous srtikes withdrawn and all temporary employees whose services had been terminated and subsequently reinstated should be paid full pay and allowances for the period they remained out of employment.

(17) Regular supply of foodgrains and essential articles of consumption in adequate quantities should be ensured through the public distribution system at fair prices.

(18) All employees who have completed 3 years of service should be automatically deemed to have quasi-permanent status.

(19) Five-day week should be negotiated.

(c) The Third Central Pay Commission has already gone into details of the pay structure, allowances and other benefits of Central Government employees and has made a large number of recommendations on these points. Important recommendations made by the Commission were also discussed with the representatives of the Staff side of the National Council of Joint Consultative Machinery in September last. After taking into account the results of those discussions as also the limitations of financial resources, Government decided to make certain improvements in the commission's recommendations relating to employees belonging to Classes II, III and IV. These decisions were announced in October 1973, and necessary action has been taken to implement those decisions as quickly as possible. The improvements affected by Government have cost, over and above the Commission's recommendations about Rs. 61 crores recurring and Rs. 25 crores non-recurring, the recurring cost having gone up further because of the larger number of instalments of dearness allowance which had to be paid till the end of the last financial year. In view of the financial constraints, it is not possible to effect any further improvements or to reopen the issues which have already been decided.

Proposal for Economic Cooperation between India and Japan

9221. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a new plan is being implemented with a view to expanding economic cooperation between India and Japan;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the benefits India is expected to receive therefrom ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c): No specific plan as such for exparsion of economic cooperation between India and Japan is being implemented. Japan, as a member of Aid India Consortium, has been providing economic assistance to India since 1958. Apart from debt relief which is not relatable to the import of goods and services, Japan has been providing both non-project and project aid for the import of such goods and services as are not available within the country and required for the maintenance and development of the Indian economy.

Construction of Hotels in Private Sector

9222. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any plan for constructing hotels in private sector also for the convenience of foreign tourists ; and

(b) if so, salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) : Hotels in the privat osector ar eplanned by the entrepreneurs themselves. However, the private sector is encouraged to set up more hotels by means of various incentives offered in the form of fiscal reliefs, loans on concessional term, priority consideration for essential building materials, inescapable imports etc. The reqoirement of hotels in areas of tourist interest is surveyed from time to time. There are also schemes for the approval of hotel projects from the tourism angle, and for the classification of hotels.

चांदी के निर्यात में मूल्य से कम बीजक बनाना

9223. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राधिकारियों ने चांदी क निर्यात के संबंध में मूल्य से कम बीजक बनाने वाल गिरोह का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या ह ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : यह निश्चित करने के लिये जांच की जा रही है कि चांदी के निर्यात की कतिपय खपों के न्यूनवीजकांकन के बारे में कुछ समाचार पत्रों में लगाय गय आरोप सही हैं अथवा नहीं ।

रूस से आयात

9224. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से आयात सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची क्या है ; और

(ग) इन वस्तुओं के आयात का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : जनवरी, 1974 में तैयार किये गए भारत-सोवियत संघ व्यापार प्लान में वर्ष 1974 के दौरान सोवियत संघ से किये जाने वाले आयातों की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार 1974 के दौरान सोवियत संघ से आयात की जाने वाली प्रमुख मदें ये हैं : मिट्टी का तेल, डीज़ल तेल, एस्बैस्टोज, रोल्ड इस्पात उत्पाद, जस्ता, तांबा, निकिल, पैलेडियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, म्यूरिएट आफ पोटाश, गन्धक, अखबारी कागज, समुद्री जहाज, पावर और विद्युत तकनीकी उपस्कर, खनन और भू-वैज्ञानिक संभावनाओं का पता लगाने के उपस्कर, मुद्रण मशीनें, सोवियत सहायता वाली परियोजनाओं के लिए संघटक तथा फालतू पुर्जे, निर्माण तथा मिट्टी हटाने के उपस्कर आदि। भारत और सोवियत संघ के बीच हुए व्यापार तथा भुगतान करार के उपबन्धों के अनुसार इन आयातों का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायेगा और इस धन का उपयोग वर्ष के दौरान सोवियत संघ को होने वाले भारत के निर्यातों के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा बिल मार्किट योजना का उपयोग

9225. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के संगठन बिल मार्किट योजना का उपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) क्या उक्त संगठन ऐसा कोई अपनी मनमानी के साथ कर रहे है अथवा रिजर्व बैंक के सामान्य निदेशों को पूर्णतया पालन कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : न्यू बिल मार्किट योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसलिए बनायी गयी है कि मीयादी हुण्डियां जारी करने की प्रथा का विकास करने और व्यापारिक ऋणों के प्रयोजन के लिए उन्हें स्वीकार करने में सहायता दी जाय। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक उन सही व्यापारिक हुण्डियों के सम्बन्ध में किसी बैंक को हुण्डियों को फिर से भुनाने की सुविधा प्रदान करता है जो परक्राम्य और विपणनयोग्य हों तथा जिनपर दो हस्ताक्षर हों जिसमें से एक हस्ताक्षर किसी बैंक का हो। इस प्रकार की हुण्डियां खरीददार और विक्रेता के आपसी प्रबन्धों और सुविधा के आधार पर जारी की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने हुण्डियों को स्वीकार करने की योजना को अपने बैंकरों के परामर्श से, जहां उन्होंने ऐसा करना व्यवहार्य समझा है, अपना लिया है। ऐसा करते समय उन्होंने अपनी खरीददारी के स्वरुप और इस खरीददारी के सम्बन्ध में अदायगी की वर्तमान पद्धति को ध्यान में रखा है।

जीवन बीमा निगम की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

9226. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डया इन्शोरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि जीवन बीमा निगम की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाये और व्यापक शक्तियों वाले अधिक कार्यालय खोले जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की एक समिति इसलिए स्थापित की थी कि वह आर्थिक संभावनाओं को तथा अन्य विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों की जांच करे तथा ऐसे स्थानों के बारे म सुझाव दे, जहां नये प्रभागीय कार्यालय खोलने की जरूरत है । समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है । जीवन बीमा निगम ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों के आधार पर कार्य विकेन्द्रीकरण योजना भी लागू की है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा कपड़े का निर्यात

9227. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी हथकरघा कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का कोई विशेष उपाय करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पहले किये गये कार्य का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग जो कि खादी के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, खादी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं । उन्हें निर्यात संवर्धन के संबंध में हथकरघा माल के बराबर समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि पुनर्वित्त निगम से सहायता प्राप्त योजनाएं

9228. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1973 तक कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा, राज्यवार, कितनी योजनाओं के लिये तथा कुल कितनी सहायता की गई ;

(ख) क्या पूर्वी राज्यों का हिस्सा बिलकुल असमान है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस दिशा म कया कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क) : कृषि पुनर्वित्त निगम ने विभिन्न राज्यों में 788 योजनाएं स्वीकार की थीं और दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 134.69 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान किया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : पूर्वी राज्यों मे योजनाओं की स्वीकृति की प्रगति उपेक्षाकृत कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सहकारी वित्तीय संस्थाएं कमजोर थीं और राज्य सरकारों ने पुनर्वित्त के लिए पात्र योजनायें बनाने में कम दिलचस्पी ली।

जब कृषि वित्त निगम, सक्षम योजनाएं बनाने तथा उन पर आगे की कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों और वित्त अभिकरणों की सहायता करने के लिए अपने विशेषज्ञ भेज कर प्रोत्साहक भूमिका अदा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए, निगम ने दो तकनीकी सलाहकार एकक स्थापित किये हैं—एक लखनऊ में और दूसरा कलकत्ता में। इस प्रकार के अन्य उपाय भी किये गये हैं जैसे पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना, केवल प्रोत्साहक कार्य के लिए अलग कर्मचारी रखना, राज्य सरकारों और उधार देने वाली संस्थाओं से समय समय पर इस दृष्टि से बातचीत करना ताकि वे उन क्षेत्रों में जहां सहकारी ऋण ढांचा तुलनात्मक रूप से कमजोर है, अधिक भाग ले सकें। निगम ने लघुकृषक विकास अभिकरण/सीमांतिक कृषक कृषि श्रमिक योजनाओं के लिए शतप्रतिशत और पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से आने वाली सभी अन्य योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त सुविधाओं को उदार बना दिया है।

राज्य सरकारों से कमजोर सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनर्वास करने के लिए भी कहा जा रहा है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	कृषि वित्त निगम से लिया गया पुनिर्वित्त
1	आन्ध्र प्रदेश	133	2,086
2	असम	12	105
3	बिहार	9	2,261
4	दिल्ली	1	6
5	गुजरात	56	1,012
6	हरियाणा	46	1,481
7	हिमाचल प्रदेश	1	—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	योजनाओं की संख्या	कृषि वित्त निगम से लिया गया पुनर्वित्त
8	जम्मू और काश्मीर	3	71
9	केरल	36	234
10	मध्य प्रदेश	47	383
11	महाराष्ट्र	76	1,237
12	मेघालय	1	–
13	कर्नाटक	118	1,065
14	नागालैण्ड	1	–
15	उड़ीसा	10	39
16	पांडिचेरी	2	–
17	पंजाब	37	2,305
18	राजस्थान	29	263
19	तमिलनाडु	83	1,324
20	उत्तर प्रदेश	76	1,579
21	पश्चिम बंगाल	11	18
		788	13,469

बकरे की अर्धपरिष्कृत खाल का रूस को निर्यात

9229. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के चमड़ा शोधनालयों ने लगभग पांच वर्ष तक रूस को निर्यात करने क लिये अर्ध-परिष्कृत बकरे की खाल बनाने का काम किया था ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय के सम्बन्ध म हुई प्रगति के बारे में मुख्य बात क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) काश्मीर सरकार के चमड़ा शोधनालयों ने वर्ष 1965-66 और उस क बाद बकरे की **ब्लूक्रोस** चमड़ियों (अर्ध-साधित चमड़ा) का निर्यात आरंभ किया है। उनके द्वारा उपरोक्त चमड़े के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

निर्यात वर्ष	निर्यातित चमड़ियों की संख्या (लाख में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1966-67	0.82	8.49
1967-68	1.13	13.51
1968-69	1.10	12.00
1969-70	2.25	30.40
1970-71	8.12	24.08
1971-72	2.57	24.79
1972-73	1.12	25.69
1973-74	1.68	39.49
	13.89	188.45

उपरोक्त निर्यातों में से 185.94 लाख रु० मूल्य की लगभग 13.75 लाख चमड़िय मुख्यतया रूस को और शेष थोड़ी मात्राएं बलगारिया, पोलैंड, आस्ट्रेया और जापान को निर्यात की गई

मेरठ के निकट एक ट्रक से स्वर्ण बिस्कुटों का बरामद होना

9230. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में मेरठ के निकट एक ट्रक से 13,00,000 रु० के स्वर्ण बिस्कुट पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) गत छः महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों से बरामद स्वर्ण और अन्य निषिद्ध सामान तथा वस्तुओं की कीमत कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत मिली हैं कि कुछ गतिविधियों में उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का हाथ रहता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । परन्तु 7 अप्रैल 1974 को मेरठ के एक व्यक्ति के पास लोहे के एक ट्रंक में 12,900 रु० मूल्य का शुद्ध सोना पाया गया और उसे स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ लिया गया । उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) अगस्त 1973 और जनवरी 1974 के बीच, देश के विभिन्न भागों से 1,970 लाख रु० मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया जिसमें 109 लाख रु० मूल्य का सोना भी शामिल है ।

(घ) समय समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं और जहां आवश्यक होता है उपयुक्त कार्य वाही की जाती है ।

1970–73 की अवधि के दौरान विभिन्न कारखानों में वैगनो का उत्पादन

9231. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-73 की अवधि के दौरान विभिन्न वैगन कारखानों में कितने वैगनों की उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने वैगनों का निर्यात किया गया और इस अवधि के कितने आदेश अभी क्रियान्वित होने हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1973-74, 1974-75 के लिए रेल-उपकरणों हेतु निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस प्रकार के उत्पादन के लिए जिन कारखानों को क्रयादेश दिया गया है, उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) : 1970, 1971, 1972 तथा 1973 वर्षों के दौरान वैगन बनाने वाले विभिन्न कारखानों में उत्पादित चार पहिये वाले वैगनों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

1970	10,489
1971	8,016
1972	9,169
1973	11,500

(ख) 1970-71 से 1972-73 वर्षों के दौरान जितने वैगनों का निर्माण किया गया तथ इसी अवधि में जो क्रयादेश हाथ में रहे उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	नियोतित संख्या	वे क्रयादेश जो हाथ में थे (अदद)
1970–71	463	5,826
1971–72	829	4,984
1972–73	689	4,450

(ग) तथा (घ) : वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान वैगन तथा संघटकों की सप्लाई के लिए निम्नोकत क्रयादेश प्राप्त होने की सूचना मिली है :

क्रम सं०	देश	मात्रा / मद	मूल्य लाख रु० में	कारखानों के नाम
1973–74				
1	फिलीपीन्स	30 कोच तथा फालतू पुर्जे	248.02	इन्टीग्रल कोच फैकटरी मद्रास
2	मलयेशिया	110 वैगन	167.00	सिमकों, भारत-पुर
3	पूर्वी अफ्रीका	100 वैगन	134.00	इंडियन स्टैडर्ड वैगन, कलकत्ता
4	बुल्गारिया	800 कपलर्स	48.20	मुकंद आयरन एंड स्टील वर्कस बम्बई
5	थाईलैंड	400 ड्राफ्ट गियर	2.38	भारतीय इलैक्ट्रक स्टील, कं० कलकत्ता ।
6	आस्ट्रिया	रेलवे स्टैंपिग मशीन के हिस्से	0.50	प्लासर एंड थियूरे, नई दिल्ली ।
7	जाम्बिया	कोचों के लिए फालतू पुर्जे	0.42	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास
8	आस्ट्रेलिय	रेलवे स्टैंपिग मशीन के पुर्जे	0.27	प्लासर एंड थियूर्र, नई दिल्ली
9	थाइलैंड	बौगी के पालतू पुर्जे	0.11	इन्टीग्रल कोच-फैकटरी, मद्रास तथा एस्कोर्टस
10	मलेयशिया	शाक आवजर्वर	0.03	एस्कौर्टस, फरीदाबाद
1974–75				
ताइवान		बोगी तथा फालतू पुर्जे	12.00	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास

मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

9232. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या मास्टर क्राफ्ट्समैन के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर्ता क लिए कोई आय सीमा की शर्त है जिससे वह पुरस्कार के अन्तर्गत मंजूर की गई पेंशन को प्राप्त कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) तथा (ख) : सिद्धहस्त शिल्पियों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर्ताओ को पेंशन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार दीन अवस्था वाले सिद्धहस्त शिल्पियों को वित्तीय सहायता (पेंशन नहीं) प्रदान करने के लिए इस समय एक योजना चला रही है। योजना में अन्तर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिद्धहस्त शिल्पियों का 150 रु० प्रतिमाह का एक उचित जीवन-निर्वाह स्तर बना रहे और इसलिए वित्तीय सहायता केवल उन सिद्धहस्त शिल्पियों तक सीमित है जिनकी अपनी आय इस स्तर से कम होती है और साथ ही उसी सीमा तक दी जाती है जितनी उनकी आय कम पड़ती है।

दिल्ली में प्रदर्शनी के बारे में

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : आज दिल्ली में बन्द है और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कांग्रेस नगर निगम के सदस्यों के नेतृत्व में 3000 गुण्डे विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों पर हमले कर रहे है (व्यवधान) माननीय मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहियें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कल विवरण दिया जा चुका है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) सरकार द्वारा लोगों के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की उपेक्षा करना और लोगों के शोषण करने के विरुद्ध सभा के अनेक दल प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कल बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (जोधपुर) : सरकार अनाज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बारे में अपनी नीति से हट गई है और मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे रही है (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार जनता की कठिनाइयों की उपेक्षा कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर कल चर्चा कर चुके हैं। इस विषय पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। इस विषय पर मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। मैं इस मामले पर चर्चा के लिये किसी सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is no state Assembly for Delhi and Parliament is responsible for Delhi 's affairs. Section 144 has been imposed against peaceful demonstrations. I want to know whether the people have no right to demonstrate peacefully against high prices, shortages of things and unemployment ?

अध्यक्ष महोदय : आपने इस विषय पर चर्चा के लिये कोई नोटिस नहीं दिया । इस बारे में कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई है । यदि कोई बात सदन के बाहर घटती है तो उस घटना के बारे में सदन में चर्चा करने के लिये नोटिस की आवश्यकता है (व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आज यदि माननीय सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो हम उसका समर्थन करेंगे (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी : आज हम सदन का ध्यान सरकार की नीतियों के विरूद्ध राष्ट्रीय प्रदर्शन की ओर दिलाना चाहते हैं । (व्यवधान)

जनता को हो रही कठिनाइयों के विरूद्ध यहां आवाज उठाना हमारा अधिकार है (व्यवधान) आज देश को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा और हमे यह पता नहीं है कि सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । (व्यवधान)

इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये ।

Some hon. Members then left the House

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether the people will be allowed to demonstrate peacefully or not ? In case the Government will not allow the people to demonstrate peacefully, naturally, they will be forced to take the path of violence. You know that Section 144 has been imposed in Delhi even after assurance of the parties sponsering the demonstration that there would not by any violence.

Mr. Speaker : It means there is no work left for the Minister except to make a statement.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : ऐसा दिल्ली के लिये ही विशेष नहीं है । ऐसा समस्त विश्व में हो रही है । जैसे ही पता लगता है कि कोई प्रदर्शन होने वाला है बिना सोचे समझे धारा 144 लागू कर दी जाती है । अन्य शब्दों में लोगों को वैद्ध विरोध प्रकट करने क लोकतान्त्रिक अधिकार से इंकार किया जाता है । मूल्य वृद्धि की समस्या से समस्त देश चिन्तित है । जिस प्रकार स समय मूल्य बढ़ रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि अगामी वर्ष में मूल्य 50 से 100 प्रतिशत बढ़ेंगे ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : We have never disrespected the feelings of the people. But we have criticised the people who want to create the atmosphere of violence in the country. it is true that we do not like to give encouragement to violence (*interruptions*)

Mr. Speaker : Please allow us to start the proceedings.

यू० एन० आई० के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST U.N.I.

अध्यक्ष महोदय : 28 मार्च, 1974 को श्री श्री अमृत नाहटा ने यू० एन० आई० इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया के विरुद्ध मार्डन बेकरेजी (इंडिया) लिमिटेड के बारे में लोक उपक्रम समिति के 47 वें प्रतिवेदन का गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति मांगी है ।

उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय पीठासीन थे न, यू० एन० आई० के जनरल मैनेजर और सम्बद्ध समाचार पत्रों के सम्पादकों को, इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिये कहा है। मैंने तब उक्त मामला यू० एन० आई० द्वारा की गई कार्यवाही का लोक उपक्रम समिति को टिप्पणी देने के लिये भेजा था।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष ने 30 अप्रैल को अपनी टिप्पणी में यह सिफारिश की थी कि उपक्रम के निरीक्षण तंत्र को कठोर करने के लिये प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिये जिससे बासी और फफूंदी वाली डबल रोटी बाजार में न बेची जाये।

इन परिस्थितियों में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यू० एन० आई० के समाचार और अन्य समाचार पत्रों में दिये गये शीर्षक में समिति द्वारा दी गई सिफारिशों की भाषा और भावना के प्रति न्याय नहीं किया गया है। यू० एन० आई० तथा अन्य सम्बद्ध समाचार-पत्रों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के बाद, यदि सदन इस बात से सहमत हो कि उनके विरुद्ध मामला समाप्त कर दिया जाये, तो उक्त मामला समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अतः मैं यह मानता हूं कि सदन इस बात से सहमत है कि उक्त मामला समाप्त कर दिया जाये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना 1974-75

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

"वार्षिक योजना, 1974–75" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6894/74)

गुजरात बिक्री कर (संशोधन) नियम, 1974 और एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच० एन०/230) जी० एस० आर० 1074/(11)-टी०एच० में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6895/74)

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 1972–73 और वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 का धारा 25 का उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6896/74)

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 1 फरवरी, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि सम्बन्धी प्रमाणित लेखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंन्थालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० 6897/74)

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत राजपत्र दिनाक 13 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 395 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ग्रंन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6898/74)

गुजरात निजी वन अर्जन नियम, 1974

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात निजी वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात निजी (अर्जन) नियम, 1974 की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या जी० एच० के० एच० 51 : 74 पी० आर० एफ० 1973–74–354 पी० में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6899/74)

वाणिज्यक पोत परिवहन (अग्नि शामक उपकरण) संशोधन अधिनियम, 1974, गुजरात माल परिवहन कराधीन अधिनियम, 1962 और मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 और विवरण के अंतर्गत गुजरात सरकार अधिसूचना,

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (अग्नि शमन उपकरण) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्य सा०.सां० नि० 374 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6900/74)

(2) (एक) गुजरात के राज्य सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल परिवहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात सरकार अधिसूचना संख्या जी एच/जी/323/ एम टी ए/1773/7052/ई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6901/74)

(3) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उदूघोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धार 13स की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी स्क3रण) की एक प्रति :–

(क) बम्बई मोटरगाड़ी (गुजरात चौथा संशोधन) नियम, 1973, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 20 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या जी/जी 73/190/एम वी आर-1073 4941-ई में प्रकाशित हुए थे।

(ख) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 26 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या जी/जी/73/188/एम वी आर-1073/2969 ई में प्रकाशित हुए थे।

(ग) बम्बई मोटर गाड़ी (गुजरात संशोधन) नियम, 1973 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या जी/जी/73/310/एम वी आर/1067/7152 ई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6902/74)

पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी समिति 'ङ' की कार्यवाही का सारांश

Synopsis of Proceedings of Committee (E) on Draft Fifth Five Year Plan

श्री पी० वेंकटासुब्बाया (नन्दयाल) : मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (क्रियान्वित तथा जनसहयोग) संबंधी समिति 'ङ' की कार्यवाही का सारांश (अंग्रेजी) सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने 14वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :–

1. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला**
2. **डा० जी० एस० मेलकोटे**
3. **श्री देवेन्द्र सत्पथी**

क्या सभा समिति द्वारा दी गई सिफारिश से सहमत है ?

माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदानुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

नियम समिति
RULES COMMITTEE

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री शिवनाथ सिंह : (झुंझनु) : मैं नियम समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत चौथा प्रतिवेदन ।

(2) समिति की 18 और 26 मार्च तथा 3 और 25 अप्रैल, 1974 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

9वां प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का 9 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी-समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES

25वां प्रतिवेदन

श्री डी० बासुमतारी (कोकशझार) : मैं गृह मंत्रालय– अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातिय तथा अनुसुचित जनजातियों की सामाजिक – आर्थिक दशा के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचितें जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 25वां प्रतिवेदन करता हूं ।

"नई-दुनिया" को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किये गये आदेश के बारे में

STATEMENT RE. ORDER, ISSUED BY THE CHIEF JUSTICE OF M.P. ABOUT ADVERTISEMENTS TO "NAI DUNIYA"

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च, 1974 को श्री मधु दंडवते संसद् सदस्य ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा रोटरी क्लब, इन्दौर में दिये गये भाषण और उनके विचारों की आलोचना करने के लिये इन्दौर के दैनिक समाचार-पत्र "नई दुनियां" के विरुद्ध उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में, लोक सभा में प्रक्रिया और कारबार के संचालन के नियमों के नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा था । महोदय, आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिये और सदन में विवरण दिया जाना चाहिये ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से जिन तथ्यों का पता चला है, उनसे यह प्रकट होता है कि रोटरी क्लब, इन्दौर ने अपने प्राधिक अधिवेशनों में से एक अधिवेशन में उनको आमंत्रित किया था और उनसे भारत की विदेश नीति पर बोलने के लिये अनुरोध किया था । उक्त विषय पर भाषण देने के समय, मुख्य न्यायाधिपति ने प्रारम्भ में यह बता दिया था कि वह उक्त विषय पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे और यदि उन्होंने कोई विचार प्रकट किये तो वे उनके निजी विचार होंगे । इन्दौर के कुछ दैनिक समाचार-पत्रों ने उनके भाषण के उद्धारण प्रकाशित किये । "नई दुनियां" ने एक 'सम्पादकीय' भी लिखा, जिसके बारे में मुख्य न्यायाधिपति ने यह समझा कि उनके भाषण को उसमें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था । यह सत्य है कि एक आदेश पारित किया गया था कि जब तक आगे आदेश न दिये जायें, राज्य की न्यायपालिका द्वारा इस दनिक समाचार पत्र को कोई भी विज्ञापन नहीं दिये जाने चाहिये । समाचारपत्र के प्रबन्ध-सम्पादक ने भारत की प्रेस परिषद् से शिकायत की है और इस विवाद पर उसके द्वारा विचार किया जा रहा है मेरे लिये यह वांछनीय नहीं होगा कि मामले के गुणावगुणों पर अपना मत प्रकट करुं ।

तथापि, मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव होता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने परिपत्र को रद्द कर दिया है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया : मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 7 मई, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :–

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार करना।

(2) कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक, 1974 (विचार और पास करना)

(3) 1974-75 के लिये अनुदानों की मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। (आगे विचार और पास करना)

(5) बुधवार, 8 मई, 1974 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पास करना :–

(एक) संविधान (35वां संशोधन) विधेयक, 1974

(दो) संविधान (34वां संशोधन) विधेयक, 1974

Shri Atal Bihari Bajpayee (Gwalior) : An important issue relating to land grab by VIPs in Delhi has not been included in business for the next week announced by the Minister of Parliamentary Affairs. It is necessary to have discussion over this issue during current session of parliament.

Opposition parties should also be taken into confidence for the Bills seeking Amendment of the Consittution because the business of contitutional amendment is not a party matter.

Strike is going on in the D.C.M chemical Works which should be put to an end in view of present shortage of vegetable oil. The Minister should give a statement thereon.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The labour throughout the country is agitating against rising prices. Government should give a statement next week as to why attempts are being made to suppress the strike by the working classes. Shri Kishori Lal, a member of the Municipal corporation came out with three thousand goondas for breaking up the strike (*Interruptions*)

The arrest of railway leaders agitated the railway employee which led to strike in some parts of the country (*Interruptions*)

I will appeal to the Prime Minister to intervene otherwise this strike will spread among central Government employees also. The leaders should be released immediately.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Scheduleed Caste and Scheduled Tribs (Amendme..t)Bill was introduced in the Lok Sabha in 1948 which was withdrawan with the assurance that it will be introduced again. The fate of this Bill in unknown even after so many years. The Hon. Minister give a categorical reply about the delay in introducing this Bill.

I want that the House should discuss the Fifth Five Year Plan in the next week.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : केरल में चावल 4 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। दो महीनों के बाद दरों में और तेज़ी आयेगी। इस मंहगाई का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने वचत के अनुसार केरल के गेहूं और चावल की सप्लाई नहीं की। की खाद्यान्न स्थिति वहां बहुत ही गम्भीर है ।

वहां नारियल जटा उद्योग भी संकट में है। इस उद्योग को साक्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के अपने वचन के अनुसार 16 करोड़ रुपये प्रदान करने चाहिये। मंत्री महोदय को इन सब बातों के बारे अगले सप्ताह वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री समर गुह (कंटाई) : देश को गम्भीर आर्थिक स्थिति तक रेलवे हड़ताल को ध्यान में रखते हुये लोक सभा के वर्तमान सत्र के नियम 13 को अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि यह कहीं इस से बहुत पहले समाप्त न हो जाय ।

श्री समर गुह : मैं चाहता हूं कि इस सदन का सत्र उस समय तक जारी रहना चाहिये जब तक रेलवे हड़ताल समाप्त न हो जाये ।

गत 26 वर्षों के दौरान खरीफ के समय पिछले एक वर्ष की तरह थोक मूल्यों में 27 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। गत तीन महीनो के दौरान मूल्य सूचकांक में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अगले तीन महीनों में यह 50 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी। इसीलिये मैं कहता हूं कि असधारण, असमान्य और अपूर्व राष्ट्रीय संकट जो देश भर में बढ़ता जा रहा है, को देखते हुये, इस सभा का सत्र लगातार रहना चाहिये (व्यवधान)

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : कार्य मंत्राणा समिति ने अपने 43 वें प्रतिवेदन में कालपात्र और पांडिचेरी के अनुदानों की मागों पर चर्चा करने के लिये समय का नियतन किया थे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये अपने वक्तव्य में इनके बारे कोई उल्लेख नहीं है। मुझे आशा हैं कि मंत्री महोदय इन दो प्रश्नों की चर्चा के लिये समय निकालेंगे। उस दिन कालपात्र सम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी हुई थी ।

पांडिचेरी के पूरक मांगों के बारे बुनियादी असंवैधानिक त्रुटियों का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। इस बारे हमें महान्यायवादी की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में पहले भी दो बार महान्यायवादी की राय ली जा चुकी है। उन्हें इस बारे में चर्चा के समय सदन में बुलाया जाना चाहिये। यदि ज़रुरी हो तो हमें महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिये सत्रावधि बढ़ानी चाहिये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : मैंने दिल्ली बंद पर चर्चा करने का अनुरोध किया था। सारी दिल्ली में आज हड़ताल है और सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त है। लोग मंहगायी के विरूद्ध

प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। सरकार मंहगायी पर नियंत्रण पाने में असफल सिद्ध हो रही है। हम रेलवे के स्थिति पर चर्चा चाहते हैं। मेरे दल के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त को गिरफ्तार करने की साज़िश की जा रही है, जिसका मैं घोर विरोध करती हूं ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Last week, I raised a question under rule 377 reg. smuggling uranium from Jadugura in Bihar. It is a pity that Government has not so far come out with a statement. I will again request that time may be allotted for a discussion on this issue.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के लिये दो प्रश्नों के बारे में सुझाव दिया गया है जिनमें से एक पांडिचेरी अनुदानों की मागों के बारे में है। वित्त मंत्री इस पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं ।

उठाये गए दूसरे प्रश्न सम्बन्धी पहले की कार्यवाही मैंने नहीं देखी है। इस बारे में प्रो० नुरल सहन से मैं बात करूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

43वां प्रतिवेदन

श्री के० रघुरमैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह समय कार्य मंत्रण, समिति के 43 वें प्रतिवेदन से जो 2 मई, 1974 को सभा म प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

Shri Atal Bihari Vajpayee : There should be a discussion about land grab in the House.

Speaker : You have already spoken about it.

"अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन स जो 2 मई, 1974, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संविधान (34वां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty-Fourth) Amendment Bill

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वास्तव में जिस संविधान संशोधन विधेयक के में पुरःस्थापित कर रहा हूं अथवा नहीं बल्कि 35वां है। इसमें आवश्यक संशोधन किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यह 35वां होगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : ये इसे नये नम्बर से पुर:स्थापित करेंगें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is wrong with this number.

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे पता नहीं है । ये इसका सुझाव दे रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कार्य मंत्रणा समिति विभिन्न विधेयकों के लिये समय का नियतन करने हेतु बैठक का अयोजन करती है (**व्यवधान**)

श्री एच०आर० गोखले : असली उदेश्य उस विधेयक को पहले प्रस्तुत करने का है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तो कार्य मंत्रणा समिति के सामने वास्तविक स्थिति क्यों नहीं रखी गई ?

श्री एच० आर० गोखले : दल-बदल सम्बन्धी संविधान (32वां संशोधन) विधेयक अभी पारित नहीं किया गया । इसी प्रकार संविधान (33वां संशोधन) विधेयक हैदराबाद के बारे था । अत: यह 32वां होगा और दूसरा 33 वां । अत: संख्या सम्बन्धी परिवर्तन संशोधन द्वारा ही लाया जा सकता है ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री समर गुह : संख्या में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । यह अनियमित ही नहीं बल्कि नियमों के विरूद्ध भी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को जानता था ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) ; उनके व्यवस्था के प्रश्न का अनुमान लगाते हुये आपने अपन विनिर्णय दिये है (**व्यवधान**)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक के पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करन वाल विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री सेजिमान : राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया । इस लिये मैं विधेयक के लक्ष्य के विरुद्ध हूं ।

प्रत्येक सत्र के अन्त में विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आदि आदि लाना सरकार की आदत सी बन गई है। सरकार किसी भी मान्य प्रक्रिया का आदर नहीं करती है। इस विधेयक की प्रतियां सदस्यों के बीच पहले क्यों वितरित नहीं की गयीं ?

इस विधेयक को लाने में जो विलम्ब हुआ है उसके क्या कारण हैं। ये इतने अधिक विधेयक नहीं ला सकते। सरकार हमेशा ही ऐसा करती आई है। सदस्यों को इन पर विचार करने का अवसर नहीं दिया जाता और इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : This Bill is based on the decisions taken at the Chief Ministers' Conference held in July, 1972. There was enough time for Government to bring forward the Bill in time. It is proper to bring forward the Bill after getting the rules suspended. The Bill seeks to include 16 enactments in the Ninth Schedule. The basis of the laws enacted by different states are not uniform. The guidelines adopted by the Chief Ministers' have been ammended to suit local needs and now we are being asked to agree to these acts being kept out of the jurisdiction of Courts.

While considering land reforms, mere acreage of land should not be taken into consideration. The question of income from a particular area of land has to be taken into account. There is need for considering this matter in depth and also for properly examining the enactments to be included in the Ninth Schedulo. The Bill should, therefore, be referred to a Joint Committee.

Shri Madhu Limaye (Banka) : There is no indication in the Bill as to why the necessity for including the enactments in the Ninth Schedule arose. The Minister should clarify the position.

We do not know the intentions of the various enactments. The Minister should provide a note on each of these enactments for the information of the House. All the enactments should also be laid on the Table of the House.

It is not known as to whether this Bill has been brought forward for the purpose of implementing land reforms or there are some discriminatory provisions in it. The Minister should clarify the position.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं, परन्तु सरकार इस बारे में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है जबकि सत्र समाप्त होने में तीन चार दिन ही बाकी रहते हैं।

अगस्त, 1972 में विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1972 के अन्त तक सारे देश में भूमि सुधार लागू कर दिये जायेंगे। विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कानून हैं। यही नहीं, जमीदार, जागीरदार और जोतदार कानून का सहारा लेते हैं और इस प्रकार भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है।

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार और कानूनों में त्रुटियां होने के कारण अनेक राज्यों में मन्त्री, संसद सदस्य और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी बहुत सी जमीन पर कब्जा किये हुए हैं। अब तक केवल 0.7 प्रतिशत जमीन ही फालतू घोषित की गई है। भूमि सुधार कानूनों के अनुसार

यह जमीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों और भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जानी चाहिये थी, परन्तु उस भूमि पर मन्त्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों ने चुपचाप कब्जा कर लिया है ।

राज समिति ने भी इस बारे में सख्त टिप्पणी की थी । योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्य दल ने भी यह कहा है कि भूमि सुधारों के मामले में नीति सम्बन्धी घोषणाओं और वास्तविक क्रियान्वयन में बहुत अधिक अन्तर रहा है ।

रेल-लाइन, पुल अथवा सड़क का निर्माण कार्य भी करना हो, तो मामला अदालत में जाता है और वहां वर्षों तक विचाराधीन रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिये और अगर इसे संयुक्त प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहती, तो संसद सदस्यों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिये, जिसे सभी राज्य सरकारें अपना सकें और न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की समस्या भी समाप्त हो सके ।

काफी विचार विमर्श के बाद एक व्यापक और प्रभावी विधेयक पेश किया जाना चाहिए और उसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जिन बातों का उल्लख किया गया, उनमें से अधिकांश बातें इस स्थिति में असंगत हैं ।

श्री मधु लिमये ने कहा कि विधान की प्रतियां उपलब्ध की जानी चाहिए । 50 प्रतियां पहले ही उपलब्ध कर दी गई हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अधिक प्रतियां उपलब्ध की जा सकती हैं ।

एकरूपता और भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में उल्लेख करने का यह उपयुक्त समय नहीं है । माननीय सदस्यों को ये बातें उठाने का बाद में अवसर दिया जायेगा ।

नवीं अनुसूची का संशोधन कोई नई बात नहीं है । भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये इस बारे में सदन ने अनेक बार अपना समर्थन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty Fifth Amendment Bill)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : I strongly oppose this Bill. It is totally unnecessary and the aim of the Bill is to crush the mass movement of the people.

I would not have opposed this Bill, if the purpose of the Bill had a limited scope of verifying the genuineness of a Member's signature on the letter. The Presiding Officers of various State Assemblies and Speaker of Lok Sabha are being involved in this issue. It would be very dangerous to involve the speaker in a controversial matter like this.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I rise to oppose this Bill. If any amendment in the constitution is necessary, it should be to recall the representatives by the people. This amendment is in the wrong direction. The people's representatives should not be so weak to succumb to any pressure from outside.

By this amendment the presiding officers of State Legislatures, Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha are being dragged into a controversial matter.

I would like to know whether the Government has made any unofficial consultations with the speaker of the Presiding Officers of the State Legislatures before bringing forward this Bill. This Bill should have been referred to the Speaker's conference. To bring forward such a Bill is not proper.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस विधेयक का दो कारणों से विरोध करना चाहता हूं । पहला कारण तो संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करने सम्बन्धी नियमों को वे इस बारे में निलम्बित करना चाहते हैं और अनुचित जल्दबाजी में इसे पारित करना चाहते हैं । इस प्रकार हम अन्य नियमों को भी निलम्बित कर सकते हैं और बिना किसी चर्चा के ही इस विधेयक को पारित कर सकते हैं । फिर प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की ही क्या जरुरत है ?

यह ठीक है कि विधान मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिये किसी पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिये, परन्तु इस प्रकार हम अध्यक्ष और सभापति को एक उलझनभरी स्थिति में डाल रहे हैं, क्योंकि उसे यह पता करना होगा कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है अथवा नहीं और बाद में अध्यक्ष के निर्णय के बारे में शंका उठाई जा सकती है ।

मान लीजिए कोई पार्टी यह संकल्प पारित करती है कि उस पार्टी के सभी सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिए । इसे पार्टी द्वारा सदस्यों पर दबाव माना जायेगा और इसका निर्णय कौन करेगा । इसलिये अध्यक्ष को उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिये ।

हम किसी भी प्रकार का दबाव डाले जाने के विरुद्ध उनको सहयोग देना चाहते हैं, परन्तु इस विधेयक को पेश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। इसलिये मैं इस विधेयक के पेश किये जाने और नियमों को निलम्बित करने का विरोध करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध षड़यन्त्र ही नहीं है, बल्कि अपने न्यायपूर्ण अधिकारों का उपयोग करने के लिए उत्सुक भारतीय जनता के पुर्नरुत्थान के भी विरुद्ध है।

भारतीय संविधान में निर्वाचित सदस्य को वापस बुलाने अथवा उस बारे में जनमत जानने का कोई उपबन्ध नहीं है। कोई भी निर्वाचित सदस्य जाति या समुदाय के दबाव के कारण कोई दाण्डिक अपराध कर सकता है। ऐसे निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिये।

फ्रांस में 1948 में जो संविधान पारित किया गया था, जब उस पर जनमत लिया गया, तो जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। वहां पांच महीने बाद ही नये संविधान का निर्माण करना पड़ा। स्विट्जरलैण्ड में निर्वाचित सदस्य को वापस बुलाने और जनमत जानने का प्रावधान है। मैं साम्यवादी देशों में एकदलीय शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं हूं, परन्तु वहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाये जा सकने के प्रावधान की सराहना करता हूं।

जब जनता भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विरुद्ध अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों का उपयोग करना चाहती है तो इस प्रकार का संशोधन उस अधिकार के विरुद्ध एक षड़यन्त्र है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार के विधेयक को पेश करके अपनी स्थिति हास्यास्पद क्यों बना रही है। सारे देश को एक हास्यास्पद स्थिति में डालना निश्चित रूप से एक चिन्ताजनक बात है। संविधान में इस प्रकार के उपबन्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सम्भव है बिहार और गुजरात में कुछ सदस्यों से उनकी इच्छा के विरुद्ध त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये गये हों, परन्तु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि इस बात का प्रचार किया जाये कि यहां के सदस्य आयतन ही दबाव में आकर त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार भी अगर अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय को इस बात की आशंका होती है कि त्यागपत्र वास्तविक नहीं है या जाली है, तो वह सही स्थिति का पता कर सकता है।

जहां तक मैं समझता हूं इस प्रकार के संविधान में जो दायित्व हैं, उन दायित्वों को लेने के लिये किसी भी विधान मण्डल का पीठासीन अधिकारी तैयार नहीं होगा। सदन द्वारा दिये गये अधिकार से भिन्न अन्य किसी भी तरीके से अध्यक्ष कार्य संचालन नहीं कर सकता। क्या हम अध्यक्ष से एक मजिस्ट्रेट की भान्ति काम करने की आशा करते हैं, जो असंगत बातों की जांच पड़ताल करता रहे।

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार की छोटी-मोटी बातों का भी संविधान में उल्लेख क्यों करना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिये समय ही नहीं है। प्रो० समर गुह ने निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने, जनमत जानने की मौलिक बात कही। सरकार इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराना चाहती है, यही कारण है कि इसे

सत्र के अन्त में पेश किया गया है। सरकार इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिये भी तैयार नही है। इस प्रकार सरकार संविधान और संसद तथा अध्यक्ष/सभापति की गरिमा के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रही।

मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की चर्चा में भाग लेकर अपना समय और इस सदन के प्रत्येक सदस्य का समय बरबाद कर रहा हूं। शायद इनके दिमाग में कोई अच्छी बात बैठ जाए।

श्री श्यामा नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं कुछ मौलिक कारणों से इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

मैं इस बात को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम दबाव के विरुद्ध हैं जो हिंसा का ही एक रूप है। लेकिन सामाजिक अथवा नैतिक दबाव डालना अनुचित बात नहीं है।

त्यागपत्र देना और उसे स्वीकार कराना सदस्य का अधिकार है। सदस्य अध्यक्ष महोदय अथवा सभापति का अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है। इसलिये जब तक त्यागपत्र स्वीकार न हो, तब तक उसकी नौकरी जारी समझी जाए। यह सरकार द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है कि कोई भी सदस्य त्यागपत्र दे सकता है और उसे स्वीकार करवा सकता है।

माननीय सदस्यों ने पीठासीन अधिकारियों के कार्यों के बारे में कुछ मूलभूत मुद्दे उठाये हैं। क्या कार्यपालिका के दायित्वों को भी पीठासीन अधिकारियों को सौंपा जायेगा। अगर कोई त्यागपत्र जबर्दस्ती दिया गया है, तो वह कानून के अन्तर्गत अपराध है और कानून के अन्तर्गत अपराध का समाधान अध्यक्ष या सभापति के पास खोजने के बजाय न्यायालय में प्राप्त किया जाना चाहिए।

अगर सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत बहुत ही कम और सीमान्त है, तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी एक अवांछनीय तरीके से अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार इस संशोधन से पीठासीन अधिकारी को राजनीति के अखाड़े में खींचा जा रहा है।

पीठासीन अधिकारियों की सुरक्षा के लिये भी इससे खतरा है। अगर त्यागपत्र जबर्दस्ती प्राप्त किया गया है तो अध्यक्ष महोदय द्वारा उसे स्वीकार न किये जाने पर अध्यक्ष के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार सदस्यों के जीवन को संकट में न डाल कर अध्यक्ष के जीवन को संकट में डाला जा रहा है।

अगर पीठासीन अधिकारी गलत निर्णय देता है, तो इस बात के लिये उस पर अदालत में मुकद्दमा चलाया जा सकता है; क्योंकि उसका यह कार्य सदन से बाहर किया गया कार्य है। विधान, मण्डल भी पीठासीन अधिकारी की रक्षा नहीं कर सकता।

अगर कोई पार्टी यह निर्णय करती है कि उसके सभी सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिये, तो क्या ऐसे त्यागपत्रों को दबाव या धमकी के अधीन दिया गया त्यागपत्र माना जायेगा। इस प्रकार के त्यागपत्रों की व्याख्या किस प्रकार की जायेगी ?

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि पीठासीन अधिकारी को जब कोई त्यागपत्र प्राप्त हो, तो वह एक महीने या तीस दिन तक प्रतीक्षा कर सकता है कि सम्बद्ध सदस्य से इस बारे में कोई जानकारी

या खण्डन की सूचना तो प्राप्त नहीं हुई । पीठासीन अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण सन्तुष्टि पर मामले को छोड़ देना बहुत ही खतरनाक बात होगी ।

श्री एच० आर० गोखले : हम इस समय विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । किसी भी सदस्य नें इस विधेयक की वैधानिक सक्षमता के बारे में प्रश्न नहीं उठाया है ।

मैं सभी मुद्दों पर व्यापक रूप से उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि जब विधेयक पर चर्चा होगी तब इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा । मैं सदस्यों का इस बात के लिये आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की पूर्व-सूचना दे दी है कि वे इस विधेयक पर क्या कहने जा रहे हैं । यह विचार पूर्णतया गलत है कि विधेयक से सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने पर रोक लगती है । त्यागपत्र तभी दिया जा सकता है, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि त्यागपत्र वास्तविक नहीं है अथवा स्वेच्छा से नहीं दिया गया है । यह लोकतान्त्रिक कार्य है कि त्यागपत्र देने के लिये सदस्य के साथ हिंसक व्यवहार किया जाए, जैसा कि अभी हाल में किया गया है । वर्तमान व्यवस्था में अध्यक्ष के सामने त्यागपत्र स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । गुजरात और अन्य स्थानों में इसी प्रकार की घटनायें हुई हैं, जबकि 200–300 आदमियों ने जबर्दस्ती हस्ताक्षर प्राप्त किये । कुछ सदस्यों को निर्वाचिन क्षेत्र से शारीरिक रूप से अध्यक्ष के पास उठाकर ले जाया गया और त्यागपत्र प्राप्त किये गये ।

(**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस विधेयक को बनाने और सदन में पेश करने से पूर्व सरकार ने आपसे इस बारे में परामर्श किया था, क्योंकि इसमें अध्यक्ष के पद को भी सम्बद्ध किया गया है । संसद, संसद सचिवालय और अध्यक्ष पद से सम्बन्धित कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाने से पूर्व अध्यक्ष महोदय से परामर्श किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
129	25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त विधेयक--जारी

Finance Bill 1974—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर और आगे विचार करेंगे। इसे आज ही पारित किया जाना है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) यह अत्यन्त महत्वपुर्ण विषय है। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : विचार के लिये प्रस्ताव सभा में रखा जाये। खंड-वार विचार 3.30 बजे किया जाये। तथा विधेयक 4.30 बजे पारित किया जाये। 4, 30 से 7 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही की जाये।

Mr. Speaker : What ever be the circumstances it has to be finalised to-day.

Shri Madhu Limaye (Banka) : During this Budget session some Government Bill is brought on every Friday.

Mr. Speaker : Never.

Shri Madhu Limaye : This has been continuously happening during this Budget Session.

I propose that non-official business may be taken up at 3·30 p.m. The Finance Bill may be brought up at 7·00 p.m.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस सभा को पक्का आश्वासन दिया गया था कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में परिवर्तन नहीं किये जायेंगे।

श्री के० रघुरमैया : निर्णय सदा ही विरोधी पक्ष की सम्मति से किये जाते हैं।

श्री पीलू मोदी : आज हम अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं।

श्री मधु लिमिये : आज हम सहमत नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमने कई खंडों के बारे में महत्त्वपूर्ण संशोधनों की सूचना दी है। यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री कहते हैं कि विधेयक आज पारित होना है। तब तो सब कुछ बिना चर्चा किये एक मिनट में पारित कर दिया जाए। आज सरकार के पास भारी बहुमत है और वह विरोधी सदस्यों को संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं देना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : आपने ही कल यह स्वीकार किया था।

श्री पीलू मोदी : सभी करार किन्हीं अन्य करारों पर आधारित हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : विधेयक आज ही परिचालित किया गया है और उसे 12.30 बजे सभा में रख दिया गया। आप सरकार के पक्ष में स्वविवेक का उपयोग करते हैं। गर-सरकारी सदस्यों के पक्ष में भी ऐसा क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : कल आपके कहने पर रेलवे हड़ताल पर चर्चा के लिये वित्त विधेयक को स्थगित रखा था। कल सभी ने यह स्वीकार किया था कि वित्त विधेयक पर चर्चा आज की जाए। मुझ आश्चर्य है कि आप कैसे सहसा अपने ही निर्णय को बदल रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हम संसद के बजट अधिवेशन के लिए यहां एकत्रित हुए है। महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं कर पाये तथा उन सबको गिलेटीन कर दिया गया है। अब कराधान के प्रस्तावों पर भी चर्चा को संक्षिप्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आगे से जब कभी कुछ अभिवचन दें . . .

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप हमारे प्रति न्याय नहीं कर रहे है।

श्री पीलू मोदी : कार्य मंत्रणा समिति में हम आदान-प्रदान करते ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 3.00 बजे की जाए और चर्चा समाप्त न हो पाये तो उसे कल सर्व प्रथम लिया जाये।

कई सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी।

श्री पीलू मोदी : बाद का वाक्य आपके कार्यालय द्वारा जोड़ा गया है। वास्तविकता यह है कि इन मामलों में प्रतिपक्ष के समर्थन तथा सहयोग की आवश्यकता है जो कि आज हम नहीं दे रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपको कल यह नहीं पता था कि वित्त विधेयक लाया जा रहा है। वे लोग आपको सूचना ही नहीं देते कि वे क्या रखने वाले हैं। वे विधेयकों को रात में तैयार करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : बात यह है कि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 तारीख से पूर्व मिलनी है अतएव इसे पारित कर दें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उसमें तो अभी पर्याप्त समय है।

श्री के० रघुरमैया : 5 और 6 की छुट्टियां हैं। आठ नौ को इसे राज्य सभा में रखना होगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : The President has to give his assent on 13th. We can pass the Bill on 7th.

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया गया था, इसीलिये मैंने इसे स्वीकार किया था।

श्री के० रघुरमैया : मैं विपक्ष के सदस्यों से एक बार फिर सहयोग के लिये अपील करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिये कितना समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की मैं अनुमति नहीं देता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि सरकार यह विधेयक 7 तारीख को लाये तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि समय कम रह गया है। इसलिए ऐसे महत्त्वपूर्ण विधेयक का ऐसे तिपट्टारा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : सभा रात एक बजे तक बैठ सकती है। परन्तु विपक्ष 6 बजे के बाद बैठना नहीं चाहता।

श्री के० रघुरमैया : जब सदस्य गैर-सरकारी कार्य को स्थगित करने को तैयार नहीं है तो इसे 6 बजे ले लिया जाए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम इसे नहीं मानेंगे।

Shri Atal Behari Vajpayee : What is the urgency ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष सहमत नहीं हो रहे हैं। अतः मैं इसे सभा के निर्णय के लिए छोड़ता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या आप पहले लिये हुए निर्णय से मुकर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव तो यह है कि आज जितना समय बचेगा हम चर्चा करेंगे और शेष चर्चा कल करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही समाप्त होने के बाद हम बैठे रहें और वित्त विधेयक पर चर्चा समाप्त करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : हम 6 बजे के बाद बैठना बेहतर समझेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विधेयक अभी पारित किया जाये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : सोमवार को सदन की बैठक होनी चाहिये।

श्री के० रघुरमैया : सोमवार को बुध पूर्णिमा है। दूसरा विकल्प यह है कि कल बैठ कर विधेयक पारित करना ठीक होगा।

श्री मधु लिमये (बांका) : मुझे स्वीकार नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसका हल यह है कि कल ही बैठा जाए।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Procurement Policy of the Government is full of doubts. These should be two different procurement policies. one for surplus States and other for deficit States.

Mr. Speaker : Those who are in favour of the motion should raise their hands. Those who are against motion should raise their hands.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सदन में कोई औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा ही नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : मने अभी प्रस्ताव रखा था कि कल सदन की बैठक होगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किसका प्रस्ताव था ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की ओर से मैंने प्रस्ताव रखा था।

श्री के० रघुरमैया : यदि औपचारिक प्रस्ताव आवश्यक है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल बैठक बुलाई जाए और वित्त विधेयक पारित किया जाए ।

Shri Madhu Limaye : Discussion should be taken up on monday.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There will be no Question Hour on 4th May. Therefore, that day we will ask questions and the hon. Minister should come prepared.

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है जो कि बौद्धों के लिये एकमात्र छुट्टी है । इसको रद्द करना क्या संगत होगा ? अच्छा तो यह है कि या तो हम मंत्री जी के इस सुझाव को मान लें कि आज 6 बजे के बाद बैठा जाये या फिर माननीय सदस्यों के कथनानुसार कल बैठा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हम कल बैठेंगे ।

Shri Satpal Kapur : We have been stressing for a long time that procurement policy needs a change but over suggestion was not adhered to.

'Economic Times' and 'Financial Express' have carried out a survey in Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

This survey indicates that wholesalers and traders in foodgrains are using under hand tactics in Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh to avoid levy. The rate of procurement in surplus state has declining trends. Therefore, I suggest that Government should reconsider the matter. In surplus states procurement should be made through government agency and wholesalers shoudl not be introduced. In my area wholesalers are using under hand tactics and I am afraid that Government will not be able to procure more. Government's policy is to procure more with the help of wholesalers. This policy is wrong and needs a change.

According to the new agreement between traders and Government, traders are required to give 50 per cent of the procured wheat to the Government and rest of the wheat they are allowed to sell in open market at the rate of Rs. 150 per quintal. Now, they are raising a demand to increase price of such wheat to Rs. 160 or Rs. 170 per quintal. The hon. Minister has also stated that they are considering the matter as to what should be the maximum price of wheat. But I want that the Government should stick to its decision of Rs. 150 per quintal. Government should not rely upon wholesalers. Therefore, I request, the Government to change its policy.

Although Punjab contributes huge quantity of wheat to the Central pool, the people in Punjab have been supplied rotten wheat. They are habitual of taking indigenous wheat whereas the Government is supplying 591,227 and Kalyan wheat. Therefore, I want that Punjab's requirement of wheat should be fulfilled out of wheat procured from Punjab.

Ther are more than one hundred projects which have been held up because of Inter-State water disputes. The disputes are pending for the last 8 to 10 years. If these projects are implemented we may get 15 million acres of land irrigated and can produce additional quantity of foodgrains.

I charge the Government that they are incapable in handling foodgrains trade.

It is a matter of shame to note that in Fourth Five Year Plan generators of 4,500 megawat and other power instruments and equipments were purchased to enhance power generation but they are lying idle and responsibility has not been fixed so far in this connection. Had there been a proper use of machinery there would have not been power crisis. I would like to know as to by what time porjects will be cleared.

Punjab, Haryana, Himachal and Jammu-Kashmir have plenty of export oriented industries but these industries are not getting required quota of raw materials. The hon. Minister should give attention to the matter.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : देश को इस समय न केवल आर्थिक संकट का बल्कि राजनीतिक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यह संकट अभूतपूर्व है। यदि देश की वित्तीय स्थिति को देखा जाए तो पता चलेगा कि मुद्रा स्फीती में तीव्र वृद्धि हुई है। घाटे का बजट भी संकट का एक कारण है। हालांकि मंत्री महोदय ने बताया है कि कम नोट छापे जायेंगे फिर भी धड़ाधड़ नोट छापे जा रहे हैं। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बरा असर पड़ रहा है। इसके लिये केवल सरकार ही नहीं, हम सब लोग उत्तरदायी हैं।

कर-अपवंचन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आय-कर की बकाया राशि की वसूली एक समस्या है। काले-धन को समाप्त करने में सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है।

सरकार को फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिये। विकासीय योजनाओं पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए और गैर-जरूरी मदों पर खर्च को रोक देना चाहिए।

वित्त मंत्रालय का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देशी तथा विदेशी ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण, विश्व बैंक से ऋण तथा विभिन्न मंत्रालय और विभागों में समन्वय स्थापित करना आदि कई काम वित्त मंत्रालय के पास हैं और यही कारण है कि वित्त मंत्रालय की कार्य-कुशलता में कमी आने लग गई है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस ओर ध्यान दें ऐसे कदम उठाएं जिससे यह मंत्रालय एक प्रभावकारी तथा समेकित संस्था के रूप में कार्य कर सके।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि देश को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु बहुत दुःख की बात है कि भारी बहुमत होते हुये भी न तो सरकार के पास और न ही प्रतिपक्ष के पास कोई विकल्प है। आज सरकार और विरोधी दल जनता की आंखों में गिर चुके हैं। हालांकि हम सब संसदीय प्रजातन्त्र की बात करते हैं फिर भी हम में से अधिकांश को और विशेषकर शिक्षित लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है।

आज कोई भी यह नहीं कह सकता कि जनता कानून का सम्मान करती है। उसके अभाव में दृढ़ प्रजातन्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता।

आज लोग देखते हैं कि सर्वत्र "अधर्म" व्याप्त है 'धर्म' को कोई स्थान नहीं है। अधिकांश तथाकथित विशिष्ट व्यक्ति जनता की आंखों में गिर चुके हैं। सर्वत्र स्वार्थ का बोलबाला है।

"तेरी भी चुप मेरी भी चुप जो कुछ करना हो करते रहो" इस प्रकार के दर्शन, विचार एवं व्यवहार से संसदीय प्रजातन्त्र में विश्वास पैदा करना कठिन है।

आज भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर चल रहा है। हमें स्वयं भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये पहल करनी चाहिये।

यदि हम निर्वाचनों के लिये काले-धन का उपयोग बन्द कर देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ स्थिति सुधर जायेगी।

चिन्ता का विषय है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग की पिछले चार पांच महीनों में कोई बैठक नहीं हुई है नां ही सदन को पांचवी योजना पर चर्चा की अनुमति दी गई है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान फ्रेंच लेखक रेनेड्यूमां की पुस्तक सोसियालिज्म एन्ड डैवेलपमेंट की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसके एक अध्याय भारत के बारे में है। अध्याय का शीर्षक "वर्बल सोसियलिज्म एन्ड कन्टेम्पट फोर वर्क इन इन्डिया" बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रकार के "मौखिक समाजवाद" की स्थिति को समाप्त करेगी।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The Budget proposals are generally aimed at taxation of the rich and uplift of the poor. But after 27 years of independence how far we have been able to remove the poverty ?

Out of the entire population of 55 crores, 40% are on the starvation line. The income of 69% people in India is less then Rupees fifteen. There are 40 thousand people in the country who are living their lives by selling their blood to Blood Banks. Seventy per cent childrern go to their beds hungry. What kind of citizens these childern would become ?

Even our five year plans have not been successful in providing water to one third of our districts. This gives a clear picture of country's poverty.

The Government will come forward with the reply that they are bussy with the job of removing poverty. But they should not forget that after thirty years the population of the country is going to be 110 crores. How would then we be able to meet the essential needs of the people ?

Dr. Kishan Murty (Indian Research Institute) is of the view that ninteen million Tonnes of foodgrains are damaged every year. If we try to save evern 50% of this quantity then we will find ourselves self sufficient and there will be no need of any import. The Government should try to stop leakage of our wealth and property by way of destruction of commodities.

According to the statistics of the Finance Ministry 39·6% assessees are in the income group of Rs. 5001 to 7500. They are paying 7½%, 10, 25% assessees in the income group of 7501 to 10000 are paying 5·7%. Thus 65% assesses fall in the group whose income is below Rs. 10000. If the tax exemption limit is restricted to Rs. 10000, a lot of departmental labour and expenditure can be saved. Prices are soaring high purchasing capacity of the rupee

is declining. The value of 10,000 rupees today is berely Rs. 3,500. In this way we find that the people with monthly income of Rs. 300 are being taxed,

उपाध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट में अपने भाषण को समाप्त करें ।

Shri Rajdeo Singh : Our Finance Minister in his budget proposels has given Tax relief to certain tax payers in upper income slab. The people who paying income tax on the income of rupees more than 10 lakn would get relief of Rs. 1,87,197. Government has reduced tax on higher income slab. My submission is that relief should be given on lower income slabs. The exemption limit should be raised to Rs. 10,000.

The prices of petrolium products have been increased thrice. Not only the price of petrol but even the excise duty on petrol has been increased considerably. Steps should be taken to reduce this excise duty.

My other suggestion is that the export of jute, sugar and tea should be taken over. The earnings of petrolium products should be spent on public transport in cosmopolition cities. More attention should be paid towards rural electrification, irrigation and development of roads in rural areas. The practice of getting over time work should also be discouraged. The tariff on post cards should not be raised.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक पुरःस्थापित किये जायेंगे । श्री हुकम चन्द कछवाय अनुपस्थित । श्री मधुलिमये ।

उच्चतम न्यायालय (अतिरिक्त शक्तियों का प्रदान) विधेयक

Supreme Court (Conferment of Additional Powers) Bill

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to confer on the Supreme Court additional powers to issue certain writs.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 145 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye : I be to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, Sir, I introduce the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक श्री रणबहादुर सिंह के नाम है। सदस्य महोदय अनुपस्थित है।

न्यूनतम मजदूरी (सभी प्रकार के नियोजनों में) विधेयक

Minimum Wages (In all types of Employment) Bill

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नियोजनों में एक रुपया प्रति घंटा की न्यूनतम मजदूरी के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नियोजनों में एक रुपया प्रति घंटे की न्यूनतम मजदूरी की संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री विक्रम महाजन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

Essential Commodities (Amendment) Bill.

(धारा 10 क का प्रतिस्थापन)

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

न्यायिक आफिसर परित्राण (निरसन) विधेयक

Judicial Officers Protection (Repeal) Bill

श्री डी० के० पंडा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायायिक आफिसर परित्राण अधिनियम 1850 का नसर करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायिक आफिसर परित्राण अधिनियम, 1850 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक पुर:स्थापति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक श्री रणबहादुर सिंह का है। सदस्य महोदय अनुपस्थित हैं। श्री मधुलिमये।

कंपनी (संशोधन) विधेयक

Companies (Amendment) Bill

धारा 10 क

Shri Madhu Limaye : "I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 1956."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill)

नये अनुच्छेद (26क का अन्तःस्थापन)

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वैल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी. के. चन्द्रप्पन । अनुपस्थित ।

निशुल्क विधिक सहायता विधेयक, 1974

Free Legal Assistance Bill, 1974

श्री डी० क० पंडा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों की विविध सहायता का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों की विविध सहायता का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

मातृ-वंश परम्परा विधेयक

Mothers Lineage Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन द्वारा श्री मधु लिमये द्वारा 5 अप्रल, 1974 को पेश किय गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा :—

"कि किसी की वंश परम्परा का उसके मातृ पक्ष से पता लगाने के अधिकार का उपबन्ध करने वाल विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एम० सी० डागा : आप अपना भाषण जारी किजिये ।

Shri M.C. Daga (Pali) : I moved an amendment to the effect that this Bill be circulated for eliciting public opinion thereon by 3rd August, 1974.

In the statement of objects and reasons, it has been stated that the Bill is sought to remove the stigma of illegitimacy from thousands of people who are being persecuted by the society for no fault of theirs. But how it has to be achieved has not been stated in the Bill ? It does not provide that illegitimate children would have the same rights as those of legitimate ones. All that the Bill provides is that in the official register, the name of the mother of an illegtimate child be recorded. But how it is going to obtain a honerable position in the society ? If we are really has to help such people, we should amend the Hindu Marriage Act, the Succesion Act and other relevant laws. So long as this is not done, the position of illegitimate children is not going to improve in the society. It is an illusion to suppose that by some combination of liberal social welfare laws, the illegitimate child would some how be given a position equal to that of the ligitimate one. In my opinion, as long as the social customs dictated the terms of an appropriate marriage, the child born out side those limits will suffer some stigma and disadvantage.

I personally feel that like untouchabiltiy Act, this Bill too will not solve the problem of illegitimate children. It will be better if we get this Bill circulated for the purpose of eliciting public opinion thereeon by 3rd August, 1974.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : I have heard the views of Shri Daga. It is correct that he has gone through the statement of objects and reasons but still he is not prepared to accept the truth. The object of the Bill is to provide social protection to the illegitimate children. As a matter of fact it is a welcome measure. It aims at bringing much needed social reform. It is a bold step in the right direction. The child who is regarded as an illegitimate child is actually the result of illegal entertainment of some of our people who are more aften than not well placed in society. What is the fault of such a child ? Why should that child be punished for the sins of the father ?

The prevalent practice in our society is to trace one's lineage solely from father's side. This practice has done a great injustice to the children whose father was not known and they were brought up by their mothers only. In our society, 'Forced Motherhood' is considered to be a great social stigma. This Bill seeks to remove this stigma of 'illegitimacy' from sons and daughters who are being maltreated by the society for no fault of theirs.

The opinion of Shri Daga that Bill be circulated for eliciting public opinion is not justified because only a few people can understand the implications of the Bill. I am all in support of the Bill which is a bold step in the right direction.

Shri Amarnath Vidyalankar : (Chandigarh) : In my opinion the concept embodied in the Bill is very important. Our old society is based on racial basis. A great emphas is laid on maintaining the purity of the race. In this

society it is expected that only those children should be treated as legitimate ones who come from the same racial heredity. But today we are building a different society which is not based on any race or caste. We wanted integration of all races and castes. According to our modern science also, the more there is intermixing of races and castes, the nature becomes more virile.

A child born in society is the wealth of society and I think it is the sacred duty of the society to protect him. This Bill rightly provides for the protection of those children who are persecuted by the society for no fault of theirs. Not to speak of protection only. I feel that such children should be given all right in the society.

The Minister of State in the Ministry of Law Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chowdhry) : The Bill moved by Shri Madhu Limaye is laudable for its objects and ideals but there are certain practical difficulties towards which I want to draw the attention of the House.

In this connection my submission is that there are many laws in our own country in which it is not necessary to give father's name. For instance, take the civil Procedure Code. For the indentification of the plaintiff and the defendant, his name and parentage has to be given. In such cases it is open to the applicant whether he writes the name of his father or mother. But at the same time there are certain laws, for example, Companies Act and Succession Act, under which it is obligatory to give father's name. Therefore, if this Bill is to be adopted, it will be necessary to amend those laws accordingly. As suggested by Shri Daga, I think that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. But instead of 3rd August, the time limit should be extended upto 3rd December, 1974. After that the House will be in a better position to consider the Bill. I hope Shri Limaye will accept this amendment, otherwise it will not be possible for the Government to accept this Bill inview of the difficulties explained above.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Chairman, Sir, you are well aware of the fact that I could not give any introductory speech while moving the Bill for want of time. Now I am prepared to accept the amendment suggested by the hon. Minister. But at the same time I am anxious to say a few words about the background in which this Bill has been brought So that when it is circulated for eliciting public opinion, the people can understand its objects.

Our old history would tell what conventions we had been following in these matters. I have said that if somebody wants to give himself a suffix or prefix of his mother's name, he should be allowed. How does it encourage illegitimate births ? Our old histroy reveals that there were many distinguished personalities which were known and called after their motherhood. For instance, Manu's daughter was Ela and her son was called Eil; Bheesham Pitamah was Ganga's son and was called Gangeya; Arjun was Pritha's son and was called by the name of Parth; Kunti's son was called Kauntaya and so on and so forth. So, this is nothing very new and revolutionary. I am

urging upon adopting certain good conventions from our hoary past, let those be revived. There is also a legend entitled "Satykam the truth seeker". On Satyakam asked his mother :—

"Dear mother, what is my gotra or lineage? I wish to go to a guru and offer to live with him as a brahmachari," said young Satyakama, one sweet mornidg to his mother.

He little knew how embarrassing that question was to her. However, she soon overcame her confusion. She knew that the claims of her child for knowledge were supreme. He was already grown up and to neglect those claims any further would be very culpable. She was well aware that the first thing that any guru would ask her child would be his gotra and parentage.

"Young child" she said, "to tell you the truth, I know not your gotra While young and wanderig as a housemaid serving here and there, I begot you. How then can I know? But I am certain of one thing and that is your name is Satyakama and mine Jabala. Therefore go forth and tell your guru that you are Satyakama Jabala."

Later on the dishonest Brahmins included him in their folds. Similarly Vedvyas was the illegitimate son born as a result of the sexual relations between Paragher and Matsyagandha; and still he is worshipped by we all.

Another example is of great Karana who had to bear the brunt of the society and his own brothers. Since he too was of so called illegitimate birth. In our great poet Dinkar's words he i.e. Karna was the ideal and symhol of the existence and grievances of all those who are bron so illegitimately.

This all was tolerated then, but I don't understand how all that has become rotton and out of date in one and a half thousand years,

I agree with shri M.C. Daga that obvious provisions of this Bill are very limited. I have sought that he who wants to suffix or perfix his mother's name with his own name, he should be allowed to do so.

The background which prompted me to bring torward this bill is this: During the debate on Hinda Succession Bill, a revolutinary suggestion was given to the effect that an illegitimate son whose father's name is unknown should also get the share in his father's property just as his other legitimate brothers (Sons of that father) would get. This suggestion from the joint committee was although very revolutionary, but its was so much opposed in the Rajya Sabha that it was totally eliminated. The following was the suggestion which was turned down by the Rajya Sabha :—

"Provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mother and to one another and also to their father if known and the legitimate descendants of such children shall be deemed to be related to them and to one another."

It was eliminated because the Hinda Code Bill itself was considered to be very revolutionary and it had caused a great upsurge. But now that is part of 20

year's past and we can review such things. Let me also remind you of a very beautiful point put forth by Shrimati. Rukmani Arundel during her speeen at that time. She had said :

"I wish there were a matriarchal system. Then there would be no worry about this at all of having to prove because every child is the mother's child and that is all that matters.".

Every child is his mother's child, that can't be questioned at all. You can give him share in his mother's property but why not in father's also? Does a mother give birth to a child without his father ? Why don't you them provide for the child's share in his father's property particularly when his father's name is known ? It is not Justice.

Shri Nitiraj Singh Chowdhray : Shri Madhu Limaye in his speech has used the words 'legitimate' and 'illegitimate'. In present days we should not use these words and instead we should use the words "within wedlock" or "out of wedlock" . Let us not use the words which precipitate hatred.

Shri Madhu Limaye : I agree with him. In this cortext. I would cite a Chinese code also : Article 15 of their constitution says :"Children born out of wedlock shall enjoy the same rights as children born within lawful wedlock. No person should be allowed to act or discriminate against children born out of wedlock."

Our constitution is based on the principle of equality and therefore, we should accommodate this aspect also one way or the other. Through this Bill I wanted to draw the attention of the House as well as that of the nation towards this vital point.

A struggle is going on in the entire world for equal rights among men and the women. That is nothing but a struggle or getting ownership of the properties. The pro-men and greedy people have put maximum hinderances in bringing about that equality.

Before the possage of the Hindu Code Bill, the society was based on 'Varn Vyvastha' i.e. it consisted of Brahmin Kshatriya Vaish and the Shudras. The former three castes had not allowed property's right to a child born out of wedlock whereas the Shudras were generous and allowed that entitlement dispite a pressure from the caste classes. Is it not a shameful thing for these so called caste Hindus ? A child never encourages illegitimacy it is the couple that does the mischief. Why then punish the child and not the real culprits.

Now according to 'child law' England has also done away with that sort of discrimination legally. We should also deeply think about it and I agree with the hon. Minister that all the aspects should be gone into thoroughly. I have no objection to his suggestion but I would certainly request him to apply a generous and broad mind in this matter. Similarly other Acts viz. Hindu Succession Acts, Hindu Adoption Act, Hindu Marriages Act etc. should also be reviewed in the present and changing contexts.

I have deliberately not spoken about the non-Hindu systems lest there should be any misgivings. I therefore leave it to the reformers of those religion to do the needful.

सभापति महोदय : श्री मूल चन्द डागा अपने संशोधन पर संशोधन पेश करें।

श्री मूल चन्द डागा : नियम 145 के अधीन मैं अपने संशोधन पर निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

शब्द "3rd August, 1974" (3 अगस्त, 1974)

के स्थान पर "4th December, 1974" (4 दिसम्बर, 1974) रखिये।

सभापति महोदय : नियम के अधीन संशोधन पेश करने की अनुमति दी गई है और संशोधन पेश किया गया है।

संशोधन में संशोधन स्वीकार हुआ :

The amendment to the amendment was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 4 दिसम्बर, 1974 तक लोक मत जानने के लिए परिचलित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

सभापति महोदय : इस विधेयक के बारे में इस समय किसी अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

चीनी उद्योग के लिए दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशें विधेयक

Second Wage Board (Recommendations for Sugar Industry Bill

श्री डी० के० पन्डा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि भारत में चीनी उद्योग के दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित और देश के चीनी उद्योग में औद्योगिक शांति बनाये रखने हेतु इन सिफारिशों को सांविधिक बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, चीनी उद्योग में दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के लिये विधेयक, 1971 वर्ष 1971 में पुरःस्थापित किया गया था जबकि वर्ष 1971 के बाद भी श्रमिकों को मिल-मालिकों से बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई थी और उस प्रतिवेदन के नोट में यह कहा गया था कि सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का सरकार ने अनुरोध किया था। इसलिये उन सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित के उद्देश्य से यह विधेयक इस सभा में पेश करना आवश्यक हुआ था।

सरकार ने कई बार यह घोषणा की थी कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कोयला खानों, चाय बागानों, पत्रकारों आदि सभी पर लागू की जानी चाहिये परन्तु मिल मालिक उन सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे थे। इस लिये वर्ष 1972 में सरकार नें यह घोषणा की कि सरकार मजूरी बोर्ड की इन 12 या 13 सिफ़ारिशों को संविधानरूप देने जा रही है ताकि इन्हें तुरन्त जारी करना सब के लिये अनिवार्य हो। परन्तु सरकार ने इस बात को प्रभावी करने के लिये काफ़ी समय तक कोई विधेयक पेश नहीं किया।

इस विधेयक के बारे में कुछ बातें बताना ज़रूरी है। यह 8-7-70 को छपा और इसे क्रियान्वित किया जाना था और 1-1-69 इसे प्रभावी होना था। और 30-10-74 त इसे लागु रहना था। यह विधेयक अब भी महत्व रखता है। आंध्र में ये सिफारिशें वर्ष 1972 से क्रियान्वित हुई और उड़ीसा के सभी तीन चीनी मिलों में 1-11-72 से। अन्य राज्यों में इनकी क्रियान्विति 1-11-71 से हुई। राष्ट्रीय चीनी उद्योग सहकारी संघ द्वारा अपने कारखानों में वर्ष 1971 से अपने मज़दूरों को कम से कम निर्धारित मजूरी और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता तो दे ही देने के अनुरोध से भी इस विधेयक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुछ सहकारी चीनी उद्योगों में वे सिफारिशें लागू हो गई। अब मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार श्रमिकों को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते 1-11-69 से 1971 तक तथा कुछ मामलों में 1972 तक दिये जाने थे और इसकी बकाया राशि कुल मिलाकर करोड़ों रुपया होती है। श्रमिकों को वह 1969 से 1972 तक नहीं मिली। इसलिये यदि इन सिफारिशों को सांविधिक तथा सब पर अनिवार्य रूप से लागु कर दिया जाये तो श्रमिकों को अपनी वह बकाया राशि की वसूली बड़ी आसानी हो जायेगी। इसलिये यह विधेयक यहां पास होना चाहिये।

वर्ष 1957 स ये मजूरी बोर्ड स्थापित किये जा रहे हैं और सरकार को 14 वर्ष बाद यह अनुभव हुआ कि मर्जूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है,विशेषरूप से चीनी उद्योग में तो मिल मालिक श्रमिकों को नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर वे चीनी के दाम बढ़ा कर और गन्ना-उत्पादकों को कम पैसे देकर गन्ना उत्पादकों की भी भारी बकाया राशि उनकी ओर देय है। श्री नरसिंह नारायण पाण्डे ने यह राशि 52 से 54 करोड़ रुपये तक बताई है। ये लोग उपभोक्ताओं, श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादकों सभी का शोषण कर रहे हैं तथा सरकारी कोष को भी सड़क उपकर, उत्पादन-शुल्क तथा अन्य अधिकार न देकर हानि पहुंचा रहे हैं। यह शोषण सैंकड़ों वर्षों स चला आ रहा है। हालांकि सरकार अनेक बार उन्हें चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देने की धौंस दे चुकी है परन्तु वस्तुतः इस के लिये कोई विधेयक पेश नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा तयार किये गये बिल के मसौदे पर भी केन्द्र ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताई है। इस प्रकार विलम्ब करने के क्या कारण हैं ? चीनी उद्योगपति निवेदिपा, मोदी क्या बिड़ला बन्धुओं 172 करोड़ रूपये का मुनाफा कमाया है इस डाका फिवार प्राप्त चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जा रहा ?

16-2-73 को इन्टक, ए. आई. टी. यू. सी. तथा एच. एम. एस. तीन श्रमिक संघों ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। अतः यदि सरकार का इन चीनी उद्योगपतियों से कोई गुप्त संबंध न होता अथवा वह इनके अनुचित दबाव या प्रभाव में होती तो अवश्य इसे अब तक उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देती।

अब सरकार इस उद्योग के साथ निबटने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम पर निर्भर कर रही है। जब भी कोई मिल संकट ग्रस्त होता है तो चाहे उसका मूल्य 50 लाख रुपये ही हो और उसकी मशीनें पुरानी ही हों, सरकार उसके मालिकों को 3—4 करोड़ रुपया दकर उसका अधिग्रहण करती है।

सभापति महोदय : वह विधेयक के विषय से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री डी० के० पण्डा : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, तब तक मतलब हल नहीं होगा।

सरकार की नीतियां अब तक चीनी उद्योगपतियों को अन्य उद्योगों की अपेक्षा कम वेतन वाले मज़दूरों का शोषण करन का बढ़ावा देती रही हैं। यह उद्योग दूसरे सब से बड़ा उद्योग है और उसके राष्ट्रीयकरण से लाखों श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा अत: मेरी यह मांग स्वीकार कर ली जानी चाहिये।

मेरी तीन मांगें हैं —(1) मजूरी ब्रोर्ड की सिफारिशों को सांविधिक बनाया जाये (2) सरकार चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये तुरन्त ही डाक विधेयक पेश करे।

सभापति महोदय : यह बात तो आप के विधेयक में नहीं है।

श्री डी० के० पण्डा : मैं सुझाव दे रहा हूं ताकि सरकार इस आलोचना से बच सके कि वह चीनी उद्योगपतियों के साथ सांठ-गांठ किये हुए है।

6 दिसम्बर, 1973 को डाक त्रिपक्षीय समिति गठित हुई थी और चीनी उद्योग के श्रमिकों को कुछ आन्तरिक राहत दी गई थी। सरकार ने उस समय कहा था कि गत राहत जून 1974 तक दी जायेगी और उससे पूर्व वेतन में संशोधन के लिये डाक द्विपक्षीय व्यवस्था गठित कर दी गयी थी परन्तु अब चार मास बाद भी वह व्यवस्था नहीं गठित की गई है तथा अब जून के केवल दो मास रह गये हैं जबकि आन्तरिक राहत की अवधि समाप्त हो जायेगी। अत: मेरी तीसरी मांग यह है कि वह व्यवस्था तुरन्त गठित की जाये और इसे दो मास की अवधि में ही अपनी रिपोर्ट देने को कहा जाये।

साथ ही मज़दूरों की वेतन वृद्धि तथा बोनस की मांग तथा अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक सगठन की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिये। इन्टक ने भी इसकी मांग की है। सारे देश ने मांग की है, स्वयं कांग्रेस दल के लोगों ने मांग की है। इसलिये सरकार को इस चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद ने बार-बार घोषणा की है कि भार्गव समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। परन्तु इस रिपोर्ट के मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी ओर, उत्पाद शुल्क संबंधी रियायत ,गन्ने की बकाया राशि चीनी के मूल्यों में वृद्धि आदि के द्वारा चीनी उद्योगपति सरकार को लूट रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि भारत में चीनी के लिये दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्विति और चीनी उद्योग में औद्योगिक शांति बनाये रखने की व्यवस्था हेतु इन सिफारिशों को सांविधिक बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I rise to support this Bill whose statement of objects says that the millowners or managers in the Sugar Industry have not implemented the recommendations of the 2nd Wage Board. In case some have at all implemented those, that has not been done from a uniform date. So these recommendations should be given a statutory nature.

Sugar Mills are not giving the wages and posts as per these recommendations of the Wage Board. I have drawn the attention of the hon. Minster about such cases in Madhya Pradesh also. An oil man is treated as coolie there and paid accordingly.

There are quite a number of sugar Mills in M.P. and Rajasthan who have been putting off the implementations of these recommendations dispite pressure from the State Governments. Crores of rupees have been invested in the Sugar Industry but the workers and cane growers not at all getting their due. Cane growers have not been paid their arrears worth crore of rupees. On the other hand the owners are earning huge profits by enhancing the price of free sale sugar.

The purpose of the Bill can be achieved if the recommendations of the Wage Board are made statutory. Workers of many Sugar Mills are writing to me and labour Commissioners in this behalf since they are suffering a lot from the non-implementation of these recommendations, which should have been made effective by all the Mill owners from the same date i.e. from 1-11-69.

The number of sugar mill workers is about 3 lakh and they produce lakhs of tons of sugar which is exported also and this we earn foreign exchange as well. Still they are not getting protection. The interim relief granted to them would cease after June but you have not set up any machinery for the revision of the wages and enhancing DA etc. where as the prices are soaring a day and night over.

Therefore, I would showingly urge that you should, deal with the sugar Mill owners very strictly and make these reccommendations of the Wage Board statutory and binding on all the sugar mills in the country. Also there should be a mechinery to see that these things are implemented in this real prospects. You leave it on the labour departments of the state but they don't pay proper heed to it . Let then be directed to be attentive and vigilant, lest there should be any complaint from the workers.

Besides that there can be other matters concerning Provident Funds etc. but I am not mentioning them since they don't come under it. But please ensure the implementations of the Wage Board recommondation so that the workers get benefitted with effect from 1-11-1969. They should not be exploited by the mill owners any more..

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैंने भी पण्डा द्वारा प्रस्तुत विधेयक की शब्दावली को पढ़ा है। इसमें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के साथ उन्हें सांविधिक बनाने की बात भी कही गई है ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे।

मैं इस संबंध में यही कहना चाहुंगा कि औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये केवल डाक चीनी उद्योग में शांति हो जाना आवश्यक नहीं बल्कि रेलवे जो कि देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तथा अन्य बहुत से उद्योग भी हैं। साथ चीनी उद्योग भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चीनी उद्योग की कार्यप्रणाली में समानता ही नहीं है। अतः सभी जगह डाक की नियमावली कदाचित काम नहीं करेगी। उदाहरण के लिये हम बिहार में चीनी उद्योग को ले सकते हैं। तमिलनाडु में चीनी उद्योग का इस के साथ कोई साम्य नहीं है। तमिलनाडु में चीनी उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है अतः इसका ढांचा अधिक बेहतर स्थिति पर आधारित है।

आज चीनी उद्योग लाभकारी व्यवसाय है। परन्तु इस देश के गंगा के किनारे स्थित नगरों के चीनी उद्योग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उत्पादकता को हानि पहुंचाकर औद्योगिक शांति की स्थापना करने का प्रयास अपने आपको धोखा देना है, कृषि पर आधारित उद्योग में बार-बार धमकी देने से किसानों का ही अहित होता है।

अब समय आ गया है कि किसी उद्योग की उत्पादकता को वहां की औद्योगिक शांति से तोड़ा जाये। हमें अभी से मान तथा सर्वत्र लागू होने वाली राष्ट्रीय मंजूरी तथा मूल्य नीति बनानी है। मजूरी में अभी भारी असमानता हैं। क्या विभिन्न उद्योग मजूरी को उत्पादन के साथ जोड़ने में समर्थ हैं? चीनी उद्योग में बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी हैं इसलिये वे यह आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है कि उन्हें द्वितीय मजूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाये। इस उद्योग के सहकारी चीनी कारखानों में सरकारी वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय वित्त निगम आदि की पूंजी लगी हुई है अतः उन्हें न केवल गन्ना उत्पादकों को बल्कि कर्मचारियों को भी प्रबन्धक बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में होना चाहिये। यदि इस विधेयक में यह व्यवस्था होती कि कम से कम नियमित तथा सहकारी क्षेत्रों के चीनी कारखानों के कर्मचारियों को भी प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये तो मैं इसकी प्रशंसा करता। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूं कि इन कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये। वितरण व्यवस्था के बारे में बहुत शिकायतें हैं जैसे नियंत्रित मूल्य पर बिकने वाली चीनी को हेराफेरी करके बाजार में बेच दिया जाता है। यदि प्रबन्धक बोर्ड में कर्मचारी रहेंगे तो ऐसी त्रुटियों का पता लगाना कठिन न रहेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चीनी उपभोक्ता को उपलब्ध की जा सके। आशा है कि मेरे सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में संशोधन किया जायेगा।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : wholeheartedly support the bill intended to implement the recommendations made by the Second Wage Board. Government have agreed to the recommendations and have enacted legislation in this respect but it has not been implemented on 75 per cent workers in sugar and various other industries. I want to know from the hon. Minister as to how many workers and of which industries have been benefitted from the Wage Board report.

Sir, the condition of workers of Bhopal Sagar Sugar Mill in Rajasthan is very pitiable. Recommendations of the Wage board or legislation made by Government should also be implemented for them. In Delhi about 3-4 lakhs labourers from Rajasthan are engaged in construction works but there is no

one to look after their interests. Similar is the case of sugar mills. The Government favours mill-owners. It is my submission that you should take the responsibility of implementing the wage Boards' recommendations so that the labourers may get benefit and do their work more vigorously. It should be the responsibility of mill owners to provide food, education etc. to the labourers at cheap rates. The question of reservation for scheduled castes and scheduled tribes should also apply to Private mill owners. Only then the people would be satisfied with your policies. It is my submission that such policies should be evolved as may remove misunderstandings between labourers and employers. If there is coordination between the two, things can go on smoothly. Our local building workers should get at least eight or ten rupees as wages. With such meagure wages they cannot make both ends meet.

Shri Narsing Narain Pandey Gorakhpu : The scope of this bill is very limited. It only says that the recommendations of the wage board should be implemented. This amendment is meant to draw the attention of the Government towards the difficulties likely to come in the way of its implementation. The recommendations of Wage Boards set up earlier have not been effectively implemented and they are not up to the satisfactions of workers. Today the sugar mills are in a pitiable condition. Our party has been pleading for its nationalization. The idea behind is that only then we can step up production, can create a buffer stock, to step up export and set the things right.

If we cast a glance on the history of sugar industry we will find that Government have always been in favour of mill owners. With the result they are prospering by leaps and bounds. I have been repeatedly giving warning that in the production and distribution of sugar bungling takes place on a very large scale. We told the Government that Production of Sugar would not exceed 43 lakhs tonnes and now the Government itself is admitting that. Today we are in need of foreign exchange and the prices of sugar are increasing in world markets and in domestic market. But the government is not in a position to decide as to who should undertake export of sugar. The Government should give up the present policy of free sugar. You should take into consideration the cost structure. What are the reasons that recovery is decreasing ? In foreign countries technical devices have been envolved to know the recovery of sugar. But in our country it is the work of excise inspectors who thrive on unfair means. It results in lowering the recovery of sugar. So Government should change its present policy. Only then the condition of cane growers and workers will improve.

Government have not submitted the interim report of the Bhargava Commission. It should be expedited. Action should be taken to recover the arrears of Rs. 54 crores on mills in order to pay the cane growers. There is no alternative left but to nationalize the sugar mills. The distributio n machinery will have to be strengthened to achieve the goal of self-reliance in sugar and earn foreign exchange. If the production is increased,the profit will also increase and thus the wage structure of the workers can be rationalised. The need of the hour is to determine the sugar policy in such a way that the whole country is benefitted. The sugar producing countries should form consortium to get maximum benefit from export. In the tripartiet conferenc e

held on April 29, 1970 between representatives of mills owners, workers and Government, some recommendations were made. But now when these recommendations are being implemented in 1974, the demand for setting up of third wage board is not unjustified.

Workers do not want any Wage Board today, but they want a change in the entire wage structure. So I request the hon. Minister to please look into the grivances of the labourers and implement the recommendations of the wage board in sugar mills.

There has not been any white-washing in the quarters provided to the workers for the last ten years . They have been living in very small rooms. The rent of those quarters should be fixed.

If it is not possible to appoint a third Wage Board, government should formulate a new wage policy with mutual cooperation of the mill owners and the workers. I request that an announcement in this regard should be made.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The recommendations of the Wage Board have not been implemented. There is no use of such recommendations unless they are implemented.

The government has not adopted a correct policy with regard to sugar industry. We can get as much sugar as we like in the open market. But it is difficult to get sugar on ration cards. The millowerns do not give profits to the workers on the plea that the mill is running at a loss.

The price of the sugar cane is fixed on the basis of sugar recovery. It is done deliberately so that the price of sugar cane may be reduced and they may earn profit, because the recovery is generally less.

Cent per cent capacity of the sugar industry should be utilised. Very little capacity of the industry is being utilised nowadays.

Government should take steps to improve the living conditions of sugar workers. The workers should also be provided quarters to live in.

All the machines in the sugar mills have become old. In case the government wants to take over those mills no compensation should be paid to them. We require move production today. In case the government gives encouragement to the workers, the production will definitely increase. The sugar policy of the government should be modified according to the changed circumstances.

Shri Ishapue Sambhli (Amroha) : Shri D. K. Panda has given valuable suggestions for the relief of the workers in sugar industry and for making improvements in this industry.

It is one of the biggest industry of our country. Only 50 per cent of the capacity of the sugar industry is being utilised in Uttar Pradesh. Sugar Mill work hardly six months whereas they can work or ten months. There is no shortage of sugar-cane, labourers or money. The Millowners have done nothing for modernising their mills. They invest their money in such industries as bring them more profits.

The milloweners earn more profits by pressing the government to increas the price of sugar or by paying less to the workers.

Several Committees have been appointed for giving recommendations to improve the working of the sugar industry. But their recommendations have not been implemented.

In other countries nothing is wasted in sugar industries. The wastage of sugarcane is utilised for establishing other allied industries. But it is not so done in our country.

If government really wants to give relief to the sugarmill workers and the cane growers, the sugar mills should be nationalized. The government should make an announcement that the reduction in the utilisation capacity of a sugar mill will be considered as a crime.

We should develop our sugar industry workers to increase our export trade. The sugar industry should be nationalized without paying any compensation. Constitutional amendments may be brought in this regard, if necessary. The government should take immediate steps to nationalise this industry. so that this industry may produce as much sugar as is produced in other countries of the world.

विदेशी स्वामित्वाधीन बागान (राष्ट्रीयकरण विधेयक)

Foreign Owned Plantations (Nationalisation) Bill

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं भारत में स्थित विदेशी स्वामित्वाधीन सब बागानों का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की सभा से अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि भारत में विदेशी स्वामित्वाधीन सभी बाग़ानों के राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में ।

Regarding Half an Hour Discussion

श्री मूल चन्दा डागा (पाली) : इस विषय पर चर्चा सांय 6 बजे आरम्भ की जानी चाहिये थी । लेकिन अब 6 बजकर 10 मिनट हो गये हैं । अत: सभा स्थगित की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री शंकर नारायण सिंह देव उपस्थित नहीं हैं अत: सभा अब स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 4 मई, 1974/14 बैशाख, 1896 (शक) क ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, May 4, 1974, Vaishaka 14, 1896 (Saka).

M/P(N)4LSS—490—13-1-75—GIPS